खण्ड-230, अंक-10
बुधवार, 2 ज्येष्ठ, शक संवत् 1884
(23 मई, 1962 ई0)

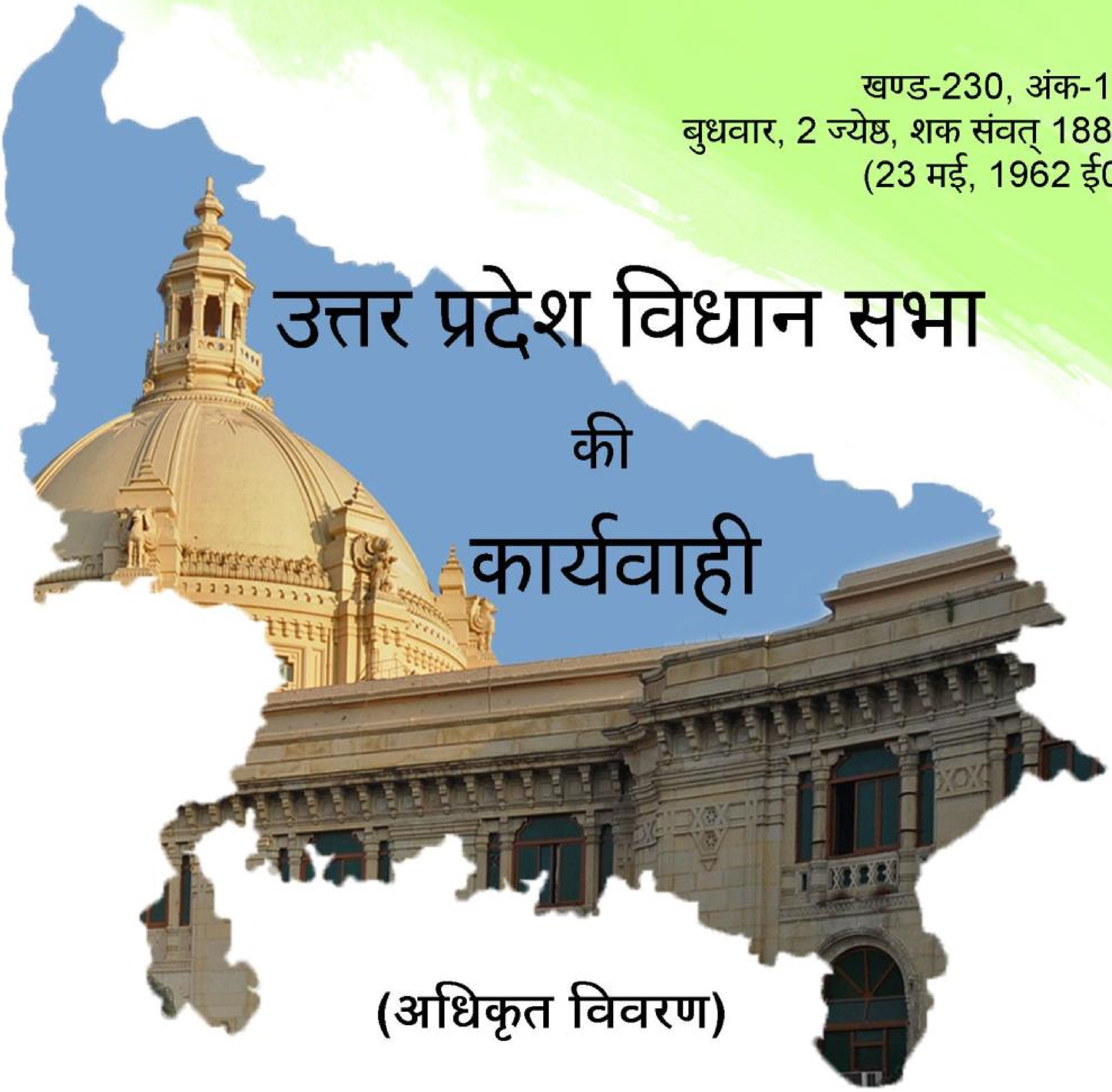

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 230 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	८२७–८३१
प्रश्नोत्तर	८३१–८४९
कार्य-स्थगन प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	८४९–८५०
बलिया जिले की अदालत में उपस्थित अभियुक्त को पुलिस द्वारा बलपूर्वक कोतवाली ले जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचना	८५०
प्रश्नों तथा अन्य विषयों के संबंध में जानकारी	८५०–८९२
१९६२–६३ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां तथा अनुदान संख्या ३०—समाज-कल्याण (जारी)	८५२–८९५
सदन का समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव (स्वीकृत)	८९५–८९६
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां तथा अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण (स्वीकृत)	८९६–९१६
नस्थियां	९१७–९२०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २३ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६२

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलसिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद ,श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद ,श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरी प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ , श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान ,श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम, शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बबवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री

बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषण प्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास श्री
भगवानदास, यादवेन्द्र, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री

राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वर नाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, श्री कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)

सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैन राम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—मंत्रि परिषद् के निम्नलिखित सदस्य भी उपस्थित थे :—

हरगोविन्द सिंह, श्री
रामनारायण पांडेय, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २३ मई, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कानपुर जिले में लोअर गंगा नहर की फतेहपुर ब्रांच कटने से क्षतिपूर्ति का आश्वासन

**१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि लोअर गंगा नहर कानपुर जिले में साद ग्राम के निकट कट कर फट गई है जिससे कि ग्राम जल मग्न है और खलिहानों को बड़ी क्षति उठानी पड़ी है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री राममूर्ति)—यह सही है कि फतेहपुर ब्रांच के मील १७.३.२४५ पर दाहिने किनारे के कट जाने से ६ मई, १९६२ को उस क्षेत्र में पानी भर गया था जिससे खलिहानों को कुछ क्षति हुई ।

**२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)—यदि हां, तो सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री राममूर्ति—सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता स्थान पर पहुंच गये थे तथा उसी दिन २ बजे तक ब्रीच को काबू में कर लिया गया और रात के ८ बजे तक बिल्कुल बन्द कर दिया गया ।

ब्रीच के फलस्वरूप जो क्षति हुई उसकी जांच की जा चुकी है तथा उसके लिये आवश्यक मुआवजा दिया जायगा ।

विधायकों के अधिकार सम्बन्धी, श्री दीपनारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा के पत्र पर विचार

**३—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ७ मार्च, १९६२ ई० से अपना मासिक वेतन पाने के अधिकार और शपथ लेने के दिन से विधायकों को वेतन देने के उत्तर, प्रदेश सरकार के नियम को अवैधानिक ठहराने के बारे में विधायकों के आवेदन-पत्र करीब १० दिन पहले प्राप्त हुये हैं ? क्या उन्होंने विधायकों का अधिकार स्वीकार कर लिया है ? यदि नहीं, तो उसके बारे में उनके क्या वैधानिक आधार हैं ?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां, श्री दीपनारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा का एक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है और उस पर अभी विचार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश एवं बिहार की स्थायी सीमा निर्धारणार्थ बैठक

**४—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि कुछ माह पूर्व उत्तर प्रदेश एवं बिहार के विवादग्रस्त सीमा के तय करने के लिये दोनों प्रदेशों के माल मंत्रियों ने आपस में परामर्श किया था? यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला?

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच किसी स्थान पर सीमा विवादग्रस्त नहीं है। प्रश्न केवल दोनों प्रदेशों के बीच स्थायी सीमा निर्धारित करने का है। इस सम्बन्ध में दोनों प्रदेशों के माल मंत्रियों की एक बैठक पटना में जनवरी, १९६५ में हुई थी, पर स्थायी सीमा निर्धारित करने के प्रश्न पर कोई समझौता न हो सका और यह तय हुआ कि भविष्य में एक बैठक दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों की होगी।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—माननीय मंत्री जी कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि इस सीमा निर्धारण के संबंध में बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच किन-किन तथ्यों पर बातचीत हुई थी?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मुश्तकिल बाउंड्री मुकर्रर करना, यही मुख्य तथ्य था जिस पर बातचीत हुई।

श्री रामायण (जिला देवरिया)—यह विवाद गत कितने वर्षों से चल रहा है और इस विवाद में उत्तर प्रदेश की कितनी भूमि सम्मिलित है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह बताना बड़ा कठिन है कि कितनी भूमि सम्मिलित है, लेकिन सन् १९५२ में एक कान्फरेंस पूज्य पंत जी के सभापतित्व में हुई थी। उस समय यह प्रश्न तय हुआ था कि एक फिक्स्ड बाउंड्री तय कर दी जाय।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दोनों प्रदेशों की सरकारों ने प्रधान मंत्री जी को इस काम के लिये आर्बिट्रेटर मुकर्रर किया था? यदि हां, तो अब तक प्रधान मंत्री जी ने इस संबंध में कौन-सी कार्यवाही की?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, प्रधान मंत्री को आर्बिट्रेटर मुकर्रर किया था। उन्होंने क्या कार्यवाही की, यह मैं इस वक्त नहीं कह सकता।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या राजस्व मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधान मंत्री की ओर से राजस्व मंत्री जी को कोई पत्र इस संबंध में मिला था? यदि हां, तो उस पत्र की मुख्य-मुख्य मंशा क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे तो कोई पत्र मिला नहीं।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—अभी उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि दोनों माल मंत्रियों के बीच स्थायी सीमा तय करने के बारे में वार्ता हुई। क्या सरकार इस तरफ भी ध्यान देगी कि जब तक स्थायी सीमा तय नहीं होती तब तक बलिया जिले के किसानों की जो जमीन बिहार में चली गई है उस पर कब्जा दखल कराने का प्रयत्न किया जाय?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई कानून मुझे बता दिया जाय। उसके जरिये से मैं अमल करूं।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रधान मंत्री को आर्बिट्रेटर माना गया तो कौन-सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिससे कि यू० पी० और बिहार की सरकारों के बीच समझौता नहीं हो सका और प्रधान मंत्री को आर्बिट्रेटर मानना पड़ा ।

श्री अध्यक्ष—नहीं, यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामायण—यह जो मामला दोनों राज्यों के बीच में तय नहीं हो पाया जिस पर कि कोई अन्तिम निर्णय दोनों राज्य नहीं ले सके, वह क्या था ?

श्री अध्यक्ष—देखिए, वह तो सीमा के संबंध में है ।

श्री रामायण—सीमा के संबंध में बतलाया गया कि राजस्व मंत्रियों की मीटिंग हुई और मामला तय नहीं हो पाया, तो क्या चीज तय नहीं हो पायी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—विवाद यह था कि मुस्तकिल बाउन्डरी होनी चाहिये या नहीं । उत्तर प्रदेश की यह राय थी कि होनी चाहिये . . . .

श्री नरसिंह नारायण—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने प्रश्न किया था कि ऐसे कौन से उसूल थे जिनके ऊपर दोनों में मेल नहीं हो सका । उसके बाद प्रधान मंत्री को आर्बिट्रेटर का मौका देने की बात कही गई । तो वही प्रश्न माननीय रामायण राय जी कर रहे हैं उनको आप अलाउ कर रहे हैं और मुझको डिस अलाउ कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये । आपके प्रश्न का उत्तर भी मिला जाता है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने पहले जवाब दिया कि विवाद यह था कि मुस्तकिल बाउण्डरी होनी चाहिये या नहीं । उत्तर प्रदेश की राय थी कि होनी चाहिये और उस उसूल को बिहार ने भी मान लिया था, लेकिन वह फिर उसको बैक आउट करना चाहते थे । लिहाजा समझौता नहीं हो सका ।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने में समर्थ हैं कि कब तक यह विवाद चालू रहेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह बतलाने में समर्थ नहीं हूं ।

हाई स्कूल परीक्षार्थी की निम्नतम आयु का निर्धारण

**५—श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर), श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर) तथा श्री डूंगर सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उच्चतर माध्यमिक (हाई स्कूल) परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के निम्नतम आयु के संबंध में कोई निर्णय हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट बोर्ड द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? तथा सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

शिक्षा उप-मन्त्री (श्री केशभान)—जी हां । माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने यह प्रस्ताव किया है कि सन् १९६८ की हाई स्कूल परीक्षा से उक्त परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की न्यूनतम उम्र उसी साल के १ जनवरी, को १४ वर्ष रहेगी । प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु प्राप्त होने पर शासन द्वारा उचित निर्णय लिया जायगा ।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस प्रस्ताव का का छोटी कक्षा के कितने छात्रों पर प्रभाव पड़ने वाला है ?

श्री केशभान—यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो जुलाई, सन् १९६३ से कक्षा ६ में प्रवश पाने वाले छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा ।

श्री रामायण—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि निम्ततम आयु संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का कारण क्या है ?

श्री केशभान—जान पड़ता है कि आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने इस संबंध में जो सुझाव दिया था उसी सुझाव पर विचार कर के बार्ड ने इस प्रकार का प्रस्ताव किया है।

प्रोबेशन आफिसरों की नियुक्ति के लिये न्यूनतम अवस्था तथा योग्यता

**६—श्री रामसुन्दर तथा श्री कल्पनार्थसिंह—क्या यह सच है कि प्रोबेशन आफिसरों की नियुक्ति के लिये न्यूनतम अवस्था २५ वर्ष निर्धारित की गई है ?

समाज-कल्याण मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—जी हां।

**७—श्री रामसुन्दर तथा श्री कल्पनार्थसिंह—क्या यह सच है कि नियुक्ति के पूर्व इन अधिकारियों को तीन मास की ट्रेनिंग करनी होगी। यदि हां, तो क्या समाज कल्याण मंत्री न्यूनतम अवस्था में कम से कम इन तीन मास की छूट देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां।

जी नहीं।

**८—श्री रामसुन्दर तथा श्री कल्पनाथ सिंह—क्या यह सच है कि प्रोबेशन आफिसर के पद के लिये आवश्यक योग्यता जो निर्धारित की गई है वह यह है कि अभ्यर्थी को समाज शास्त्र, दर्शनशास्त्र व अर्थशास्त्र या कानून का स्नातक होना चाहिये। यदि हां तो समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस कार्य के लिये दर्शनशास्त्र या अर्थशास्त्र की क्या आवश्यकता है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—प्रोबेशन आफिसर के पद के लिये आवश्यक योग्यता निम्नलिखित है:—

क—किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, अथवा अर्थशास्त्र स्नातक।

ख—हिन्दी में कार्य करने की क्षमता। प्रोबेशन आफिसर्स सर्विस रूल्स, १९५३ बनाने के समय बहुत से विश्वविद्यालयों में सामान्य मनोविज्ञान का विषय दर्शन-शास्त्र के अन्तर्गत पढ़ाया जाता था। अर्थशास्त्र समाज विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। प्रोबेशन आफिसर्स के लिये समाज विज्ञान या सामान्य मनोविज्ञान के विषय में कुछ जानकारी रखना आवश्यक है, इस विचार से उनके लिये समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र या दर्शनशास्त्र का स्नातक होना आवश्यक माना गया है।

श्री रामसुन्दर—क्या समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब आई० ए० एस० और पी०सी० एस० के लिये २१ वर्ष की आयु निर्धारित की गयी है तो प्रोबेशन अफसरों के लिये २५ वर्ष की आयु रखने का क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—रूल्स में ऐसा ही दिया हुआ है।

श्री रामायण—मंत्री जी ने बतलाया कि पहली योग्यता के अनुसार उसे अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र और समाजशास्त्र का स्नातक होना चाहिये, सामान्य मनोविज्ञान दर्शन में पढ़ाया जाता था। आज साइकालोजी स्वयं एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है और इसी तरह से यह विश्वविद्यालयों में पढ़ायी जाती है, तो मनोविज्ञान के स्नातकों को क्यों इस अवसर से वंचित किया जाता है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जैसा मैंने पहले अर्ज किया, जिस वक्त यह रूल्स बने थे उस समय साइकोलाजी और एथिक्स एक साथ पढ़ायी जाती थी, अब कुछ यूनिवर्सिटीज में अलग-अलग हो गयी हैं, लेकिन रूल्स में वही बना हुआ है, इस कारण ऐसा है। जब साइकोलाजी एक अलग सब्जेक्ट मान ली जायगी और रूल्स जब तक अमेंड न हो जायं तब तक यह ऐसा ही रहेगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—जिस प्रकार आयु में भिन्नता है और योग्यता में भिन्नता है, क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि रूल्स अमेंड करके इनको एक लेविल पर ला दिया जाय ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जहां तक आयु का संबंध है, यह समझा गया है कि इसमें कुछ तजुर्बेकार आदमी होने चाहिये इस कारण आयु २५ वर्ष की रखी गयी है। जहां तक साइकोलाजी की बात है, उस पर विचार किया जायगा और उस के साथ ही आयु के संबंध में भी विचार कर लिया जायगा और इस के अलावा अगर और कोई अमेंडमेंट बतलाये जायंगे तो उन पर भी विचार कर लिया जायगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सहकारी दुग्ध संघ लखनऊ

*१—**श्री रामकिशोर** (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी दुग्धसंघ, लखनऊ से संबंधित निम्नांकित विषयों पर क्या तथ्य हैं :—

(अ) अब तक सहायक ग्रामीण उप-समितियों को संघ के नियमों के उपनियमों की कापियां नहीं दी गई हैं ?

(ब) हैदरगढ़ तहसील में पौने तीन सेर का दूध लिया जाता है और उससे कम फैट का दूध लखनऊ में डेढ सेर का बेंचा जाता है ?

(स) क्षेत्र का सभी दूध लखनऊ आ जाने से क्षेत्र में घी, दूध की एक समस्या पैदा हो गई है ? इस पर सरकार क्या कोई प्रतिबन्ध लगायेगी ?

(द) दूध की खरीद १६ छटांक के सेर के बजाय १८ छटांक के सेर से की जाती है ?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह)—(अ) सहकारी ग्रामीण समितियां अपनी रजिस्टर्ड नियमावली के अनुसार कार्य करती हैं तथा जो समितियां संघ के नियमावली की मांग करती हैं, उनको प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त संघ से संबंध स्थापित होने के समय समितियों को संघ के नियमों से अवगत करा दिया जाता है।

(ब) यह ठीक नहीं है। समितियों से जिस स्तर (फैट) का दूध प्राप्त होता है उसी स्तर का दूध लखनऊ में वितरित किया जाता है। इस समय हैदरगढ़ तहसील की समितियों से दूध क्रय की दर १६ पये प्रति मन है। दूध के क्रय का भाव ऋतु के हिसाब से बदलता रहता है। शीत काल तथा वर्षा ऋतु में जब दूध का उत्पादन बढ़ जाता है, साधारणतया उस समय इस क्षेत्र में दूध के क्रय का भाव १४ रुपये ५५ ने०पै० प्रति मन तक रहता है। लखनऊ, में दूध रु० २४.५६ न०पै० प्रति मन के हिसाब से बेंचा जाता है।

(स) इस दुग्ध संघ का यह उद्देश्य है कि दूध के उत्पादन को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया जाय जिससे देहात तथा शहर में दूध की खपत बढ़े। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये संघ अपने संबंधित समितियों द्वारा सदस्यों को निम्नलिखित सुविधायें देता है।

१—अच्छी नस्ल के पशु खरीदने के लिये कम सूद पर ऋण की व्यवस्था।

२—हरा चारा पैदा करने के लिये अनुदान।

३—अन्य चारे के लिये अल्पकालीन ऋण इत्यादि। संघ सदस्यों से दूध उनकी इच्छा के अनुसार ही संग्रह करता है और किसी सदस्य को पूरा दूध देने के लिये बाध्य नहीं किया जाता है। ऐसी दशा में सरकार द्वारा कोई प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(द) दूध की खरीद समितियों द्वारा १८ छटांक के नाप से की जाती है और समितियां संघ को १६ छटांक के नाप से बेंचती है। यह २ छटांक का मुनाफा समितियों को मिलता है जो साल के अन्त में समिति का खर्च निकालने के बाद सहकारी समिति के ऐक्ट के अनुसार वितरित होता है।

*२—श्री रामकिशोर—क्या सरकार उक्त दुग्ध संघ के बारे में बतायेगी कि संघ की वार्षिक बचत की पूंजी का बटवारा ग्रामीण समितियों में किया जाता है। यदि हां, तो अब तक हैदरगढ़ तहसील की समितियों को कितना-कितना धन संघ की आमदनी से वितरित किया गया और इस समय संघ के पास आय का जो धन है उसका उपयोग किस कार्य में किया जायगा ?

श्री चन्द्रसिंह—संघ की वार्षिक बचत का बंटवारा सहकारी समिति ऐक्ट के अनुसार किया जाता है। हैदरगढ़ तहसील की समितियों को वर्ष १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में जो डिविडेंड तथा बोनस दिया गया है, उसकी तालिका संलग्न है। संबंधित सहकारी समितियों को डिवीडेंड तथा बोनस देने के पश्चात् जो धन शेष रहता है वह सहकारी समिति ऐक्ट के अनुसार सुरक्षित कोष तथा अन्य फंडों में जैसे इमारत फंड, मशीनरी फंड, ग्राम सुधार फंड, धर्मादा खाता तथा बट्टा खाता फंड इत्यादि में डाला जाता है, जिसमें से आवश्यकतानुसार संचालक मंडल द्वारा उक्त कार्यों में व्यय किया जाता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९१७–९१९ पर)

*३—श्री रामकिशोर—क्या संघ के डाइरेक्टरों के चुनाव के लिये क्षेत्रों का बंटवारा है, यदि है, तो चुनाव की क्या प्रणाली है ?

श्री चन्द्रसिंह—डायरेक्टरों के चुनाव के लिये कोई क्षेत्र बंटे नहीं है। बाईलाज के अनुसार समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा संघ की वार्षिक साधारण सभा में चुनाव किया जाता है।

*४—श्री रामकिशोर—जो लोग देहातों में दुग्ध संग्रह का कार्य करते हैं, उनका वेतन कौन देता है और कितना-कितना ?

श्री चन्द्रसिंह—दुग्ध संग्रह का कार्य समितियों द्वारा नियुक्त किये गये आंशिक समय में कार्य करने वाले व्यक्तियों (Part time Workers) द्वारा होता है। इन कैरियरों का मासिक वेतन दूध की मात्रा पर निर्भर है। समितियों, दुग्ध वाहकों का वेतन, दुग्ध संग्रह केंद्र से दूरी तथा दूध की मात्रा को ध्यान में रखते हुये, नियत करती है। दुग्ध वाहकों को साधारणतया निम्नलिखित दर पर वेतन दिया जाता है।

जिन समितियों में प्रतिदिन २० सेर से अधिक दूध होता है, वह समितियां दूध की मात्रा को ध्यान में रखते हुये २६ रु० से ३६ रु० तक मासिक वेतन देती हैं। परन्तु जिन समितियों में २० सेर से कम दूध होता है वह समितियां दूध की मात्रा देखते हुये १५ रुपये से २१ रुपये तक मासिक वेतन देती हैं। वेतन का भुगतान मासिक होता है।

*५—श्री रामकिशोर—संघ ने क्या ८४ मजदूरों को अलग कर दिया है और वह दर-दर मारे-मारे फिर रहे हैं ?

श्री चन्द्रसिंह—संघ ने अपनी प्रसार योजना ध्यान में रखते हुये वितरण पद्धति में परिवर्तन किये हैं जिसके अनुसार वेतन पाने वाले व्यक्तियों की जगह पर कमीशन एजेंटों द्वारा दूध वितरण करने की व्यवस्था है। अतः १९५७ से १९६२ तक नियुक्त किये गये वितरण करने वाले ८५ कर्मचारियों को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ के अनुसार पूरा मुआवजा देकर छुट्टी की है। इसमें से ४७ व्यक्तियों ने अपने मुआवजे की रकम संघ से प्राप्त कर ली है और इनमें से ३२ व्यक्तियों ने कमीशन एजेंटी का कार्य शुरू कर दिया है। शेष ३८ व्यक्तियों ने कमीशन एजेंट बनना स्वीकार नहीं किया और अपना मुआवजा भी नहीं लिया।

श्री रामकिशोर—क्या सरकार को मालूम है कि दुग्ध संघ की नियमावली की जानकारी समितियों को विधिवत इसलिये नहीं कराई जाती है कि उसका लाभ समिति के लोगों को न मिल सके और संघ मनमाने ढंग से व्यय कर सके और भ्रष्टाचार करता रहे है?

सहकारिता मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—ऐसी बात नहीं है। समिति को उसकी नियमावली की प्रतिलिपि भी दी जाती है और अगर उसके प्रतिनिधि देखना चाहें तो वे देख भी सकते हैं, उसके लिये कोई रुकावट नहीं है।

श्री रामकिशोर—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह जरूरी नहीं है कि समितियों को संघ के पूरे नियमों से अवगत कराया जाय?

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब यह है कि बिना मांगे क्यों नहीं दी जाती है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—बिना मांगे दिये जाने का सवाल यह है कि बहुत-सी समितियां है। उनके प्रतिनिधि खुद उसको बनाते हैं और वह उसको देख भी लेते हैं, उनको दिखला दिया जाता है। फिर जो मांगता है उसको उसकी प्रतिलिपि दे दी जाती है। यही अभी तक नियम रहा है।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दुग्धशाला से जो दूध बिकता है और उपभोक्ता से जो कीमत मिलती है उसमें एक रुपये में कितना पैसा प्रारम्भिक उपभोक्ता को मिलता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी तो हिसाब की बात है। बतलाया गया कि १४ रुपये ५६ नये पैसे फी मन के हिसाब से दिया जाता है और २४.५६ नये पैसे के हिसाब से उपभोक्ताओं को दिया जाता है। इसमें से आप १ रुपये मन के हिसाब से निकाल लें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—जब दूध की खरीद १६ छटांक के सेर के बजाय १८ छटांक के सेर से की जाती है, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार करेगी कि वह १६ छटांक के सेर के हिसाब से खरीदें?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो समितियां वहां पर हैं, जहां पर दूध इकट्ठा किया जाता है उनसे और कुछ न लेकर दूध की मात्रा में ही ज्यादा लिया जाता है। १८ छटांक का सेर नहीं है बल्कि २ छटांक ज्यादा खर्चे के लिये रख लेते है और जो बाकी बच रहता है वह उन्हीं सदस्यों को जिनसे दूध लिया जाता है उन्हीं में वह बांट दिया जाता है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—यह जो खरीद और बिक्री में १० रुपये मन का अन्तर है तो मंत्री जी बतलायेंगे कि १ मन पर संघ का कितना खर्चा पड़ता है और कितना मुनाफा होता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मेरे पास फिगर्स नहीं है, लेकिन इकट्ठा करने में और वितरण करने में जो खर्चा होता है उसको निकालने के बाद जो मुनाफा होता है वह शेयरहोल्डर्स को बोनस के रूप में और डिवीडेंड के रूप में बांट दिया जाता है और समितियों में भी, उसकी तालिका यहां दी हुई है।

श्री रामकिशोर—क्या सरकार बतायेगी कि यह जो १६ रुपये के रेट्स देने की बात कही गई है वह इसी वर्ष से शुरू किया गया है या पहले भी यह परम्परा थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री श्याम लाल (जिला बस्ती)——व्यवस्था का प्रश्न है। वैसे तो मैं कभी बोलता नहीं, लेकिन प्रश्न यह है कि मेरे साथ स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—नियम यह है कि प्रश्न पूछने के दो तरीके हैं। या तो आप मुझे लिख कर दें या कृपा करके मुझ से मिल लें, हमारे नियमों में यही निहित है। जो दिक्कतें हों वह मुझे बता दें तो मैं रफा करने की कोशिश करूंगा।

श्री श्यामलाल—मैं मिल चुका हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य 'संचालन नियमावली', १९५८ के नियम १६९ के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गाजीपुर जिले में हरिजन पुस्तकालयों को अनुदान

*१—श्री झिलमिट झिल्लू (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में कितने हरिजन पुस्तकालय हैं और प्रत्येक पुस्तकालय को १९५७ से १९६१ तक अलग-अलग कितने अनुदान दिये गये ? क्या सरकार बतायेगी कि क्या नये पुस्तकालय खोले जायेंगे ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जिला गाजीपुर में ६ हरिजन पुस्तकालय हैं। १९५७ से १९६१ तक दिये गये अनुदानों का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है नये पुस्तकालयों के खोले जाने की अभी कोई योजना नहीं है। इसमें विवरण हर साल का दिया हुआ, यदि और आदेश दें तो पढ़ दूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९२० पर)

श्री अध्यक्ष—नहीं, आवश्यकता नहीं है।

श्री झिलमिट झिल्लू—क्या सरकार बतायेगी कि गाजीपुर की आबादी को देखते हुए वहां पुस्तकालयों की संख्या कम है ? क्या सरकार उनकी संख्या बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इस समय तो बढ़ाने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि जितने हमारे पास साधन हैं उसी के अन्तर्गत सारे प्रदेश में पुस्तकालय खोलने हैं, जहां-जहां हरिजन बस्तियां हैं।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री बतलायेंगे कि कुल कितने पुस्तकालय हैं और उन्हें कितना अनुदान दिया गया है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री काशीनाथ—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि पुस्तकालय को अनुदान देने के पूर्व किन साधनों से पता लगाया जाता है कि यह पुस्तकालय वहां पर उपस्थित है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अधिकारियों से पता लगाया जाता है कि पुस्तकालय काम कर रहे हैं या नहीं । जो पुस्तकालय बन्द हो जाते हैं उनका अनुदान बन्द कर दिया जाता है । जो समय से रिपोर्ट नहीं भेजते हैं उनको अनुदान नहीं दिया जाता है । मिसाल के तौर पर तालिका में दिया है कि एक पुस्तकालय ने रिपोर्ट नहीं भेजी तो ६ मास का अनुदान बाद में उसको नहीं दिया गया ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करें कि हरिजन पुस्तकालयों में किस किस्म की किताबें और अखबार दिये जाते हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जिसको वह लोग पढ़ सकें और लाभ उठा सकें ।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या मंत्री महोदय बतलाने का कष्ट करेंगे कि गाजीपुर जिले में हरिजन लोगों के लिये जितने पुस्तकालय खुले हुये हैं उसमें कितने सरकारी हैं और कितने अनुदान द्वारा चलाये जा रहे हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सभी पुस्तकालय अनुदान द्वारा चलाये जाते हैं, कुल ६ हैं ।

झांसी के कुछ नागरिकों का तवायफों के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*२—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी के प्रतिष्ठित लोगों ने जिलाधीश झांसी को कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र अक्तूबर, १९६१ में इस आशय का दिया है कि उनके मोहल्ले में खानगी व तवायफों ने चारों तरफ रहना शुरू कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां, झांसी नगर के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस आशय का शिकायती-पत्र जिलाधीश को दिया था । यह बात सही नहीं है कि तवायफों व खानगियों ने रहना शुरू कर दिया है । वास्तव में वह एक अर्से से वहां रह रही है । जिलाधीश ने उस क्षेत्र की देख-रेख के लिये पुलिस की व्यवस्था कर दी है । सरकार द्वारा झांसी में जिला शरणालय एवं प्रवेशालय स्थापित किया जा रहा है । तदुपरान्त वहां अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत एक विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी और इस समस्या का और भी समुचित रूप से समाधान हो सकेगा ।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि झांसी के नागरिकों की तरफ से जो प्रार्थना-पत्र आया है उसमें यह भी निवेदन किया गया है कि वहां पर एक प्राचीन मस्जिद है और वह शरीफों का मोहल्ला है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या ऐक्ट नम्बर १०४, १९५६ झांसी में लागू करने की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से शीघ्र की जा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यही ऐक्ट है जिसका मैंने जिक्र किया है । वहां होम्स खोलने के बाद स्पेशल पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जायगा । यूं तो सारे देश में ऐक्ट लागू है, वहां भी लागू है, सिर्फ एन्फोर्समेन्ट का सवाल है । होम्स खोल लेने के बाद स्पेशल पुलिस आफिसर्स मुकर्रर करेंगे ।

आजमगढ़ जिले से सहायतार्थ प्रार्थना-पत्र

*३—श्री रामसुन्दर—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ६ हरिजनों के प्रार्थना-पत्र के साथ ९ मई, १९६१ का भेजा हुआ प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें हरिजनों के कुयें एवं घर बनाने में सहायता की मांग की गई थी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां ।

*४—श्री रामसुन्दर—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दरख्वास्तों पर कौन-सी कार्यवाही की गई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—प्रार्थना-पत्र आवश्यक कार्यवाही के लिये जिलाधीश, आजमगढ़ को भेज दिये गये थे । परन्तु धनाभाव के कारण किसी व्यक्ति को अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सका ।

श्री रामसुन्दर—क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश को यह प्रार्थना-पत्र कब पहुंचा और किस समय धनराशि खत्म हो गई थी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—प्रार्थना-पत्र यहां पेटीशन डिपार्टमेंट में प्राप्त हुआ था, मुख्य मंत्री के यहां, वह २५ सितम्बर, १९६१ को जिलाधीश के यहां भेज दिया गया ।

श्री रामसुन्दर—२५ सितम्बर को अनुदान हरिजन कल्याण विभाग में था या नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सारा धन क्षेत्रीय समितियों को भेज दिया जाता है और वहां से उसका वितरण होता है ।

श्री रामसुन्दर—जब प्रार्थना-पत्र वहाँ पहुंचा तो धन था या नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यहां से कुल धन भेज दिया जाता है और जरुरत और प्रायोरेटी के हिसाब से दिया जाता है ।

श्री रामायण—क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इन आवेदकों को प्रायोरिटी दी जाय और कम से कम इस वर्ष तो अनुदान मिल जाय ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—आदेश भेज दिये गये हैं कि इस साल इन प्रार्थना-पत्रों को प्रिफ्रेंस दिया जाय ।

गाजीपुर जिले में मुसहरजाति उत्थान सम्बन्धी कार्य

*५—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील के मुसहरों को बसानें के लिये हरिजन विभाग द्वारा क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—१६ मुसहर परिवारों को बसाने के लिये ७५० रुपये प्रति मकान के हिसाब से गृह निर्माण हेतु सहायता प्रदान की गई ।

*६—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में मुसहर जाति के उत्थान के लिये १० साल के अन्दर क्या सहायता दी गयी है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—गाजीपुर जिले में मुसहर जाति के उत्थान के लिये पिछले १० वर्षों में निम्नलिखित सहायता दी गई :—

<u>गृह निर्माण एवं सुधार—</u>

९० मुसहर परिवारों के गृह निर्माण हेतु तथा ६ परिवारों को गृह सुधार हेतु सहायता प्रदान की गई ।

कूप निर्माण—

११ ग्रामों में मुसहर बस्तियों के अन्तर्गत पेय जल कूपों का निर्माण कराया गया ।

कृषि उत्थान—

मुसहर जातीय ३ निर्धन परिवारों को १५० रुपये प्रति परिवार के हिसाब से सहायता प्रदान की गई ।

श्री कमलासिंह यादव—किन-किन स्थानों पर और कितने रुपये से ये मकान बनाये गये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इस ब्यौरे के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामायण—क्या सरकार ने पता लगाया है कि गाजीपुर में ऐसे कितने परिवारों के लिये रहने की व्यवस्था करनी है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—नोटिस चाहिये ।

श्री कमलासिंह यादव—आज भी जिस अपर्याप्त भोजन पर मुसहर लोग अपना गुजारा कर रहे हैं उसे देखते हुये सरकार ने उनकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इस प्रश्न से खाने का संबंध नहीं है ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—जिनको सहायता दी गई उन्होंने मकान तैयार कर लिये हैं या नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—न तैयार करने की कोई रिपोर्ट नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह—सैदपुर तहसील में कितने मुसहर परिवारों को सहायता दी गई और क्या यह सही है कि उनकी संख्या वहां प्रत्येक और तहसील से अधिक है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुसहरों का अनुदान नाकाफी होने की वजह से सरकार कोई विशेष व्यवस्था करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अगर आवश्यकता होगी तो जरूर विचार किया जायगा ।

श्री रामायण—मुसहरों के प्रतिनिधियों के कहने पर क्यों नहीं सरकार कोई व्यवस्था करती है ?

श्री अध्यक्ष—उनका कहना है कि अगर कोई प्रार्थना आवेगी कि जरूरत है तो विचार कर लिया जायगा ।

श्री रामसुन्दर—सहायता प्राप्त लोगों को अपनी ओर से कितना रुपया मिलाना पड़ता है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सहायता सरकार से डाइरेक्ट नहीं दी जाती है । क्षेत्रीय समितियों द्वारा वितरित होती है ।

[२३ मई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कोआपरेटिव आडीटर्स की सुविधायें बढ़ाने की सिफारिश

*१—श्री गयाप्रसाद (अनुपस्थित)—कोआपरेटिव आडिटर्स की टूरिंग ड्यूटी को ध्यान में रख कर और उनके यात्रा भत्ते की पुरानी निश्चित दर को देखते हुये, क्या सरकार उनके यात्रा भत्ते की दर में वृद्धि करने का विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—इस प्रकार का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*२—श्री गयाप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कोआपरेटिव आडिटर्स की टूरिंग ड्यूटी को ध्यान में रख कर उनको एक-एक चपरासी देने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

हरिजन कन्या पाठशाला, पत्हनी का भवन

*३—श्री सुरजन (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन कन्या पाठशाला, पत्हनी, जिला आजमगढ़ के पास अपना कोई निजी पाठशाला भवन है ? यदि हां, तो क्या उस भवन का किराया भी सरकार द्वारा पाठशाला के मैनेजर को दिया जाता है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां, पाठशाला के पास अपना निजी भवन है, परन्तु सरकार द्वारा उसके लिये कोई किराया नहीं दिया जाता है।

*४-६—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—[१७ मई, १९६२ को प्रश्न संख्या १४२-१४४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*७-८—श्री रामकिशोर—[६ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*९-१०—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—[६ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*११—श्री राजेंद्रसिंह (जिला एटा)—[६ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

"विरोधी" सहकारी समिति का "भर्थना" के साथ सम्मिलित होना

*१२—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले की भर्थना खंड की ग्राम 'विरोधी' की सहकारी समिति भर्थना क्षेत्रीय सहकारी समिति में किस प्रकार शामिल कर दी गई है ? क्या प्रारम्भिक समिति विरोधी ने ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकार किया था ? यदि हां, तो किस बैठक में और किस प्रस्ताव के द्वारा तथा कितने सदस्य उस बैठक में उपस्थित थे ? यदि नहीं, तो बिना समिति की इच्छा के यह समिति क्षेत्रीय सहकारी समिति में अवैधानिक तौर पर शामिल कर देने वालों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की और उक्त समिति का क्षेत्रीय सहकारी समिति से संबंध विच्छेद क्यों नहीं किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—'विरोधी' सहकारी समिति ने अपनी विशेष साधारण सभा दिनांक २५-१२-५७ में, जिसमें ४३ सदस्य उपस्थित थे, प्रस्ताव संख्या १ द्वारा सर्वसम्मति से क्षेत्रीय सहकारी समिति "भर्थना" में सम्मिलित होने का निश्चय किया था। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*१३-१४--श्री हिम्मतसिंह तथा श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--[७ वें सोमवार के लिये प्रश्न ४-५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१५--श्री रघुनाथ (जिला बलिया)--[६ जून, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१६-१८--श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती)--[२४ मई, १९६२ के लिये प्रश्न ४-६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सहकारी सुपरवाइजरों को महंगाई भत्ते की वृत्ति न मिलना

*१९--श्री जमीलुर्रहमान किदवाई (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६२ से ५ रुपया माहवार बढ़ा महंगाई भत्ता सहकारी सुपरवाइजरों को दिया गया कि नहीं? यदि नहीं, तो न देने का क्या कारण है?

श्री चतुर्भुजशर्मा--सहकारी सुपरवाइजर सरकारी कर्मचारी नहीं है। सहकारी संघ (Co-operative Union) धनाभाव के कारण उनके भत्ते में कोई वृद्धि नहीं कर सकी।

*२०--श्री जमीलुर्रहमान किदवाई (अनुपस्थित)--क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त बढ़ा महंगाई भत्ता सहकारी सुपरवाइजरों को कब से देना आरम्भ होगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सुपरवाइजरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि सहकारी संघ की आर्थिक स्थिति पर निर्भर है।

*२१--श्री जमीलुर्रहमान किदवाई (अनुपस्थित)--क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी सुपरवाइजरों को बीज भंडार में काम करने का ५ रुपये माहवार अलाउन्स जो दिया जाता था वह क्या अब बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से बन्द किया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा--बीज भंडार में काम करने वाले सुपरवाइजरों को ५ रुपये माहवार का विशेष भत्ता अच्छे काम के प्रोत्साहन हेतु दिया जाता था, लेकिन बाद में यह अनुभव किया गया कि ५ पये अतिरिक्त भत्ता देने का वांछित परिणाम नहीं हुआ। अतः पहली जुलाई, १९५९ से यह भत्ता बन्द कर दिया गया और इसके बजाय विशेष अच्छा काम करने वाले बीज भंडार सुपरवाइजर को क्षेत्रीय उप-निबन्धक की सिफारिश पर १०० रुपये तक वार्षिक पुरस्कार देना निश्चय किया गया।

पिछड़ी जातियों के मानने का आधार

*२२--श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा) तथा श्री सहदेवसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि केन्द्रीय सरकार ने पिछड़ी जातियों का निर्धारण करने के संबंध में कोई राय प्रान्तीय सरकार से हाल ही में मांगी है? यदि हां, तो पिछड़ी जातियों का निर्णय करने के लिये सरकार ने किन-किन आधारों का सुझाव दिया है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--जी नहीं।

श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकार की राय अगर अभी हाल में नहीं मांगी तो क्या इससे पहले मांगी थी?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--जी नहीं।

श्री रामायण--क्या प्रान्तीय सरकार के पास पिछड़ी हुई जातियों की कोई सूची है, यदि हां, तो वह किस आधार पर बनायी गयी है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सन् १९५० में डाक्टर सम्पूर्णानन्द कमेटी मुकर्रर की गयी थी. उसने पिछड़ी जातियों की एक सूची बनायी थी। उस कमेटी के बाद सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से हर सूबे के लिये एक-एक कमेटी मुकर्रर हुई, उसने एक सूची यहां के लिये बनायी। उस सूची के आधार पर प्रेसीडेंट साहब ने आर्टिकिल ३३८ के हिसाब से उसको मंजूर अभी नहीं किया, इसलिये डाक्टर सम्पूर्णानन्द वाली कमेंटी ने जो अन्य पिछड़ी जातियों की सूची बनाई थी, वही सूची लागू है। उसके अलावा और कोई सूची नहीं है।

श्री रामायण—कोई सूची विशेष जिसको यह सरकार मानती है पिछड़ी हुई जातियों की, उसके बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि उसका निश्चय किस आधार पर किया गया था ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उसका आधार तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि न तो बैकवर्ड क्लासेज कमीशन ने ही इसका कोई आधार दिया है और न डाक्टर सम्पूर्णानन्द वाली कमेटी ने ही उसका कोई आधार दिया। लेकिन उन दोनों कमेटियों की जो लिस्ट है वह, जो पुस्तक बांटी गयी है उसके परिशिष्ट में दी गयी है। लेकिन दोनों लिस्टें किस आधार पर बनायी गयी हैं, इसके बारे में नहीं बताया गया है।

श्री देवदत्त (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी पिछड़ी हुई जातियों की सूची बनाते समय जन्मजात आधार को छोड़ कर आर्थिक आधार स्वीकार करने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—नयी सूची बनाना मेरे अधिकार में नहीं है। कान्स्टीट्यूशन के हिसाब से एक सूची बनी हुई है, वही इस वक्त लागू है। उस सूची के रिवीजन का इस समय कोई प्रश्न न तो इस सरकार के सामने है और न केन्द्रीय सरकार के सामने है। सरकार की इस समय नीति यह है कि यह सूची बढ़ाई न जाय।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट और प्रान्तीय सरकार ने जो सूची डाक्टर सम्पूर्णानंद कमेटी से तैयार करायी, क्या इन दोनों सूचियों में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो क्या कुछ जातियों को एक लिस्ट में छोड़ दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में आप किताब में स्वयं देख सकते हैं।

श्री दीपनारायण सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन्होंने अनुच्छेद ३३८ का हवाला दिया वह न होकर अनुच्छेद ३४० है जिसमें सोशली और एजूकेशनली बैकवर्ड क्लासेज का जिक्र किया गया है। उसके अनुसार बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट तैयार की गयी और उसने पिछड़ेपन को जातिगत आधार माना। तो क्या माननीय मंत्री जी उसी को आधार मानेंगे सामाजिक पिछड़ेपन को मानने का, न कि आर्थिक दृष्टिकोण को ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—आर्टिकल ३४० के अनुसार प्रेसीडेंट ने एक कमीशन मुकर्रर किया था। उस कमीशन ने जो सूची दी है अन्य पिछड़ी जातियों की वह १२० है और डाक्टर संपूर्णानन्द कमेटी ने जो सूची दी है उसमें ६४ है। आर्टिकल ३४० के अनुसार कमीशन की रिपोर्ट के पश्चात् प्रेसीडेंट को उस सूची को घोषित करने का अधिकार था। अगर वे १२० जातियों को घोषित कर देते, तो वे हमारे लिये मान्य हो जातीं, परन्तु वह रिपोर्ट बैकवर्ड कमीशन की पन्त जी के नोट के साथ पेश की गयी और प्रेसीडेन्ट ने उन १२० जातियों को घोषित नहीं किया। उसका फल यह हुआ कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट में जो जातियां दी गयी हैं वे ही रह जाती हैं, क्योंकि १२० जो उसमें दी गयी हैं वे घोषित नहीं की गयीं। जब तक वे घोषित न हों तो केवल रिपोर्ट में से उनको वह मान्यता प्राप्त नहीं होती।

श्री कल्पनाथसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो बची हुई जातियां है उनको पिछड़ी जाति के अन्दर घोषित न करने का कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष---वे बतला रहे हैं कि एक कमीशन है, उस कमीशन ने एक निश्चय किया और वह निश्चय प्रेसीडेंट महोदय के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन सकता है । अतः वर्तमान स्थिति में डाक्टर सम्पूर्णानन्द कमेटी ने जो सूची बनायी थी वही लागू है ।

श्री कल्पनाथसिंह---इसीलिये मैं क्लेरिफिकेशन कराना चाहता हूं कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट में और पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट में---इन दोनों में अन्तर है, तो इस सरकार को क्या दिक्कत है कि वह पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट को नहीं मान सकती है ?

श्री अध्यक्ष---वही तो उन्होंने बतलाया कि जब तक प्रेसीडेण्ट का हस्ताक्षर न हो तब तक सरकार उसे स्वीकार नहीं कर सकती है ।

श्री नरसिंह नारायण---अभी जो किताब बटी है, इस किताब में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा यह संस्तुति की गयी है कि इस प्रदेश में १४ जातियां है जो जनजाति घोषित हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि इन १४ जातियों को जनजाति घोषित करने का आधार क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---पिछड़े वर्ग में चार तरह के लोग हैं । एक तो शिड्यूल्ड कास्ट, दूसरे शिड्यूल्ड ट्राइब्स, तीसरे नोटिफाइड ट्राइब्स और चौथे अदर बैकवर्ड क्लासेज । तो शिड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जन जातियां इस वक्त यू० पी० में एक भी नहीं है । इसलिये हमने इन चौदह जातियों को जो जान शिड्यूल्ड ट्राइब्स कही जाती हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वे शिड्यूल्ड ट्राइब्स मे आ जायं । अगर वे शिड्यूल्ड ट्राइब्स में आ जाती हैं तो फिर केन्द्रीय सरकार से उनको सहायता मिलने लगेगी । जब तक वे शिड्यूल्ड ट्राइब्स डिक्लेयर नहीं होती हैं तब तक हमने उनको नान शिड्यूल्ड ट्राइब्स में रख दिया है । वैसे हम चाहते हैं कि ये चौदह जातियां शिड्यूल्ड ट्राइब्स के खाने में आ जायं ।

*२३---**श्री टम्बेश्वरी प्रसाद**---[६ जून, १९६२ लिये स्थगित किया गया ।]

*२४-२५---**श्री सहदेवसिंह**---[६ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

रायबरेली जिले में बिक्री-कर कर्मचारियों के वेतन का वितरण

*२६---**श्री भगवानदास यादवेन्दु** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले के बिक्री-कर विभाग के कर्मचारियों को हर माह का वेतन किस तारीख को मिलता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---रायबरेली के बिक्री-कर विभाग के कर्मचारियों को अक्तूबर, १९६१ से पूर्व हर माह का वेतन साधारणतः आगामी माह की पहिली तारीख को मिल जाया करता था । परन्तु उक्त तिथि से फाइनैन्शियल हैन्डबुक, वाल्यूम ५, भाग १ (Financial Hand Book, Vol. V.part I) के पैरा ९८ में संशोधन के फलस्वरूप, रायबरेली सद-र्सकिल के कर्मचारियों को उनका वेतन आगामी मास की ५ या ६ तारीख से पूर्व वितरण करना सम्भव नहीं है ।

*२७---**श्री भगवानदास यादवेन्दु** (अनुपस्थित)---[हटा दिया गया है ।]

कच्चा आढ़ती संघ की मांगें

*२८—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलदशहर) तथा श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या वित्त मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि कच्चा आढ़ती संघ का कोई डेपुटेशन उन्हें हाल में मिला है ? यदि हां, तो उनकी क्या-क्या मांगे हैं ?

वित्त उप-मन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—जी हां। १७ अप्रैल, १९६२ को कच्चा आढ़तियों का एक डेपुटेशन आया था जिसने निम्नलिखित मांगे की हैं :—

(१) ऐसे कच्चे आढ़ती पर, जो केवल बिचौला (intermediary) का काम करते हैं, बिक्री-कर न लगाया जाय, तथा

(२) ऐसे कच्चे आढ़ती पर, जो कृषकों की ओर से खरीद- रोख्त का व्यापार करते हों, बिक्री-कर न लगाया जाय क्योंकि बिक्री-कर ऐक्ट के अन्तर्गत कृषकों पर बिक्री-कर देने का कोई दायित्व नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कच्चा आढ़ती संघ ने जो मांगे रखी थीं उन के संबंध में सरकार ने निर्णय अभी किया है या नहीं ? यदि किया है तो वह क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—विचार तो उन के बारे में जरूर हुआ है और उन की इस तरह की मांग इसी बार नहीं बल्कि कई साल से होती चली आ रही है लेकिन उसमें कुछ कठिनाइयां हैं। जो डीलर की परिभाषा अभी तक हमारे ऐक्ट में है अगर उसमें वह आ जाते हैं यानी अपने निर्देशों की ओर से खरीद-फरोख्त का काम करते हैं या खुद बेचने का काम करते हैं तो वह डीलर की परिभाषा में आ जाते हैं और उस हालत में तो उन्हें कर देना ही होगा लेकिन अगर वह केवल बिचौला का काम करते हैं तो उनकी कर से मुक्ति हो सकती है लेकिन कोई कच्चा आढ़ती केवल बिचौले या तौले का काम करता है इस का फैसला तो कर निर्धारक अधिकारी ही कर सकता है और जब पूरे कागजात वह लोग उसके सामने रखें तभी वह इस का फैसला कर सकता है। उन पर ज्यादती न हो इसलिये उनके मामले पर एक बार फिर विचार किया जायगा, एडवोकेट जनरल से इस मामले में सलाह के बाद कुछ विचार होगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिचौले का काम कौन करता है इस का निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—यह तो हर जगह का अलग-अलग सवाल है, जो साबित कर देगा कि उसका काम तो केवल बिचौले या तौला का है उस पर टैक्स नहीं लगेगा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समस्या या ऐसी अनेक समस्याओं के बारे में जिनका कि इस सदन में और सदन के बाहर जिक्र होता रहता है और सरकार का ध्यान दिलाया जाता रहा है, कोई कमीशन या कमेटी बनाने की बात सोच रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ऐसा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि इन तमाम मामलों पर विचार करने के लिये कोई कमेटी बनाई जाय।

अप्रशिक्षित कोआपरेटिव इंस्पेक्टर्स की सेवायें समाप्त करना

*२९—श्री नौरंगलाल (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहकारिता विभाग की कुछ कोआपरेटिव इंस्पेक्टर्स की १ मई, १९६२ से सेवायें समाप्त की जा रही हैं ? यदि हां, तो कितनों की और क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, १९ कोआपरेटिव इंस्पेक्टर्स की सेवायें उनके अप्रशिक्षित होने के कारण लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की सम्मति से १ मई, १९६२ से समाप्त कर दी गई हैं।

*३०—**श्री नौरंगलाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ये इंस्पेक्टर्स विभाग में कब से कार्य कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—एक इंस्पेक्टर १९५८ से, एक १९६० से और बाकी सत्तरह, १९५९ से विभाग में कार्य कर रहे थे।

हरिजनों को सरकारी नौकरियां देने के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट

*३१—**श्री सोहनलाल धुसिया** (जिला बस्ती)—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "श्री राधा कृष्ण अग्रवाल" की अध्यक्षता में हरिजनों के सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व की जांच और सुझाव देने के संबंध में बैठी हुई समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब पेश की तथा किन कारणों से सरकार ने उस रिपोर्ट को अभी तक प्रकाशित नहीं किया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—२४ अगस्त, १९६० ई०।

प्रकाशानार्थ प्रेस को रिपोर्ट भेजी गई है परन्तु प्रतियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। रिपोर्ट की मुख्य बातें सदन की मेज पर ७-४-६१ को मुख्य मंत्री द्वारा रक्खी गई थीं।

श्री सोहनलाल धुसिया—इन मोटी-मोटी बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ? और, क्या उन मोटी-मोटी बातों को मेम्बरान में भी सर्कुलेट किया जायगा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। और उसके एक्सट्रेक्ट्स लिये गये हैं लेकिन ब्योरा देना इस समय सम्भव नहीं है।

श्री सोहनलाल धुसिया—श्रीमन्, मैंने यह पूछा था कि इन मोटी-मोटी बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये और क्या मेम्बरान को भी उसकी कापी भेज दी जायगी ताकि वे भी उससे अवगत हो जायं ?

श्री अध्यक्ष—जितना उत्तर आया है वह तो प्रोसीडिंग में आ जायगा।

श्री काशीनाथ—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी समाज कल्याणमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि किसी आदरणीय सदस्य का प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, यह कहने का हक किसी मंत्री को है या आपको है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं दी, केवल अपनी असमर्थता का एक कारण बताया कि वह समझते हैं मूल प्रश्न से यह प्रश्न नहीं उठता, इस वजह से वे उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्या मंत्रियों को अध्यक्ष महोदय, यह अधिकार नहीं है कि आपकी तवज्जह उस तरफ दिलायें ?

श्री अध्यक्ष—ठीक है, वह हो गया। इट इज आल राइट।

श्री ऊदल—मंत्री जी बतायेंगे कि जब संविधान में १८ प्रतिशत रिजर्वेशन है हरिजनों का, तो जो राधाकृष्ण अग्रवाल कमेटी बैठी उसके बैठाने के क्या कारण पैदा हो गये ?

श्री अध्यक्ष—मूल प्रश्न तो उस कमेटी की रिपोर्ट के प्रकाशन के बारे में है।

श्री ऊदल—जी नहीं, हरिजनों को नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने के बारे में है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जब १८ फीसदी रिजर्वेशन है तो क्या यह रिजर्वेशन पूरा नहीं हो रहा है इसलिये इस कमेटी की आवश्यकता पड़ी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उस समय वह कमेटी क्यों नियुक्त की गई थी इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इस वक्त प्रश्न यह था कि उस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि नहीं। मैंने अर्ज किया कि प्रेस में भेजी गई है और उसके प्रकाशित होने के पहले जो मुख्य बातें थीं वे माननीय मुख्य मंत्री सदन के सामने रख चुके हैं।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मंत्री जी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। आप आधा घंटे का समय अलाऊ कीजिये क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—इस पर आप अलग से प्रश्न कर सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण—मैं व्यवस्था का प्रश्न यह पेश करना चाहता हूं कि कमेटी बैठी, उसकी रिपोर्ट प्रकाशन में आयी, वह इम्प्लीमेन्ट हुई कि नहीं, यह प्रश्न तो जरूर है। लेकिन क्यों कमेटी बैठाई गई और उस कमेटी की रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं ? क्यों बैठायी गई ? और अगर है तो मंत्री जी क्यों नहीं बता रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—अगर है तो आपको किताब जब छप कर मिलेगी, उससे मालूम हो जायगा।

सराय प्रयाग के हरिजन परिवारों को बसाने पर विचार

*३२—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या समाज कल्याण मंत्री को इस बात की जानकारी है कि सराय प्रयाग व गुरुसहाय गंज, जिला फर्रुखाबाद में कंजड़ों व नटों के कुछ परिवार जी०टी० रोड पर बिला जमीन मिलने के कारण बसे हुये हैं ? क्या इन परिवार वालों ने कभी जिलाधीश या सरकार से जमीन के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जी हां। सराय प्रयाग में बसे हुये परिवारों ने नवम्बर, १९६१ में भूमि हेतु जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन-पत्र दिया था। गुरुसहाय गंज में बसे परिवारों द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र दिये जाने की सूचना नहीं है।

*३३—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (अनुपस्थित)—अगर हां, तो सरकार की तरफ से उन लोगों के बसाने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इनको बसाने के हेतु उचित भूमि प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। भूमि प्राप्त होने के पश्चात् इन लोगों को न केवल भूमि ही दी जायगी। बल्कि उनके लिये मकान बनाने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

*३४-३५—**श्री छत्रपति अम्बेश** (जिला आगरा)—[६ जून, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य में नगरों की श्रेणियां

*३६—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के कौन-कौन से नगर ए, बी तथा सी श्रेणी में हैं ?

श्री जयराम वर्मा—राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को केवल यात्रा भत्ता (travelling allowance) देने के लिये प्रदेश के शहरों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा है:—

"ए" श्रेणी के नगर

(१) कानपुर, (२) लखनऊ, (३) आगरा, (४) वाराणसी, (५) इलाहाबाद, (६) बरेली, (७) मेरठ, (८) नैनीताल, (९) मंसूरी, (१०) देहरादून।

"बी" श्रेणी के नगर

(१) मुरादाबाद, (२) अलीगढ़, (३) झांसी, (४) शाहजहांपुर, (५) सहारनपुर, (६) रामपुर, (७) हरिद्वार, (८) गोरखपुर।

"सी" श्रेणी में अन्य सब नगर

*३७—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद को "बी" श्रेणी में रखने हेतु सरकार ने केंद्रीय सरकार से लिखा पढ़ी की है ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

श्री जयराम वर्मा—राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को यात्रा भत्ता (travelling allowance) देने के लिये इलाहाबाद को पहिले से ही 'ए' श्रेणी में रखा है। परन्तु केंद्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को Compensatory तथा House Rent allowance देने के लिये इलाहाबाद को 'सी' श्रेणी में रखा है। चूंकि इस शहर को "सी" श्रेणी से "बी" श्रेणी में रखने का प्रश्न केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों से संबंधित है इस लिये इस सिलसिले में राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार से लिखा पढ़ी करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—मंत्री जी बतायेंगे जिस प्रकार से सरकार ने इलाहाबाद को "ए" श्रेणी नगरों में रखा है, तो क्या सरकार केन्द्रीय सरकार को लिखेगी कि इलाहाबाद को "बी" श्रेणी में कर दिया जाय ?

श्री जयराम वर्मा—यह प्रश्न राज्य सरकार से संबंधित नहीं है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये श्रेणी विभाजन किया है उसमें इलाहाबाद "ए" श्रेणी में है और जहां तक केन्द्रीय सरकार और उसके कर्मचारियों का सम्बन्ध है उसको केन्द्रीय सरकार को करना चाहिये।

श्री रामायण—यह वर्गीकरण बहुत पुराना हो गया है और जनसंख्या बहुत से नगरों की काफी बढ़ गयी है, इस बात को देखते हुये क्या पुनः सरकार इस वर्गीकरण को कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—राज्य सरकार ने अपने काम के लिये वर्गीकरण कर रखा है। केंद्रीय सरकार अपने काम के लिये वर्गीकरण स्वयं करती है। अगर उसे जरूरत इस बात की महसूस होगी तो स्वयं इस प्रश्न को उठायेगी।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है माननीय नरसिंहनारायण जी का। उसको मैंने अस्वीकृत किया है और मैं समझता हूं कि प्रश्न करने से उनका उद्देश्य पूरा हो सकता है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---आपने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया वह शिरोधार्य है। लेकिन प्रदेश में बाढ़ आने वाली है और गोमती पर ४० फुट कुआं अन्दर चला गया और कोई इन्तजाम बाढ़ के पहले नहीं हो सकेगा। साढ़े चार करोड़ की स्कीम फेल होने जा रही है। माननीय मंत्री जी से इस बारे में कहा जाय कि वे इस बारे में कोई व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष---आपने कह दिया। वह व्यवस्था कर ही रहे होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है, वरना आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें।

बलिया जिले की अदालत में उपस्थित अभियुक्त को पुलिस द्वारा बलपूर्वक कोतवाली ले जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचना

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने श्री रामायण की सूचना को स्वीकार किया है। वह इस प्रकार से है:---

"बलिया जिले के ए०डी०एम० (जे०) की अदालत में दिनांक १७ मई को प्रातः साढ़े ७ बजे अवधेशकुमार सिंह नामक अभियुक्त जिस पर हत्या का आरोप था अपने वकीलों के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। पुलिस को जैसे ही यह ज्ञात हुआ दलबल सहित न्यायालय कक्ष में पहुंच गई और अभियुक्त को कमरे से बाहर ले जाना चाहा। उपस्थित वकीलों ने उसे ऐसा करने से मना किया। इस बीच वहां अन्य काफी वकील तथा लोग एकत्रित हो गये। पुलिस वकीलों को गाली देते तथा धक्का देते अभियुक्त को कमरे से घसीट ले गई और कोतवाली पहुंचा दिया। कोतवाली के समक्ष क्षुब्ध नागरिकों की काफी संख्या एकत्रित हो गई। जिलाधीश स्वयं परिस्थिति को बिगड़ते देख कोतवाली पहुंचे तथा अभियुक्त को अपनी गाड़ी से ले जा कर अदालत के समक्ष उपस्थित किये।

पुलिस के इस गैर कानूनी कृत्य, दुर्व्यवहार तथा न्याय मार्ग में अनुचित अवरोध उपस्थित करने के कृत्य से जनता में क्षोभ तथा आतंक व्याप्त है।"

इसको मैंने संबंधित मंत्री महोदय के पास भेज दिया है। वह कब इस संबंध में बतला सकते हैं।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---तीन चार रोज लग जायेंगे।

श्री अध्यक्ष---२६,२७ को दे दिया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---२६ तारीख तक सूचना प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा।

प्रश्नों तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---बाज-बाज प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, ऐसे स्थगित हो जाते हैं जिनकी जानकारी सचिवालय मात्र से होती है जैसे प्रश्न संख्या २३ दो हफ्ते के लिये स्थगित कर दिया गया है। तब सदन शायद न बैठे। माननीय मंत्री उपस्थित थे और जानकारी सचिवालय की थी। तो अध्यक्ष महोदय, आप ऐसी आज्ञा दें कि जो ऐसे प्रश्न हों उन पर विशेष ध्यान दिया जाय और अकारण वे न टाले जायं।

श्री अध्यक्ष---आप कुछ बातें हमारे सचिव से कह रहे थे। मैं भी समझ लूं, अगर आप आ जायं, कि क्या बात है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—एक और कठिनाई है अध्यक्ष महोदय कि यहां का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसमें अभी तक कुछ पुराने सर्टिफिकेट्स नहीं भेजे गये हैं जिसकी वजह से सभी सदस्यों के बिल्स ट्रेजरी में रुके हुये हैं। आप इस पर भी व्यक्तिगत ध्यान दें तो मंत्री जी जल्दी करवा देंगे। यह मामला....

श्री अध्यक्ष—व्यक्तिगत ध्यान मैं दूंगा, फिर आप सारे सदन के सामने क्यों बात कहते हैं। वहीं बातचीत हो जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हमने आज नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न दिया था। १९ तारीख को गोरखपुर जिले में एक मोटर दुर्घटना हो गयी जिसमें ३६ आदमियों के सख्त चोटें आयीं। मोटर बिल्कुल चूर-चूर हो गयी। एक सप्ताह के अन्दर दो रोडवेज बसों की दुर्घटना हो चुकी है। इस पर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—जो नियम ५२ में स्वीकार नहीं किया गया है उसका प्रश्न आप कर सकते हैं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। पिछले दिन जब असेम्बली उठ रही थी उस दिन भी मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना दी थी....

श्री अध्यक्ष—इसके लिये आप अलग बातचीत कर सकते हैं, सदन से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। ऐसा होता आया है, इस सदन की परम्परा है और हमारी प्रक्रिया नियमावली में भी इस की व्यवस्था है कि जो मंत्री महोदय प्रस्ताव पेश करते हैं वही अन्त में उसका जवाब देते हैं या जो माननीय सदस्य कटौती का मोशन पेश करते हैं वही उस कटौती का जवाब देते हैं....

श्री अध्यक्ष—प्रश्न क्या है।

श्री नरसिंह नारायण—तो मैं यही प्रश्न करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग का जब अनुदान चल रहा था तो माननीय श्री महावीरप्रसाद जी ने उस अनुदान को पेश किया था....

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न कीजिये।

श्री नरसिंहनारायण—मैंने वही कहा कि जो मंत्री अनुदान पेश करते हैं वे ही उसका जवाब न दे कर दूसरे मंत्री उसका जवाब देते हैं जबकि उन्हीं को जवाब भी देना चाहिये। तो आप इस पर व्यवस्था दें ताकि प्रक्रिया नियमावली का पालन हो सके।

श्री अध्यक्ष—जब प्रश्न उठेगा, उस वक्त मैं जवाब दे दूंगा।

श्री लखपतराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आप बैठिये।

श्री लखपतराम शर्मा—कम से कम निवेदन तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, अब मैं किसी को इजाजत नहीं देता।

श्री लखपतराम शर्मा—मेरा निवेदन तो सुन लीजिये कि ५० बच्चे मर चुके हैं.....

श्री अध्यक्ष—लखपतराम जी, मैं आदेश देता हूं, आप बैठें।

१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां तथा अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण

*समाज कल्याण मन्त्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, २,५९,८३,५०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—दूसरा भी पेश कर दीजिये।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, ४१,७६,८०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक समाज कल्याण और हरिजन कल्याण का सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध में जो कुछ भी कार्यवाही विभाग द्वारा की गई है, वह एक पुस्तिका में, जो आज बांटी गई है दी गई हैं। मुझे दुख है कि बावजूद कोशिश के यह पहले बांटी न जा सकी। वह पुस्तिका १९ को तैयार हो सकी और उसके बाद सदन बैठा नहीं। यदि पहले से बांट दी गई होती तो शायद माननीय सदस्यों को अधिक सुविधा होती। मैं कोशिश इस बात की करूंगा कि इस पुस्तिका की जो मुख्य-मुख्य बातें हैं उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करूं।

अब क्या-क्या इस साल करना है वह बजट में दिया हुआ है। मुझे खुशी है कि जो कटौती के प्रस्ताव हैं उनमें कोई भी प्रस्ताव ११९(ख) का नहीं है इसके माने यह हैं। कि कोई यह नहीं कहता कि जितना रुपया मांगा गया है उसमें कमी हो जाय। कुछ प्रस्ताव ऐसे है जो (क) और (ग) के हैं। उनमें केवल नीति के ऊपर वाद विवाद होना है और जो कुछ शिकायतें हैं वे सदन के सामने पेश होंगी। मैं इच्छुक हूं उन शिकायतों को और सुझावों को सुनूं और उन पर अमल करने की कोशिश की जाय। कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिनमें टेक्नीकल आब्जेक्शन हो सकता है कि वह आउट आफ आर्डर है परन्तु मैं समझता हूं कि जिस कदर बहस और मुबाहिसा हो जाय और सुझाव सामने आ जायें तो अच्छा है क्योंकि दोनों विभाग समाज कल्याण और हरिजन कल्याण के ऐसे हैं जिनका काम सेवा का काम है। इनमें कोई हुकूमत की बात नहीं है और ज्यादा से ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है पूरे सदन की और जनता की। इस रिपोर्ट में माननीय सदस्य देखेंगे कि जो पुस्तिका दी गई है उसमें बहुत से वालन्टियर आर्गेनाइजेशन्स ऐसे हैं जिनको हम अनुदान देकर उनसे काम लेते हैं। जब तक ये संस्थायें काम न करें तब तक यह काम पूरा नहीं हो सकता क्योंकि यह बड़े विस्तार का काम है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जितने सुझाव जो माननीय सदस्य देना चाहें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वे सब आज देदें और चूंकि यह पुस्तिका देर में मिली है इस कारण यह भी हो सकता है कि साल भर तक सुझाव देते रहें और उनको पूरा करने की कोशिश, सरकार जहां तक हो सकेगा, करेगी।

अब पिछड़े वर्ग क्या हैं इसके बारे में मैं प्रश्नों के सिलसिले में बतला चुका हूं और वह सूची आप देखेंगे कि इस पुस्तिका के परिशिष्ट २, ३, ४, ५ और ६ में दी गई है। ये वे जातियां हैं जिनके कल्याण की व्यवस्था इस विभाग द्वारा की जाती है। १९६१–६२ में इस बात की कोशिश की गई कि समाज कल्याण और हरिजन कल्याण विभाग का एकीकरण किया जाय और अब दोनों विभाग एक (डायरेक्टर) निदेशक के अन्तर्गत हैं और ६ उप निदेशक तथा ५ सहायक निदेशक हैं और हर जिले में एक जिला हरिजन और समाज कल्याण अधिकारी हैं और इसके बाद आनरेरियम देकर वर्कर्स मुकर्रर किये गये हैं। इस तरह से इस विभाग के अधिकारियों की यह मशीनरी है। इसके बाद हर जिले में एक जिला समिति बना दी गई है जिसका विधान दिया हुआ है इस पुस्तिका के परिशिष्ट २७, में पृष्ठ ८५ पर। ऐसी जो समितियां हैं उन सब समितियों को अनुदान दिया जाता है। उस अनुदान की सूची परिशिष्ट १४, पृष्ठ ६०–६४ तक दी हुई है। आप देखेंगे कि अब इसका इन्तजाम इस प्रकार का है। जिला समितियां हैं। उनको यहां से अनुदान दिया जाता है और हर जिले में तीन उप–समितियां बना दी गई हैं। १९ अप्रैल, १९६२ का आखिरी जी० ओ० है। उसके अनुसार हमने उप समितियां बना दी हैं। एक एजूकेशन सब कमेटी है, दूसरी है स्विपर्स वेलफेयर कमेटी। तीसरी है इंडस्ट्रीज सब कमेटी। इन सब कमेटियों और जिला कमेटियों के द्वारा हरिजन कल्याण का काम किया जाता है। इसके बाद फिर क्षेत्रीय समितियां बनी हैं, क्योंकि जो सहायता दी जाती है उसको देखने के लिये कि उसका सदुपयोग हो रहा है, यह यहां से बैठ कर निर्णय नहीं किया जा सकता है। न यही बात की जा सकती है कि जो यहां दरख्वास्तें आती हैं, उसमें किसकी कितनी जरूरत है, कहां जलकूप बनाना है, क्या संस्था कायम करनी है, किस चीज से हरिजनों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण होगा यह यहां से बैठ कर निश्चय करना बहुत मुश्किल है। इसलिये यह काम जिला सब-कमेटियों, जिला कमेटियों, क्षेत्र समितियों और पंचायत कमेटियों तक चला गया है। वहां अनुदान का रुपया वितरण किया जाता है। वही व्यय होता है।

जो मुख्य-मुख्य काम हो रहे हैं, उनमें एक है छुआछूत को दूर करना। इस बजट में हमने १ लाख ७९ हजार ४ सौ रुपया रखा है। उसका काम इस तरह से होगा कि पब्लिसिटी यूनिट्स कायम की गई हैं। बीक्स बनाये जाते हैं और कैश अवार्ड्स पंचायतों को दिये जाते हैं। जो वालंटरी आर्गनाइजेशंस हैं उनको हम रुपया देते हैं कि वह छुआछूत दूर करने की कोशिश करें।

दूसरा काम जो इस विभाग द्वारा किया जाता है वह शिक्षा का है। हमने इसके लिये कुछ पिछड़ी जातियों को चार हिस्सों में तकसीम कर रखा है। एक तो अनुसूचित जातियां हैं। उनको सरकार की तरफ से फ्री एजूकेशन दी जाती है और उसके बाद इस बात का खयाल रखा जाता है और जो उनकी फीस पड़ती है वह उसमें शामिल कर ली जाती है। नये होस्टल्स खोले जा रहे हैं और पुराने होस्टल्स हैं, उन पर खर्चा है ५ लाख ९५ हजार। इस तरह से यह अनुसूचित जातियों के लिये है।

नोटिफाइड ट्राइब्स को स्कालरशिप देते हैं। आश्रम टाइप स्कूल खोले गये हैं जिस का जिक्र इस पुस्तिका में है। दो स्कूल इस टाइप के खोले हैं इलाहाबाद और लखनऊ में, और तीन और खोलने वाले हैं गोरखपुर, रामपुर और गुरुकुल कांगड़ी में। यह भी विचार किया जा रहा है कि ऐसे आश्रम टाइप स्कूल नोटीफाइड ट्राइब्स की लड़कियों के लिये भी खोल

[श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव]

दें। जो अन्य पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको हम केवल स्कालरशिप देते हैं और जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया था शिड्यूल ट्राइब्स के लिये और नान शिड्यूल ट्राइब्स के लिये फिलहाल हम स्कालरशिप देते हैं। इस प्रकार हम शिक्षा में काम कर रहे हैं।

तीसरा काम उनकी आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने का है और उसके लिये एक तो कृषि में और दूसरे औद्योगिक क्षेत्र में हम उनको सहायता दे रहे हैं। कृषि के लिये हरिजनों की कालोनी हम बसाते हैं और नोटीफाइड ट्राइब्स के लिये भी जमीन हासिल की जा रही है। आप देखेंगे कि बजट में वाल्यूम ५ के पृष्ठ १६१ पर और वाल्यूम ४ के पृष्ठ २२९ पर इनके बारे में दिया गया है। इस तरह से इस सम्बन्ध में २८ लाख २१ रुपये की मांग पेश की गई है। औद्योगिक विकास के लिये इंडस्ट्रियल एस्टेट्स कायम करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिये जगह-जगह पर जमीन हासिल की गई है और काम जारी है। यह तो विकास के काम हरिजन कल्याण विभाग से किये जा रहे हैं जो कि आपको बजट में और इस पुस्तिका में मिलेंगे।

इसी प्रकार समाज कल्याण का विभाग है। समाज कल्याण एक ऐसा व्यापक शब्द है कि उसमें सारी कल्याण की बातें आ जाती हैं। परन्तु जो रकम इसके लिये दी गई है वह मैं निवेदन करूंगा कि बहुत कम रकम है। उसके हिसाब से जितना काम अपने सामने है वह काम बहुत है। फिर भी उस काम को करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिये महिला मंगल योजना एक कायम है जो पुस्तिका के शिड्यूल १५ में दी हुई है। मूक बधिर विद्यालय और अन्ध विद्यालय खुले हुये हैं और भिक्षुक कर्मशाला खोली गई है तथा इन सबको चलाया जा रहा है और फिर उत्तर रक्षा गृह और शरणालय इत्यादि खोले गये हैं। इसके अलावा परिवीक्षण (प्रोबेशन) का कार्य चल रहा है। नगर समाज कल्याण समितियां बनाई गई हैं। समाज कल्याण समितियों के बनाने का विधान परिशिष्ट २७ में दे दिया गया है और उनका कार्य परिशिष्ट २८ में दिया हुआ है। यह नगर समाज कल्याण समितियां बन जायें तब समाज कल्याण का कार्य जोरों से चल सकता है। इसकी बड़ी आवश्यकता है कि ऐसी समितियां जल्दी से जल्दी सब जगह बन जांय। इसके अलावा जो स्वेच्छिक मूक बधिर और अन्ध विद्यालय हैं उनको हम छात्रवृति और अनुदान देते हैं जो परिशिष्ट ३२ और ३३ में इस पुस्तिका में दिया गया है और जो नयी स्कीमें सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं वह बजट के भाग ३ में पृष्ठ १६१ तथा १६७ दी गई हैं।

अब इन स्कीमों को चलाने के लिये जितनी सहायता की जरूरत है और जितने सहयोग की जरूरत है वह यदि माननीय सदस्य देगें और अपने कटौती के प्रस्तावों पर अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे तो उन पर विचार करने की कोशिश की जायगी। अगर कोई स्पेसिफिक बात है, इस प्रकार का सुझाव है कि जिसके द्वारा किसी पर्टीकुलर बात की तरफ ध्यान दिलाना है तो उसको देखा जाय और देखकर के उस पर विचार किया जाय। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि यह तो ऐसी मांगें हैं कि जिनको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह दोनों कल्याण के कार्य करने में सब लोगों को अपना सहयोग देना है और अपने सुझाव पेश करने हैं। वह सुझाव हमेशा वेलकम किये जायेंगे। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इन दोनों अनुदानों को सदन के सामने स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या ३०—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है और जिन लोगों के लिये पेश किया है वह इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि इस देश में सब से पिछड़े हुये लोग हैं और सबसे निम्न स्तर के लोग हैं और गरीबी के कारण पाताल में विचरण करने वाले लोग हैं। कब्ल इसके कि मैं, माननीय मन्त्री जी ने जैसा कहा कि इतना इतना किन–किन विभागों पर खर्च हुआ, कितने विद्यालय खुले, कितने अधिनियम बनाये गये और हरिजन तथा अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लिये कितने उत्थान के कार्य किये गये, इन बातों पर कुछ कहूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी कठिन समस्याओं की, किसी भी बीमारी की आधारभूत कठिनाइयों और कमियों को खत्म करने के लिये, क्रांतिकारी कदम नहीं उठाये गये हैं। ऊपर से मलहम लगाने की शक्ल सरकार हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है।

मेरा चार्ज है कि सिर्फ ऊपर से मलहम लगाने से ही यह सरकार चाहती है कि २ करोड़ ७० लाख अनुसूचित जाति और हरिजन लोगों का भला हो जाय। यदि सरकार वास्तव में यह चाहती है कि उनको ऊपर उठाया जाय तो मलहम लगाने की प्रक्रिया सरकार को छोड़नी पड़ेगी। यह देखना पड़ेगा कि आप अपने बजट से उस २ करोड़ ७० लाख की जनता के लिये क्या कर रहे हैं, और उनको क्या इसमें से दे रहे हैं। आपका बजट उनके लिये, अगर कर्जे को भी जोड़ लिया जाय, तो करीब ३ करोड़ का हो जाता है। उस बजट में आप इस साल उनके लिये क्या दे रहे हैं? मैं समझता हूं आपने डेढ़ फीसदी से अधिक उनको इस बजट में से हिस्सा नहीं दिया है। अगर आप उन पिछड़े लोगों को उठाना चाहते हैं जिनकी संख्या २ करोड़ ७० लाख है और जो करीब ४ हजार वर्ष से हिन्दुस्तान में दबाये गये हैं, जो ऊंचे वर्ण की जुल्म और ज्यादती की वजह से, या अपनी कमजोरी की वजह से या अपना संगठन न होने की वजह से चार हजार वर्ष से नीचे गिरे हुये हैं और पाताल में धंसे हुये लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था से पीड़ित हैं, उन २ करोड़ ७० लाख लोगों को यदि हमारी सरकार उठाना चाहती है तो मलहम लगाकर ऊपर से उनको नहीं उठा सकती और न बजट का डेढ़ फीसदी हिस्सा देकर उठा सकती है।

श्रीमन्, मैं मनुस्मृति पढ़ रहा था। मनुस्मृति में मनु ने लिखा है कि उच्च वर्ण के लोग इस बात पर बहुत गर्व करते हैं। मैंने भी उसको पढ़ा है। उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं। मगर उसमें हरिजनों के प्रति और उनके चरित्र के प्रति जो कुछ लिखा गया है उसने इस समाज का बड़ा नुकसान किया है। मैं चाहता था कि उनको उठाने के लिये प्रदेशीय सरकार के पास कोई पूर्ण योजना होती। उनके समाज के कल्याण के लिये कोई योजना होती। केन्द्रीय सरकार को भी उसके लिये कोई बोर्ड बैठाना चाहिये था। किस तरह से बुद्ध के जमाने में कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये कार्य किया था, उस समय दुनिया में बौद्ध धर्म के जो दो भाग हो गये थे उनको एक करने के लिये दोनों अनुयायिओं–हीनयान और महायान दोनों का महात्मा बुद्ध ने एक सम्मेलन बुलाया था। इस बात पर विचार करने के लिये बुलाया था कि बुद्ध के समय में हीनयान और महायान के मतावलम्बी क्यों नीचे गिर रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में महात्मा बुद्ध ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश में, गिरे हुये लोगों को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया। महात्मा बुद्ध ने इस बात को खुलकर कहा कि हे गिरे हुये लोगो इस बात को याद रखो कि समाज में सभी प्राणी समान हैं, मानव मानव में भेद नहीं। चौराहे पर खड़े होकर कहा और जब उनकी पुकार पर लोग कुशीनगर में बैशाली में, सारनाथ में सामने आये और एक कतार में खड़े हुये तो उनको कहा गया "बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्म्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।" और जब वे बिना भेद भाव के, बिना रंग भेद के एक समान व्यवहार पाने लगे तो उनको शक होने लगा कहीं यह धोका तो नहीं है। इस व्यवहार ने उन नीचे गिरे हुये लोगों को ऊपर उठाया और

[श्री उग्रसेन]

इससे दुनिया के लोग ऊपर उठ गये लकिन हिन्दुस्तान म शंकराचार्य के सनातन धर्म के तर्क ने उनको उठने न दिया। उन्होंने तर्कों से उस उठने वाली प्रक्रिया को रोक कर उनको नीचे ही दबा रहने दिया।

चीन में, यूरोप में, कंबोडिया में, सभी जगह लोग उठे इस धर्म से। बर्मा में बुद्ध धर्म का मन्त्रिमन्डल है, उनको अपनी गाड़ियां हैं और उनके लिये विशेष व्यवस्था है, लेकिन वहां उनको उठाने की कोशिश फिर किसी ने नहीं की। मैं मनुस्मृति का एक श्लोक सुनाता हूं। आप सोचें कि ४,००० साल पहले की मनुस्मृति का श्लोक जिन लोगों को आज जगाता है उनका क्या होना चाहिये। यह १८९वां श्लोक है जिसमें लिखा है कि वेद का ज्ञाता ब्राह्मण भी यदि लोभ से शूद्र का दान लेता है तो वह पानी में कच्ची मिट्टी के बर्तन के समान शीघ्र ही शरीर आदि के सहित नष्ट हो जाता है। दूसरा श्लोक है जिसका अर्थ है कि यदि शूद्र के पास धन हो तो ब्राह्मण का परम कर्तव्य है कि वह उसको ले ले। अब इन श्लोकों को सामने रख कर आप समाज कल्याण करेंगे? और उनकी कोई व्यवस्था नहीं करेंगे? मैं तो कहता हूं कि मनुस्मृति से ऐसे श्लोक फाड़ देने चाहिये। यह समाज को नीचे गिराते हैं। फिर आगे कहा गया है कि "स्त्री शूद्रौ नाधीयताम्" स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है और फिर आगे चल कर समाज को वर्णों में बांटा गया है। जो वास्तव में जमीन का मालिक था, जिसने जमीन समतल बनायी, जिसने झाड़, झंखाड़ काटे, ढोर और पशुओं का प्रबन्ध किया, उसे आपने अछूत बना दिया.....

श्री अध्यक्ष—उग्रसेन जी, समाज कल्याण मन्त्री जी ने मनुस्मृति को अपना बजट का आधार नहीं बनाया है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, यदि इस समय माननीय मन्त्री जी को यह न पढ़ाया जायगा तो यह हमारी कमी रह जायगी। जिन लोगों के लिये यह बजट बनाया गया है और जिनके लाभ के लिये यह अनुदान रखा गया है उन के लिये, उनके उत्थान के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी। महात्मा गांधी जी जब राजनीति में आये तो उन्होंने कहा कि हरिजन अछूत नहीं हैं और इस सिलसिले में मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। यह रिपोर्ट डिप्रेस्ड क्लासेज के बारे में है। इसमें आंकड़े दिये गये हैं कि इनमें कितने फीसदी हैं जो उत्तर प्रदेश में बसते हैं। उनका प्रतिशत दिया गया है। इनमें चमार हैं ५८.८७ प्रतिशत, पासी हैं १३.७३ प्रतिशत, कोरी हैं ६.८९ प्रतिशत, धोबी हैं ६.२४ प्रतिशत, भंगी हैं ४.४९ प्रतिशत, खटिक हैं १.७९ प्रतिशत और डोम हैं १.२३ प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इन के लिये एक सम्पूर्ण सर्वे किया गया था और इस पुस्तक का नाम है—'survey of Living Conditions in Uttar Pradesh' यह जे० के० इंस्टीट्यूट द्वारा कराया गया था। इन तमाम बातों को देखते हुए उस सर्वे पार्टी ने इस बारे में अपने रीजन्स दिये हैं कि हरिजनों के कितने प्रतिशत लड़के स्कूलों में पढ़ते हैं और वे क्यों फेल हो जाते हैं तथा इतने कम प्रतिशत में क्यों जाते हैं। उसमें यह लिखा है कि गरीबी के कारण कम संख्या में उनके लड़के पढ़ने जाते हैं। यहीं लखनऊ के पास इटौंजा में ७०.९ प्रतिशत लड़के स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं। मेरठ जिले में एक गांव में १७६ परिवार हैं मगर वहां भी ७१.९ प्रतिशत बच्चे स्कूल में नहीं जाते। लखनऊ और कानपुर में १५६ परिवार हैं और उनमें ७८ प्रतिशत बच्चे स्कूलों में नहीं जाते। उसका कारण है केवल गरीबी। जब तक उनकी गरीबी को दूर नहीं किया जायेगा तब तक आप उनका उद्धार नहीं कर सकते। आज ७५ फीसदी से ज्यादा उनमें खेतिहर मजदूर लोग हैं जिनको किसी औद्योगिक धन्धे में नहीं लगाया जा रहा है। आपने ४ सेन्टर जरूर खोले हैं अपने यहां, मगर वहां से १००—५० लड़के ट्रेनिंग प्राप्त करके निकलते हैं और वहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके लिये कोई इस बात का आश्वासन नहीं होता कि ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद उनको किसी

उद्योग में लगाया जायेगा। हमने आपसे कहा कि जितनी भूमि आपके पास फालतू बचे उसे इन लोगों में बांट दीजिये। अगर आपने सोशलिस्ट पार्टी की नीति को मान लिया होता..

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---आपने कितनी भूमि बाटी है ?

श्री उग्रसेन---आप सुनिये तो। सोशलिस्ट पार्टी ने कहा था कि जितने भूमिहीन लोग हैं उनको, बड़े-बड़े काश्तकारों की भूमि लेकर, राजा मनकापुर की भूमि लेकर, उस भूमि को बांट दीजिये और अगर ऐसा आप नहीं करते तो सोशलिस्ट पार्टी को मौका दीजिये। फिर देखिये भूमि का बटवारा होता है या नहीं।

(व्यवधान)

तो मेरा यह निवेदन है कि जब तक आप भूमिहीन हरिजनों को जमीन नहीं देंगे, जब तक राजा मनकापुर आदि लोगों की, जिनके पास ८-८ हजार एकड़ भूमि है, भूमि को जब्त नहीं करेंगे, तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। आप चाहे एक बजट लायें, चाहे दो बजट लायें उनका सुधार नहीं हो सकता। आपको उनके लिये शिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करना होगा, शिक्षा उनके लिये अनिवार्य करनी होगी। माननीय मन्त्री जी ने किताब देर से बांटने के लिये कहा, उनको उसके लिये माफी मांगनी चाहिये थी।

श्रीमन्, आप जानते हैं, आज गांव की क्या हालत है ? वहां पर बहुत से ऐसे हरिजन बालक हैं जिनके पास कागज, पेन्सिल, किताबें आदि नहीं हैं और कपड़े तक पहनने के लिये नहीं हैं। इसी सैम्पिल सर्वे की रिपोर्ट में यह भी आंकड़े दिये गये हैं कि उच्च वर्ण के लड़कों को जो कपड़ा मिलता है वह करीब १७.५६ गज औसत है जब कि हरिजन के लड़कों पर ३-४ गज का है। श्रीमन्, गांव में लड़के जो वस्त्र पहनते हैं उसको भगई कहते हैं और लड़की जो वस्त्र पहनती हैं उसको बिहरी कहते हैं---तो इस भगई और बिहरी में लिपटा हुआ गांधी और सुभाष का यह देश है।

मैं प्राइमरी स्कूल में अपने क्षेत्र में गया था। मैंने मास्टर साहब से पूछा कि लड़के कहां हैं ? मास्टर साहब ने कहा कि मछली मारने गये हैं। तालाब में रोहू मछली वगैरह मार रहे होंगे। मछली ले जा कर बाजार में बेचते हैं तब खाते हैं, और आप चाहते हैं कि वह भी कलेक्टर हों, हिन्दुस्तान के प्रशासन में भाग लें। यह दोनों बातें नहीं हो सकतीं। क्यों नहीं हो सकतीं ? इसलिये कि जबतक आप इस विभाग में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं लायेंगे तबतक कुछ होने वाला नहीं है। २ करोड़ रुपया मुश्किल से आपने दिया, इससे कैसे आप उन गिरे हुए लोगों को उठा सकते हैं ? पहले दोनों विभाग अलग-अलग थे, तब उनके क्रियाकलाप और दरियादिली का काफी परिचय मिला। जब दोनों को एक बना दिया गया तो दोनों विभागों में बहुत झगड़ा है। बखशी का तालाब की शिक्षा सम्बन्धी ग्रांट हम को मिलनी चाहिये और यह हरिजनों के लड़कों को जो ग्रांट दी जाती है वह किसको देनी चाहिये ? इस तरह के झगड़े हैं।

काम का बटवारा हरिजन कल्याण और हरिजन विभाग में ठीक-ठीक नहीं है। कम से कम यह इतना बड़ा विभाग है कि एक मन्त्री विशेष तौर से इस विभाग के लिये रखा जाय और इन दोनों विभागों में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जाय। विभाग में पहले समितियों को ५-५ सौ रुपया दिया कि आप छूआछूत मिटाने के लिये अथक प्रयत्न कीजिये। अथक प्रयत्न क्या कीजिये ? पोस्टर छपाइये, परचे बांटिये। सहभोज के बारे में रामायणराय जी को याद होगा कि मैंने प्रश्न किया था कि देवरिया जिले में कितने सहभोज किये गये ? उत्तर दिया गया कि वहां के हरिजन अफसरों, को, कार्यकर्ताओं को पैसा दे दिया गया इस काम के लिये। लेकिन मैं पूछता हूं कि जब सहभोज किया गया तो उस क्षेत्र के विधायक, स्वनाम धन्य लोग, सम्भ्रान्त लोग उसमें मौजूद थे या नहीं ? ५ जिलों को ग्रांट भी बांट दी गयी। मैं कहता हूं कि जबतक

[श्री उग्रसेन]

माननीय कमलापति त्रिपाठी, हुकुमसिंह विसेन, चौधरीचरण सिंह साहब और डाक्टर सीताराम चौधरी गिरधारीलाल सभी मिल कर अपने नाम से "त्रिपाठी", "विसेन", "चौधरी" काट कर कर एक साथ मिल कर समाज की चौपाल पर नहीं बैठेंगे, एक साथ भोज नहीं करेंगे तबतक छुआछूत नहीं मिट सकता है।

इस रिपोर्ट में लिखा है कि ८०–८५ फीसदी अछूतों की समस्या ज्यों की त्यों है। १९५५ में अस्पृश्यता निवारण विधेयक बना कि कुओं पर हरिजन और सवर्ण दोनों पानी भरें। रिपोर्ट यह है कि ऐसा इन्तजाम हो गया है कि गांव में कामन वेल हैं, सामूहिक कुएं हैं। वहां पर हरिजन, ठाकुर, ब्राह्मण और कायस्थ और गुप्ता जी भी पानी भरते हैं, मगर बारी बारी से भरते हैं। मैं कहता हूं कि यह बारी-बारी का कानून काहे का? आपके पास कितने सुपरवाइजर हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत सा स्टाफ है। आप आंकड़े दीजिये कि कितने गांवों के कुएं ऐसे हैं जिनपर ठाकुर साहब, ब्राह्मण, कायस्थ, गुप्ताजी और हरिजन सब एक साथ पानी भरने के लिये जाते हैं और एक साथ घड़े डुबाते हैं? बात तो यह है कि आज एक ही चारपाई पर ब्राह्मण और हरिजन नहीं बैठ सकते। क्या यह सच नहीं है? यह बिल्कुल मनोवैज्ञानिक प्रश्न है, सामाजिक क्रान्ति का प्रश्न है। अभी आप कहेंगे कि ठाकुर साहब की बारात जा रही थी तो घुरऊ हरिजन चारपाई पर बैठा था। ठीक है, उसे बैठा रहने दीजिये, लेकिन हम तो तब मानें जब एक ही चारपाई पर ठाकुर साहब और घुरऊ बैठें और ठाकुर साहब उसके साथ बैठना पसन्द करें। हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सदन में तो बैठते हैं। मगर मैं कहता हूं कि जब दावतों में जाते हैं मन्त्री लोग तो डाक्टर सीताराम जी मौजूद हैं, मैं कहना चाहता हूं कि डाक्टर सीताराम जी से पूछा जाय कि कितने मन्त्री एक साथ बैठ कर ठाकुर साहब, ब्राह्मण, गुप्ताजी और कायस्थ उनके साथ और चौधरी गिरधारीलाल के साथ दावतों में खाना खाते हैं? मन्त्रिगण जाते हैं और देखते हैं कि वहां हरिजन विभाग के कर्मचारी जरा दूर बैठें। अगर नजदीक बैठेंगे तो सब ब्राह्मण और ठाकुर नाराज हो जायेंगे। माननीय ठाकुर हुकुमसिंह जी...

श्री अध्यक्ष—आप व्यक्तिगत बातें न कहें।

श्री उग्रसेन—मान्यवर, यह मामला सामाजिक क्रान्ति का है। राजनीतिक क्रान्ति और आर्थिक क्रान्ति के बीच में जबतक सामाजिक क्रान्ति नहीं होगी तबतक कोई मुल्क उठ नहीं सकता। इसी लिये हमारे नेता डाक्टर राममनोहर लोहिया ने कहा है कि मार्क्स ने यह सिद्धान्त दिया कि दुनिया में वर्गविहीन समाज बनने के बाद गरीबों का राज्य होगा, समाजवाद आयेगा। मगर देश में जबतक वर्गविहीन के बाद वर्णविहीन समाज नहीं बनेगा तब तक दबे हुए लोग उठ नहीं सकते। हमने अपने घोषणा पत्र में इसकी खास व्यवस्था की है। समाजवादी दल के घोषणा-पत्र से मैं दो लाइनें पढ़ना चाहूंगा: "औरत, शूद्र, हरिजन, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पिछड़ी जातियों को सभी ऊंची जगहों पर साठ प्रतिशत संरक्षण तबतक मिले जबतक जातिगत विद्या-बुद्धि संस्कार मिट नहीं जाते। जनसंख्या का ९० सैकड़ा होते हुए ये पिछड़े ऊंचे स्थानों पर पांच से दस सैकड़ा हैं।"

मान्यवर, काकासाहब कालेलकर की अध्यक्षता में जो बैकवर्ड क्लासेज कमीशन बैठा था उसने अपनी रिपोर्ट में के पेज १४० पर लिखा है, यह सिफारिश की है कि किस तरह से हरिजन तथा पिछड़ी जातियों को सरकारी विभागों में संरक्षण दिया जाय। सरकारी तथा स्थानीय निकायों में २५ प्रतिशत, दूसरे दर्जे में साढ़े ३३ प्रतिशत, तीसरे तथा चौथे दर्जे में ४० प्रतिशत। मगर सरकार ने जो १८ प्रतिशत भी किया है वह भी पूरा नहीं है। क्या इसमें हरिजनों की गलती है? अभी एक रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि अच्छे और योग्य हरिजन नहीं मिलते। अगर आप योग्यता को आधार मानकर चलेंगे तो हरिजन कभी ऊंचे नहीं उठ सकते। जबतक आप उनको विशेष अवसर नहीं देंगे तबतक वह ऊपर नहीं उठ सकते। आप उनको विशेष अवसर तबतक दीजिये जबतक कि वह औरों की बराबरी में न आ जायं।

अब आप ट्रांसपोर्ट विभाग, सिंचाई विभाग और पुलिस विभाग में हरिजनों को क्या संरक्षण दिया गया है उसको देखिये।

ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट जिसके मन्त्री माननीय डाक्टर सीताराम जी थे उसमें हरिजनों का संरक्षण इस प्रकार से है :—

	पदों की संख्या	हरिजनों की संख्या
टेक्निकल इंस्पेक्टर	४	शून्य
रीजनल इंस्पेक्टर	१०	शून्य
अस्थायी रीजनल इंस्पेक्टर	१०	शून्य
ए० पी० पी०	६	शून्य
टी० एस०	२९	शून्य
हेडक्वार्टर पर भी देख लिया जाय :		
अपर डिवीजन क्लर्क	३१	शून्य
लोवर डिवीजन क्लर्क	५३	शून्य
सीनियर एकाउन्टेन्ट	४	शून्य
जूनियर एकाउन्टेन्ट	४	शून्य

अब सिंचाई विभाग को देखा जाय जोकि माननीय गिरधारी लाल जी के अन्तर्गत रह चुका है :—

ओवरसियर	८९३	१
रिसर्च सुपरवाइजर	२२५	१
मिनिस्टीरियल स्टाफ	२५९	..
जिलेदार	२४४	..
ट्यूबवेल आपरेटर	५,३३९	..

यह है सरकार का हरिजनों के लिये आगाध प्रेम :

पुलिस विभाग—		
कानिस्टेबुल	४७,४१६	१,३७२
हेड कानिस्टेबुल	८,२५८	९८
सब-इंसपेक्टर	३,२०९	१११
इंसपेक्टर	४२२	..
उप पुलिस अधीक्षक	२८५	१२
सहायक पुलिस अधीक्षक	२३	२
अधीक्षक	९६	१

[श्री उग्रसेन]

इस पर भी उन लोगों को उन स्थानों में नहीं रखा गया जो बड़े-बड़े जिलों के अच्छे स्थान हैं। छोटे-छोटे जिलों में रखा गया है।

धुसिया साहब इस कमेटी में थे या नहीं, लेकिन एक कमेटी हरिजनों के बारे में प्रबन्धकारिणी समिति की ओर से बैठी थी। उसमें वीरसेन जी जो इस समय मन्त्रिमन्डल में हैं, थे। उन्होंने कुछ बहुत अच्छे सुझाव भी दिये थे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उस कमेटी ने कौन-कौन सी सिफारिशें मुख्य रूप से की थीं और सरकार ने उनको क्यों लागू नहीं किया। उस कमेटी ने कुछ आंकड़े दिये थे और बताया था कि बड़ी-बड़ी जगहों पर हरिजन क्यों नहीं लिये जाते। हरिजन वेलफेयर आफिसर ९ लिये गये जिसमें से ५ हरिजन थे। कुल भर्ती ५० हुई जिसमें से १४ हरिजन लिये गये। आगे का ब्योरा इस प्रकार है—

विभाग		कुल संख्या		हरिजन
प्लानिंग	बडी पोस्ट	३८२	..	३७
कोआपरेटिव	..	२७१	..	१५
मेडिकल	..	७२५	..	२
एनीमल हस्बैंडरी ..	..	५१	..	..
पी० डब्ल्यू डी० ..	बड़े पद	४५	..	..
पी० डब्ल्यू० डी० ..	छोटे पद	..	..	३
एग्रीकल्चर	बड़े पद	२५	..	..
एग्रीकल्चर	छोटे पद	४७	..	..
एप्वाइन्टमेंट (ए) ...	बड़े पद	५९०	..	३१
एप्वाइन्टमेंट ...	छोटे पद	३१५	..	३२

यह बात नहीं है कि हरिजनों में योग्यता कम है इसलिये उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है, लेकिन उनको उस योग्यता को दिखाने का अवसर ही नहीं मिल पाता। जो इन्टरव्यू कमेटी बैठती है उसमें ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ और गुप्ता जी यही लोग होते हैं और जब उनके सामने जाति वाली बात आती है तो कोई अन्दर का स्रोत छू जाता है। इसलिये पहले आपको उनकी आर्थिक उन्नति करनी ही होगी।

श्रीमन्, यह समाज कल्याण विभाग कई कार्य करता है—महिला मंगल योजना चलाता है, बाल अपराधियों के लिये बरेली और आगरा में प्रबन्ध किया गया है। श्रीमन्, सरकार के पास अभी तक इस बात के भी आंकड़े नहीं हैं कि ६० वर्ष से ऊपर के बूढ़ों की तादाद क्या है। बाढ़ का प्रबन्ध तो आप तभी कर सकेंगे जब आपको बाढ़ का पूरा इतिहास मालूम हो। इसके अतिरिक्त मन्त्री जी को यह भी पता नहीं है कि राज्य में भिखमंगे कितने हैं। जब कि इस उत्तर प्रदेश में कई लाख भिखमंगे हैं। सरकार ने केवल २–३ भिक्षुक सदन खोले हैं जिनमें ३३–३३, ३४–३४ भिक्षुक हैं। जब विदेशी लोग बाहर से मथुरा, वृन्दावन, वाराणसी, हरिद्वार आते हैं तो मिस मेयो तो वे बन नहीं जाते। लेकिन वे कुछ न कुछ लिख ही देते हैं। उसके बाद जो अनैतिक व्यापार आदि को रोकने का अधिनियम गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बनाया है उसके। लागू करने का भार, उसको सुचारू रूप से चलाने का भार राज्य सरकार के ऊपर है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने

उन वैश्याओं को जो नगर के मध्य में रहा करती थीं, डंडे मार-मार कर निकाल तो दिया, लेकिन क्या कभी आपने इस बात को भी सोचा कि उनकी दिक्कतें क्या हैं? आपने जो वाराणसी, देहरादून आदि स्थानों पर शरणार्थी गृह बनाये हैं वे नाकाफी हैं और उनकी चर्चा आपको इस रिपोर्ट में नहीं करनी चाहिये कि थी, लेकिन आपने उसकी चर्चा की है।

एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और हमारे कम्युनिस्ट बेंच के भाई इसको ज्यादा जानते हैं। चीन में अफीम और वैश्याओं का बड़ा भारी मर्ज था। उसकी वजह से सारा समाज छिन्न-भिन्न था। जब माओत्से तुंग ने शासन का भार सम्भाला तो उनके सामने यह एक बड़ी भारी समस्या मुंह बाये खड़ी थी। फिर उसने इन सब का सर्वेक्षण कराया और उससे यह मालूम किया कि हमारे देश में कितनी वैश्यायें हैं जो सड़कों के चौराहे पर चन्द चांदी के टुकड़ों पर अपनी इज्जत को बेचने पर मजबूर हैं। इसके बाद उन लोगों के लिये रहने के स्थान बनाये गये जहां उनको १५ दिन तक ट्रेनिंग दी गयी कि वे प्राथमिक शिक्षा जहां चालू है वहां काम कर सकें। उस समय वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ, ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ एक आन्दोलन चला था जिसे गुफान कहते थे और उस आन्दोलन का नतीजा यह हुआ कि चीन की वे वैश्यायें जो सड़कों के चौराहों पर अनैतिक व्यापार करती थीं, वे आज यूनिवर्सिटीज, कालेज, स्कूल्स व प्राथमिक शिक्षा की बिल्कुल स्तम्भ बनी हुई हैं। क्या आपने भी ऐसी कोई योजना यहां चलायी है? शायद आप समझते हैं कि अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस की नियुक्ति कर देना व दो चार व्यक्तियों का चालान कर देना ही काफी है। क्या इसी तरह से आप इस समस्या को हल कर सकते हैं? मैं तो समझता हूं कि इस तरह से आप शहर से इस कीचड़ व गन्दगी को देहात में फैलने से रोक नहीं सकेंगे। इसके लिये तो आपको एक क्रान्तिकारी कदम उठाना पड़ेगा और सबसे बड़ा कदम यह है कि जिस तरह से बाम्बे के भिखमंगों के रहने के लिये पूना में आवास की व्यवस्था है उसी तरह से यहां भी उनके रहने की व्यवस्था होनी चाहिये। साथ ही जब तक उनके रहने के स्थान के साथ-साथ उनके खाने पीने व आर्थिक जीवन को समुन्नत करने की व्यवस्था नहीं होगी तबतक समाज कल्याण की योजना बिल्कुल निरर्थक ही सिद्ध होगी।

माननीय मन्त्री जी कह सकते हैं कि हमने कटौती का प्रस्ताव इस अनुदान में क्यों रखा है जबकि हम हरिजनों का कल्याण चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं बतला दूं कि विरोधी पक्ष के लिये कटौती का प्रस्ताव रखना तो यह एक संसदीय परम्परा है, जिसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। हाउस आफ कामन्स में भी यही प्रणाली है। यदि कटौती का प्रस्ताव रखने का अधिकार हमको न मिले और माननीय मन्त्री जी के पथ-प्रदर्शन की बात हम करें, और उनकी आंख जो बन्द है उसे हम खोलना चाहें तो उसमें हम इसी तरह से योगदान दे सकते हैं यदि हम हरिजनों को उठाना चाहते हैं और समाज का कल्याण करना चाहते हैं। जबतक हम ऊंच और नीच के भेद को नहीं मिटायेंगे, तबतक हमारे समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिये आपको चाहिये कि मनुस्मृति के इन श्लोकों को उस किताब में से फाड़ कर फेंक दें। जब तक हम समाज के इस कटे हुए सड़े हुए अंग को ठीक नहीं करेंगे जिससे हमारा सारा शरीर ही विकृत है तबतक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

निम्नलिखित कटौती के प्रस्ताव उपस्थित किये हुये माने गये--

अनुदान संख्या २९---अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री रघुवीर, श्री झिलमिट झिल्लू तथा श्री छांगुर	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
		कमी करने का उद्देश्य--अनुसूचित व पिछड़ी जातियों के आर्थिक विकास के लिये उनको कृषि के लिये जमीनों व साधनों का प्रबन्ध करना व सरकारी सहायता देना, विद्यार्थियों के वजीफे व अन्य सुझाव और शिकायतें ।
२	श्री रामप्रसाद देशमुख	मद (ग) उद्धार तथा कल्याणकारी कार्यवाहियां--के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य--साधारण विवाद करना तथा सुझाव देना ।
३	श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य--पर्वतीय जिलों की भिखारिनियों (जोगनियों) को फिर से बसाने की कोई योजना अब तक तैयार नहीं की गई है ।
४	श्री खुशीराम	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य--अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के सर्वांगीण उन्नति के लिये भूमि, शिक्षा, उद्योग तथा नौकरी आदि में पूर्ण ध्यान दिये जाने के बारे में नीति की आलोचना और मांग करना ।
५	श्री छेदालाल चौधरी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य--अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान तथा कल्याणार्थ सरकार द्वारा किये गये सुधार तथा सुविधाओं की समीक्षा तथा सुझाव देना ।
६	श्री चन्द्रबली, श्री लक्खीसिंह तथा श्री किसुना	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य--समान अवसर के स्थान पर विशेष अवसर के सिद्धान्त पर सहायता की नीति आधारित करना एवं अधिक धन की मांग करना ।
७	श्री महादेव	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य--अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान हेतु नीति अपूर्ण तथा अपव्यय, इसकी आलोचना तथा सुझाव ।
८	श्री राम प्रसाद देशमुख	मद (ङ) शैक्षिक कार्यवाहियां--के अधीन मांग की राशि में एक रूपये की कमी की जाय ।
		कमी करने का उद्देश्य--शिक्षा की नीति पर विवाद करना तथा सुझाव देना ।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
९	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री भानुप्रताप सिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री प्रेमसिंह, श्री मुन्नूसिंह, श्री विजयसिंह, श्री बलवीरसिंह, श्री नवरंगसिंह तथा श्री चैतन्यराज सिंह ।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
१०	श्री रामप्रसाद देशमुख	मद (च) केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—अभी तक सरकारी रुपया जो मंजूर है उसको खर्च नहीं किया गया है उस पर विवाद करना तथा शिकायत करना ।
११	श्री कोतवालसिंह भदौरिया	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—अनुसूचित व पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों को वजीफा के रूप में मिलने वाली सरकारी सहायता देर से मिलने की तरफ सरकारका ध्यान आकर्षित करना ।

अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री रघुनाथ	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—शिकायतें करना एवं सुझाव देना ।
२	श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—गढ़वाल के गांवों के स्वास्थ्य व महिलाओं की चिकित्सा के साधनों का अभाव ।
३	श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर	मद (ख) तथा (ग) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करनेका उद्देश्य—हरिजनों के लिये सहायता और भूमि की मांग करना ।

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
४	श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री भानुप्रताप सिंह, श्री काशीनाथ बहादुर, श्री प्रेमसिंह, श्री मन्नूसिंह, श्री विजयसिंह, श्री बलवीरसिंह, श्री नवरंगसिंह तथा श्री चैतन्यराजसिंह ।]	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपयों की कमी की जाय । कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

*श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न इस बात का है कि आज स्वराज्य प्राप्ति के पन्द्रह वर्ष बाद या सन् ५१ में जब यह डाइरेक्टोरेट कायम हुआ, उसके ११ वर्ष बाद हमने इस सम्बन्ध में क्या कार्य किया है । मैं जानता हूं कि इस डाइरेक्टोरेट ने आज तक किसी भी विषय को ठीक से नहीं देखा है । दो तीन खास विषय थे, जैसे छुआछूत को दूर करना, कुवें से पानी पीने की व्यवस्था करना और हरिजनों के लिये मकान आदि का प्रबन्ध करना । ये तीन समस्याएं हैं जो हमें बराबर परेशान करती रहती हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस विभाग ने कभी इस बात को सोचा कि वह कितने अंश तक इन समस्याओं को हल कर सका है ? मैं तो यह कहूंगा कि इस विभाग ने १ प्रतिशत भी किसी तरह की पूर्ति आज तक नहीं की । यदि छुआछूत के विषय को ही देखा जाय तो मैं तो यह कहूंगा कि रेलवे, बसों और अस्पतालों आदि के जरिये से छुआछूत कम हुई है। रेल में, बस में या अस्पताल में कोई नहीं पूछ सकता कि साथी मुसाफिर कौन है या अस्पताल की नर्स बाल्मीकि है या हरिजन है, वहां पर सफर करते हुये कोई रोक नहीं सकता चाहे किसी वर्ण का आदमी क्यों न हो । वास्तव में हरिजन कल्याण विभाग ने आज तक वह काम नहीं किया कि जो इन दूसरे रेल, बसों व अस्पतालों के द्वारा हुआ है । मैं जानना चाहूंगा कि इस विभाग ने आज तक क्या किया है और मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह इस सारे लेखा जोखा को देखने के लिये एक कमेटी या बोर्ड कायम करें जो जानकारी हासिल करे कि अभी तक इतने वर्षों में क्या कार्य हुआ है और क्या होना शेष है ।

दूसरा प्रश्न रिजर्वेशन का है। उससे भी अनेकों परेशानियां हैं और जो लाभ होना चाहिये था वह नहीं हुआ है । हो यह रहा है कि आज सवर्ण कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह हरिजनों के लिये ही हो रहा है और हरिजन कहते हैं कि हमें भी कुछ नहीं मिल रहा है । जो आंकड़े इस सम्बन्ध में बताये गये हैं मैं उनमें न जाकर केवल इतना ही कहूंगा कि जो कमेटी अभी निर्माण हुई थी और जिस का मैं भी सदस्य था उसकी रिपोर्ट के अनुसार क्या कारण है अभी तक जो हरिजनों का प्रतिशत निर्धारित था उस की पूर्ति विभागों में नहीं हुई है । टेक्निकल विभागों के बारे में तो कहा जा सकता है कि हमें वैसे आदमी प्राप्त नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि और पदों की बात तो जाने दीजिये अभी तक चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में भी प्रतिशत की पूर्ति नहीं हुई है । दूसरे विभागों के लिये समझा जा सकता है कि कोई प्रिजुडिस की भावनावश पूर्ति न हुई हो या और कोई कठिनाई हो, लेकिन चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में लेने के लिये क्या दिक्कत है ?

साथ ही रिजर्वेशन के अनुसार न लिये जाते हों इस के अलावा एक बात और खास देखने की है और वह यह है कि हर साल कितने हरिजन निकाले जाते हैं । मैं दावे के साथ कह सकता हूं और यह बड़े दुख की बात है कि हर साल जितने हरिजन लिये जाते हैं उसमें से २५ प्रतिशत निकाल दिये जाते हैं । अगर कहीं पर प्रतिवर्ष दस आदमी लिये जाते हैं तो २५ प्रतिशत लोग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसी न किसी बहाने से उसी साल निकाल दिये जाते हैं । मैंने उस कमेटी से प्रार्थना की थी कि वह इसकी जानकारी करे कि कितने हरिजन नौकरी में लिये गये और उस में से कितने निकाल दिये गये । इस पर उन्होंने कहा कि इससे तो बड़े अनर्थ की बात हो जायगी । मैं जानना चाहूंगा कि कितने हरिजन प्रतिवर्ष नौकरी से निकाल दिये जाते हैं । पुलिस विभाग में मालूम हुआ कि केवल एक हरिजन लिया गया और सब से बाद में उसको लिया गया । इस तरह से नौकरियों में रिजर्वेशन की बात रखी गई और फिर इस तरह उस की पूर्ति की जा रही है । तो ऐसी हालत देख कर दुख होता है । एक वर्ग विशेष के लोगों को माइनारिटी के नाम पर लिया जाता है । पब्लिक सर्विस कमीशन में भी माइनारिटी का रिजर्वेशन है । मैं बताऊं बड़ी गम्भीर बात है, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर एक सज्जन बने हुये हैं, उन्होंने गलत सर्टिफिकेट दिया, लेकिन बावजूद कहने के कोई कार्यवाही नहीं हुई और वह पब्लिक सर्विस कमीशन में माइनारिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेन्ट करते हैं । मैं सब जगह की बात कह सकता हूं । विधान सभा में, कौंसिल में जहां कि संविधान छेड़छाड़ नहीं करता, राज्यसभा में या विधान सभाओं में या एसेम्बली में कहीं भी हरिजनों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, सब जगह वह निल है, इस का परिणाम बड़ा भयंकर हो रहा है । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने मंत्रित्व काल के अन्दर कोशिश करें कि यदि हरिजनों को यह रिजर्वेशन देना है तो कोई ४-५ साल की अवधि तय करके उस के अन्दर ही उसे पूरा करें वर्ना अच्छा है कि इसको खत्म ही कर दें । अगर इस में देरी होती है तो आज हरिजन और दूसरे वर्णों के बीच में वह परिस्थिति पैदा है कि उन में आपस में एक तरह की दुश्मनी पैदा हो रही है और वह परिस्थिति देश के और प्रदेश के लिये घातक है । इसलिये या तो इस रिजर्वेशन को खत्म करें या कोई अवधि नियत कर के उस प्रतिशत को पूरा करें ।

इस के अलावा २ वर्ष पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने पब्लिक सर्विस कमीशन में एक हरिजन मेम्बर नियुक्त करने का आश्वासन दिया था, मुझे दुख है कि वह आज तक पूरा न हो सका है ।

अध्यक्ष महोदय, एक और गम्भीर बात है । आप उस समाज से सम्बन्ध रखते हैं जिस महर्षि ने देश को ऊंचा उठाने के लिये, वर्ग भेद को मिटाने के लिये बड़ा परिश्रम किया है । ४,००० सालों से जिस जाति को अछूत और शूद्र कहा जाता रहा है मनुस्मृति आदि ग्रन्थोंमें उसने कभी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया । क्या इस बारे में सोचा कि आज वह क्यों बौद्ध हो रहे हैं, खैर बौद्ध तो हिन्दू धर्म का ही एक अंग है, भारत का ही एक धर्म है, लेकिन यह एक शुरुआत है धर्म परिवर्तन की और चेतावनी है इस बात की कि कुछ समय बाद यह लोग विदेशी धर्म भी स्वीकार कर सकते हैं । सरकार को इस पर सोचना चाहिये । क्या कारण है जिस जाति ने इतने अत्याचार सहने के बाद धर्म नहीं बदला, वह आज क्यों बदल रही है । अगर इस पर सरकार नहीं सोचती है तो देश के लिये अनर्थ कर रहे हैं ।

कागजों पर रिजर्वेशन दिखाया जाता है, ठीक है । लेकिन मैं पूछता हूं कि ऐग्रीकल्चर के क्षेत्र में इन पिछड़े हुये हरिजनों के लिये कोई बंध या बंजर तोड़ा गया ? आपने राजनीतिक पीड़ित और शरणार्थियों के नाम से तो जमीनें तोड़ कर लोगों को दी हैं, लेकिन उसमें से हरिजनों को आपने क्या दिया ? आप जानते हैं वास्तव में काम करने वाले, मेहनत करने वाले, खेतों में मजदूरी करने वाले यही लोग हैं जिन्हें आज अछूत कहा जाता है, आज उनकी जमीन की समस्या ज्यों की त्यों है । कह दिया जाता है जमीन नहीं है, ठीक है । लेकिन जो जमीन आपके पास उपलब्ध थी उसमें से कितनी जमीन आपने दो एक परसेंट भी जमीन आपने उनको देने की कोशिश नहीं की ।

इंडस्ट्री के नाम पर कहा जाता है कि हरिजन कल्याण विभाग द्वारा कई इंडस्ट्रीज खोली जा रही हैं । लेकिन आप सोचिये कि जो इंडस्ट्री इनके हाथ में थी वह भी आपने इनसे ले ली । आज से १०० वर्ष पूर्व तक ठेकेदारी का काम और कोई दूसरी जाति नहीं करती थी, आगर के पुल,

[श्री छत्रपति अम्बेश]

ताजमहल आदि बड़ी-बड़ी इमारतें इन्हीं अछूतों के परिश्रम से बनी हैं । परन्तु आज ठेकेदारी इनके पास से खत्म हो गई । इनके चमार कहलाने का आधार ही चमड़े का उद्योग इनके हाथ में होना रहा है । लेकिन आज वह काम भी सारा का सारा दूसरे लोगों के हाथ में जा रहा है । कारण यह है कि जो इनके पेशे थे वह इनके न रहे । एक डाक्टरी पेशा भी था जिसको धुनिया लोग करते थे, और पूरब में इसी जाति में से नर्सेज होती थीं । परन्तु आज वह काम भी इनके हाथ से निकल गया । (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मुझे ५ मिनट काऔर दे दें ।

श्री अध्यक्ष—बहुत से सदस्य बोलने को हैं । आप दो मिनट ही और लें ।

श्री छत्रपति अम्बेश—इंडस्ट्री के नाम पर जिस समय नये कोटे की बात आती है तो कह दिया जाता है तुम्हें इसका अनुभव नहीं है । बात बिलकुल ठीक है । जिसका हमें अनुभव था वह काम हमसे ले लिया और जिस काम को हम लेना चाहते हैं उसके लिये कह दिया कि अनुभव नहीं है । नतीजा यह होता है कि हम पिछड़ते ही जाते हैं । इस तरफ सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिये ।

पुलिस विभाग को लीजिये । पुलिस के अन्दर रिजर्वेशन है, लेकिन आंकड़े अगर देखे जायं तो उसकी पूर्ति नहीं होती है । जो जाति कल तक बैकवर्ड कहलाती थी, जिनको आज पुलिस के अन्दर स्थान मिल गया वह आगे आ गई । क्या कारण है जब उनके अन्दर भी बहादुरी की भावना है तथा लम्बाई, चौड़ाई और रंगरूप में किसी से पीछे नहीं, तो क्यों न उनको पुलिस में उचित स्थान दिया जाय ? मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिनको हरिजन कहा जाता है वे ज्यादा लम्बे, चौड़े और तंदुरुस्त हैं । परन्तु क्या पुलिस के अन्दर कांस्टेबिल भी नहीं बना सकते हैं ? अगर भावना हो तो बना सकते हैं, अन्यथा नहीं । सारा प्रश्न भावना का ही है ।

मिलिटरी में कोई रिजर्वेशन नहीं है । अगर आप समझते हैं एक वर्ग विशेष को मिलिटरी में रिजर्वेशन करने से नुकसान हो जयगा तो ठीक है । लेकिन एक ज्वाला भड़क रही है जो कभी भी भयंकर रूप ले सकती है ।

मकानों के बारे में देखिये । जो पुस्तिका मिली है इसमें देखिये तो पता लगेगा कि किसी शहर में कितनी कालोनी इनके लिये बनाई गई है । शरणार्थियों के नाम पर तो तमाम कालोनीज बनी हैं, लेकिन जो यहां के जन्म से शरणार्थी हैं उनके लिये कहीं शहर में कोई कालोनी नहीं बनाई गई । बालमीकियों के लिये जरूर बनी हैं ।

शिक्षा के बारे में मुझे यह कहना है कि जो टेक्निकल, इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा है उसके अन्दर हमारा रिजर्वेशन नहीं है जिसके कारण इस जाति के बच्चे पढ़ ही नहीं पाते अब जब पढ़ेंगे ही नहीं तो नौकरी कैसे मिल सकेगी ?

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं । सामाजिक अधिकार के नाम पर अगर आपने आज भी इस बारे में नहीं सोचा तो बड़े दुख की बात होगी और इस से बड़े से बड़ा नुकसान देश को हो सकता है । अभी माननीय उग्रसेन जी ने एक बात कही थी जिसे मैं दोहराना चाहता हूं, बड़ी गम्भीर बात है, मंत्री जी इसको सोचें कि वे पुस्तकें, या धर्म ग्रन्थ या उनके क्षेपक जिनमें इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं जिनसे हरिजनों के प्रति घृणा पैदा होती है विभाजन की बात पैदा होती है जिसमें ऊंच और नीच की बात पैदा होती है, उन पुस्तकों के इन प्रकरणों पर सोचना पड़ेगा । इनको हटाइये । अगर आपने नहीं सोचा तो यह जो आपका हरिजन कल्याण विभाग है यह नकारा सिद्ध होगा और कुछ नहीं हो सकेगा और यह सब रुपया बेकार हो जायगा । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इन बातों पर सोचें । इस पुस्तिका में नई बात देखने को मिली । अब तक हरिजन के नाम से कुछ जातियों का उल्लेख था । तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरिजन कल्याण विभाग में शुरू में ही लिखा है चमार, भंगी, पासी इतने-इतने बसते हैं । तो उसमें भी विभाजन की बात सोची गयी । आपके पास आंकड़े थे तो अलग रख देते कि इतनी

इतनी जातियां हैं । लेकिन यह लिखना कि चमार ५० फीसदी, इस तरह से उनमें और विभाजन करने की बात सोचना कहां तक उचित है ? यह बात पहली मर्तबा इस तरह से आई है इस पुस्तिका के अन्दर । समाज कल्याण और हरिजन कल्याण की बात आप सोचें वर्ना आप दोषी होंगे और इतिहास लिखेगा कि किस सरकार के अन्दर इस तरह की बात हुई है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सन् २३ में होने वाली कांग्रेस की तरफ ले जाना चाहता हूं जब कि मौलाना मोहम्मद अली ने अपने अध्यक्ष पद से यह कहा था कि हिन्दुस्तान में बसने वाले हरिजनों में से आधों को मुसलमान बना लिया जाय और आधों को हिन्दू । यही एक ऐसा हल है जिससे आगे हम हिन्दुस्तान की आजादी की राह में आगे बढ़ सकेंगे । इस विषैले हल को लीडरों ने समझा और उसे पीने से इंकार कर दिया । जिस समय कम्युनल एवार्ड आया, मैकडानल्ड एवार्ड आया उस समय फिर यह विष हमारे सामने रखा गया और महात्मा गांधी ने अपनी आहुति देने की सोची । अंग्रेजों की यह नीयत थी कि इस तरह से देश की एक विशाल जनसंख्या को हिन्दुओं से अलग करके एक नई दीवार बीच में खड़ी कर दी जाय । इस पर उस बापू ने अपनी आहुति देने की सोची और उस दीवार को तोड़ा ।

आजादी मिल जाने के बाद बापू के देश में हरिजनों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है । दुख की बात है कि १५ वर्ष की इस आजादी के समय में भी एक बड़ी संख्या देश के अन्दर ऐसे पिछड़े लोगों की है जिनके उत्थान के नाम पर जगह जगह पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन असली सोचने का तरीका उनके उत्थान का हमारे सामने लाकर नहीं रखा जाता । काफी छीछालेदर हिन्दुस्तान के रहने वालों पर इस सम्बन्ध में होती रही है, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद जिन लोगों के हाथों में हिन्दुस्तान की आजादी की बागडोर आई तो उन लोगों ने यह तय किया कि हरिजनों को अपने साथ रखने के लिये कुछ सीटें रिजर्व की ताकि वे पार्लियामेंट तथा असेम्बली में पहुंच जायं, लेकिन उस तमाम वर्ग को ऊंचा उठाने के लिये जो तरीका अख्तियार किया, जो सुविधायें मुहइया कीं वे ऐसी उल्लेखनीय नहीं हैं जिनका यहां समर्थन किया जा सके ।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये ।)

यह ठीक है कि दो, ढाई करोड़ रुपया इस बजट के अन्दर इस उत्थान के नाम पर हरिजनों को ऊंचा उठाने के लिये रखा गया है, लेकिन वास्तव में उनको इतने कम रुपये से क्या ऊंचा उठाया जा सकता है ? जरूरत इस बात की है कि योजना ऐसी बनाई जाय और ऐसे ढंग अख्तियार किये जांय जिनसे एक नया समाज निर्माण हो और एक नया दौर शुरू हो ।

मैं समाज कल्याण के नाम पर यह रुपया खर्च होने का जो ढंग है उसके बारे में आपके सामने दो शब्द कहना चहता हूं । हम देख रहे हैं कि जगह जगह समाज कल्याण समितियां बनाई जा रही हैं, अफसर नियुक्त किये जा रहे हैं और जिलों के अन्दर कुछ पैसा भी खर्च किया जा रहा है । हमारे यहां सहारनपुर में, बड़े दुःख की बात है और कुछ शर्म की भी बात है कि समाज कल्याण के नाम पर एक महिला को इन्चार्ज बनाया गया है । ५–७ सौ रुपया महीने का खर्च है । एक आफिस है, एक जीप है, ड्राइवर है, क्लर्क, वगैरह हैं । लेकिन ऐसी स्त्री को नियुक्त किया गया है मुझे दुख के साथ हाउस के अन्दर कहना पड़ता है कि जिसने अभी पिछले साल नवां खाविन्द किया है । कितने दुख की बात है कि ऐसी गिरी हुई स्त्री को समाज के उत्थान के लिये चुना गया । मैं नहीं जानता कि किन हालत में उनकी नियुक्ति हुई । मंत्री महोदय जरा जांच करके देखें अभी हाल ही में २६ साल के नौजवान से उसने शादी की है । अगर यही लोग हमारा उत्थान करेंगे तो फिर भगवान जाने क्या होने वाला है ।

अब आइये हरिजन बस्तियों की तरफ । मैं मानता हूं कि हरिजनों के अन्दर आज स्वाभिमान की भावना जागृत हो चुकी है । वह इसलिये कि जिस वक्त हम लोग वोट मांगने

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

के लिये उनके पास जाते हैं तो वे महसूस करते हैं कि अब इन लोगों ने कम से कम हमारी बस्तियों में आना तो सीखा। लेकिन उन्हें बड़ा दुख होता है कि फिर पांच वर्ष बाद हम उन्हें अपनी शक्ल दिखाते हैं। कितने ऐसे विधायक हैं जो इस दौरान में दोबारा वहां की बस्तियों में जाने का कष्ट करते हैं? ठीक है, कांग्रेस के नाम पर उन लोगों को काफी प्रेरित किया जाता है और बापू के नाम पर काफी आकर्षण दिखाया जाता है, लेकिन आज जिन लोगों के हाथ में देश की बागडोर है, जो प्रान्त के अन्दर आज हुकूमत को सम्हाले हुये हैं, जिनके साथ में उन लोगों के लिये रुपया देने और उनके उत्थान के लिये ढंग सोचना है वे लोग कितना उनको ऊंचा उठाने के लिये करते हैं, यह जरा सोचिये। मैं तो यह महसूस करता हूं कि उनकी बस्तियों के अन्दर न तो म्युनिसिपैलिटी कोई ध्यान देती है और न वहां की सड़कें और नालियां ठीक ढंग की होती हैं इसलिये वहां भले आदमी का रहना या किसी मध्यम पोश का आना जाना भी बहुत कठिन सा है। जिस वक्त हम वोट मांगने के लिये उन बस्तियों में जाते हैं तो शर्म के मारे गलियों में से गुजरते तो जरूर हैं, लेकिन चारों तरफ बदबू और गन्दगी होती है।

उनके कारोबार के बारे में अभी दूसरे लोगों ने आपके सामने कहा कि ऐसे कारोबार जिनमें उनका हाथ हुआ करता था वह तो उनसे छिनते चले जा रहे हैं और कोई नये कारोबार उनके लिये पैदा नहीं किये जा रहे हैं। बहरहाल, उन लोगों को जीना है और लाजिमी है कि समाज के अन्दर उनको ऊंचा स्थान मिले। लेकिन इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन्हें शिक्षित किया जाय और एकोनामिकली उन्हें जरा ऊंचा उठाने की कोशिश की जाय। और यह सिर्फ इसी तरह हो सकता है कि बजट का काफी हिस्सा इस वर्ग को ऊंचा उठाने में लगाया जाय। बहुत जगह रुपया गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। उस रुपये को अगर हरिजन कल्याण के लिये या पिछड़ी हुई जातियों को ऊंचा उठाने के लिये खर्च किया जाय तो मैं समझता हूं उसका सही इस्तेमाल होगा। लेकिन वह रुपया जिन लोगों के द्वारा खर्च किया जाता है कभी आपने यह भी जांच करने की कोशिश की कि जिस जगह पर वह रुपया जाना चाहिये वहां वह रुपया पहुंचता भी है या नहीं? इसलिये मैं महसूस करता हूं कि जिला कमेटी में जितनी संख्या मेम्बरों की है उसमें ज्यादा संख्या स्थानीय हरिजनों की होनी चाहिये जो अपने दुखड़े को आपके सामने कह सकें और अपनी मांग को आपके सामने रख सकें। उनकी बस्ती बसाने के लिये, उनको अच्छे मकान मुहैया करने के लिये और उनको दूसरी सुविधायें देने के लिये हर जिले में, हर क्षेत्र में, ऐसी समितियों का होना बहुत जरूरी है और उनमें अधिक से ज्यादा तादाद हरिजन भाइयों की होनी चाहिये।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस हरिजन समस्या पर, अनुदान के विषय में बोलने का अवसर दिया है। यह समस्या इस भारत के नव-निर्माण में एक गम्भीर समस्या है। अब से ढाई हजार वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध जी ने इस समस्या को सुलझाने के लिये मानव-मानव की समानता का उपदेश दिया था। इसके पश्चात् अनेक सन्त और महात्माओं ने भी जैसे महात्मा कबीर और सन्त रैदास ने इस समस्या को सुलझाया और यह ऋषि दयानन्द और महात्मा गांधी जी ने भी इसको सुलझाया। महात्मा गांधी जी के प्रवचनों और लेखों में भी इस समस्या की चर्चा मिलती है।

माननीय उपसेन जी ने एक बात कही है कि यह सरकार मरहम लगाकर लीपा पोती करना चाहती है। उपसेन जी मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनें। प्रजा समाजवादी पार्टी, जनसंघ पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी तथा अन्य स्वतन्त्र दल यहां पर मौजूद हैं और हम सब लोग प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि छुआछूत नहीं रहनी चाहिये, तो मेरी समझ में नहीं

आता कि यह जिन्दा क्यों है? आखिर हमारे दिलों में कहीं न कहीं चोर छिपा हुआ है जो इस समस्या का समाधान नहीं होने देता। आपके दिलों में चोर छिपा हुआ है, नहीं तो यह कोई समस्या नहीं है। यहां पर जितने माननीय सदस्य हैं उनमें ठाकुर, ब्राह्मण बनिये हर जाति के लोग मौजूद हैं जो छुआछूत नहीं मानते, लेकिन सामाजिक ढंग पर अपने लड़के या लड़की की शादी करने जाते हैं तो उस समय वह पक्के ठाकुर हैं, पक्के बनिये हैं और पक्के ब्राह्मण हैं। अगर हमें ऊंच नीच को दूर करना है तो एक बात करनी होगी कि अच्छा लड़का लड़की हो तो बिना जाति भेद के शादी होनी चाहिये। हमारे दिलों में चोर छिपे होने के कारण ही इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता। समाज के अन्दर जाति बिरादरी की इतनी मजबूत दीवारें हैं कि हम उनको तोड़ नहीं सकते।

मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका एक ही उपाय हमारे सामने है, वह यह कि सरकार एक बिल लाये। हमारा प्रदेश अगुआ बने। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह इसको मानें। जहां तक सरकारी नौकरियां हैं पहले हम उन में उन लोगों को प्राथमिकता दें जो जाति–पांति तोड़ कर शादी करें। यदि हम एक कानून ऐसा पास कर दें तो इससे हमें यह लाभ होगा कि हम जाति–पांति तोड़ने में सहायक हो सकेंगे। ब्राह्मण का लड़का अग्रवाल की लड़की से शादी करे, ठाकुर की लड़की से शादी करे, ठाकुर का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी करे, हरिजनों से भी शादी करे। एक खिचड़ी समाज बनें, वर्गहीन समाज बने।

दूसरे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने जाति सूचक शब्द हैं, आपके नाम के आगे लगा हुआ है श्री होती लाल जी अग्रवाल, सबसे पहले आप घोषणा करें कि मैं अग्रवाल शब्द अपने नाम से निकालता हूं। प्रदेश में एक कानून बने कि नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाये जायें। अग्रवालसाहब, चौधरी साहब जितने जाति सूचक शब्द हैं, सब जातिवाद को फैलाने वाले हैं। मुझे आशा है कि इस अनुदान के पास होने से पहले अपने नाम के आगे से तथा बोर्डों से जो जाति सूचक शब्द हैं वह हटा दिये जायेंगे, और इस अनुदान के पास होने से पहले आप भी अपने नाम के आगे से "अग्रवाल" शब्द निकाल देने की घोषणा करेंगे।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—मिश्र जी इस सच्चे कथन पर हंस रहे हैं। यह हंसना क्या संसदीय है?

श्री जसरामसिंह—कहा गया है कि मनुस्मृति से कुछ शब्द निकाले जायं। मेरा एक ही निवेदन है। श्लोक आदि के निकालने की आवश्यकता इसलिये नहीं है कि हमने एक कानून बना दिया है कि जो आदमी किसी आदमी को छोटा समझेगा छूत–छात करेगा उस को छः महीने की सजा और ५०० रुपये जुरमाना होगा।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित हुआ है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

जहां तक हरिजनों की समस्या का सवाल है वह बहुत ही बड़ा सवाल है। हरिजनों की दशा प्रदेश में बहुत शोचनीय है। उनकी उन्नति तभी हो सकती है जबकि सरकार उनकी निर्धनता दूर करने के सम्बन्ध में कोई उपाय करे।

हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हरिजनों के पास जमीन बहुत कम है। आज गांवों में अधिकतर हरिजन बसे हुये हैं। गांव में रहने वाले तभी उन्नति कर सकते हैं जब कि उनके पास खेती के साधन उपलब्ध हों। परन्तु हरिजन भूमिहीन, धनहीन और साधनहीन हैं। इसलिये हम आपसे अनुरोध करेंगे कि उनके लिये जमीन दिलाने का कुछ न कुछ प्रबन्ध किया जाय

[श्री सुखलाल]

इसके अलावा हरिजनों की नौकरियों में जो उपस्थिति है वह बहुत कम है। सरकार ने १८ फीसदी की घोषणा अवश्य की है, परन्तु क्या उनमें वह १८ फीसदी स्थान उन हरिजनों को दिया जाता है? इसके सम्बन्ध में जब कभी प्रश्न आते हैं तो सरकार कहती है कि योग्यता के अनुसार हमको हरिजन नहीं मिलते, हम क्या करें। परन्तु हम देखते हैं कि बड़ी-बड़ी नौकरियों में तो योग्यता का प्रश्न होता है लेकिन छोटी-छोटी नौकरियों में जो चपरासी आदि की होती हैं जिनमें कि किसी योग्यता का सवाल नहीं होता, उनकी पूर्ति उनमें भी नहीं हो पाती। इसके अलावा हमने देखा कि आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में हमारे बहुत से मित्रों ने क्वालीफाई किया, रिटिन टेस्ट में वह पास हुये लेकिन फिर जब उनका इंटरव्यू हुआ तब वह उसमें नहीं आ पाये। इसका क्या कारण है? सरकार इस तरफ ध्यान दे और वह जो उनकी कमी है उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न करे।

इसके अलावा हरिजनों को जो अनुदान दिया जाता है उसमें भी बड़ी गलतियां होती हैं। अनुदान गरीब हरिजनों को नहीं मिल पाता है क्योंकि सरकार ने उसमें एक ऐसी बाधा लगा दी है, ऐसा कानून लगा दिया है जो हरिजन अनुदान ले वह अपने पास से आधा पैसा लगाये। हम तो देखते हैं कि कोई हरिजन ऐसा नहीं होगा कि जो मकान बनाने के लिये अनुदान ले और उसकी लागत अगर ३ हजार या ढाई हजार रुपया हो तो उसका आधा अपने पास से लगा सके। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह कुछ ऐसे कानून बनाये जिससे कि हरिजनों का अनुदान आसानी से मिल जाय और यह प्रतिबन्ध दूर हो।

इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि हरिजनों को और भी तरह-तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदारी खत्म हुई। जो जमीन हरिजन जमींदारों की जोते हुये थे वह जमीन उनसे जबरदस्ती छीन ली गई। इसके अलावा जो लोग जमीन नहीं भी जोते हुये थे उनके भी पटवारी फर्जी दर्ज कर रहे थे और ऐसे सैकड़ों अधिवासी बनाये गये हैं। वह बेचारे कहां से अधिवासी का रुपया दे सकेंगे? ऐसे ऐसे कानून सरकार ने बनाये हैं कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं है।

सरकार जो तकावी देती है वह हैसियत पर देती है। हरिजनों की हैसियत इतनी अच्छी नहीं है कि उनको वह तकावी मिल सके। होता क्या है कि बड़े-बड़े धनवान लोग वह तकावी लेते हैं और वही रुपया हरिजनों को सूद पर देते हैं जिसके एवज में वह हरिजन उनके यहां जन्म भर गुलाम की तरह काम करते हैं। उससे कभी वह मुक्त नहीं हो पाते। सरकार कभी-कभी बैल खरीदने का अनुदान देती है। उसमें भी कुछ चालाकियां ऐसी की जाती हैं कि वह रुपया हरिजनों को नहीं मिलता। कुछ दूसरे लोग उनके दस्तखत करवा कर वह रुपया ले लेते हैं और वही रुपया हरिजनों को कर्ज के रूप में देते हैं जिसे वे मय सूद के अदा करते हैं। यह सब परेशानियां हरिजनों को हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इनसे उन्हें बचाने के लिये अधिक से अधिक प्रयत्न करे। अलावा गरीबी की दशा में जब वे तबाह हो जाते हैं तो तमाम बुरे काम करने के लिये तैयार हो जाते हैं। पुलिस के अधिकारी उनके साथ बड़े ही अन्याय का बर्त्ताव करते हैं और वह परेशान किये जाते हैं।

जहां तक उद्योग की बात है सरकार कितने आदमियों को उद्योग के लिये एड देती है? लखनऊ में तो हम देखते हैं कि शायद ही किसी को एड मिली हो। सरकार कहती तो है कि हम बड़ी-बड़ी मदद उद्योग के लिये कर रहे हैं लेकिन यह कहने की बात है। करने की बात तो बहुत दूर की है। यही नहीं, एलेक्शन टाइम पर हमने देखा कि पांच साल तक तो कभी किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन उस वक्त एक एक गांव में एक साथ दस दस बारह बारह कुओं का अनुदान मिला और स्कूलों के लिये अनुदान मिला। अब क्या कहा जाता है कि आपके अनुदान का लक्ष्य तो पिछले साल ही पूरा हो चुका। अब आपको कुछ नहीं मिला

सकता। इसके मानी यह होते हैं कि एलेक्शन टाइम पर आप तरह तरह के अनुदान उनको देकर वोट के लिये लालच देते हैं। हरिजनों के लिये सरकार जो सहायता देती है वह यदि सच्चाई से कहा जाय। अपने पक्ष में लाने के लिये तो उनको वह एक लालच देती है। कायदे से जितनी और जैसी हरिजनों को सहायता मिलनी चाहिये वह नहीं हो पाती है। इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि रिजर्वेशन होते हुये भी आज तक सरकार ने उसका पालन नहीं किया और हरिजनों के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत किसी भी विभाग में पूरा नहीं हो सका, मैं इसको पुनः दोहराता हूं और सरकार से यह मांग करता हूं कि राधाकृष्ण कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको कार्यान्वित किया जाय। कुछ लोगों का यह मत है कि यदि हरिजनों का आर्थिक स्तर ऊंचा हो जाय तो उनकी छूआछूत की समस्या अपने आप हल हो जायगी। यह बात कभी–कभी व्यवहार में देखकर हमें शंका होने लगती है। मैं इसके लिये एक अभी का उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि प्रतापगढ़ जिले में जब न्याय पंचायतों के मेम्बरों का चुनाव हो रहा था मगरौरा ब्लाक में पट्टी के एस० डी० ओ० ने वहां के बी० डी० ओ० के यहां पानी पिया। वह बी० डी० ओ० हरिजन था। यह बात उस एस० डी० ओ० को मालूम नहीं थी कि वह हरिजन है। उनके यहां उसने पानी पिया। उसके बाद जब उसको यह मालूम हुआ कि वह हरिजन है तो उसने बहुत पश्चाताप किया और तीन रोज तक पश्चाताप किया और प्रयाग में जाकर उपवास किया। इस प्रकार से सरकार की नीति को वे लोग कार्यान्वित करते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। अस्पृश्यता कानूनी जुर्म है लेकिन उन कानूनों का जो पालन कराने वाले लोग हैं आज वे ही उन कानूनों का पालन नहीं करते हैं तो फिर सरकार के द्वारा बनाये हुये कानून ही जब किसी काम में नहीं आते हैं और उनके लोग ही उस पर अमल नहीं करते हैं तो दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं?

मैं, मान्यवर, आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसा अभी पंजाब सरकार ने अपने यहां किया है उसी तरह से यहां भी करना चाहिये। उन्होंने यह किया है कि जितने भी कर्मचारी या अधिकारी जब भर्ती होने लगते हैं तो उन सब से एक शपथनामा भरवाया जाता है कि हम किसी भी रूप में छूआछूत का पालन नहीं करेंगे और यदि छूआछूत का पालन करेंगे तो दण्ड के भागी होंगे। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस तरह की व्यवस्था करे प्रत्येक विभाग के लिये कि जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनको सख्त से सख्त सजा दी जायगी।

इसी प्रकार से मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हायर सेकन्डरी स्कूलों में १०वीं के ऊपर के जितने छात्र हैं उनको छात्रवृति दी जाती है वह अधिक समय के बाद उनको मिलती है। स्थानीय निकायों की संस्थाओं में जो विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृति और पुस्तकें समय पर नहीं मिल पाती हैं। उसका कारण यह होता है कि जुलाई, अगस्त तक उनके नाम स्कूलों से मांगे जाते हैं। इसके बाद वह डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। उसके बाद वह टेंडर मांगते हैं। इस तरह से ६-७ महीने बीत जाते हैं। जब ३-४ महीने रह जाते हैं उस समय लड़कों को किताबें दी जाती हैं। वजीफा भी समय पर नहीं मिल पाता है। इस तरह से उनको जो सहायता दी जाती है उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसके लिये कोई इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये कि प्राइमरी और जूनियर सेक्शन के जो विद्यार्थी हैं जिनको सहायता दी जाती है उनको वह जुलाई महीने में या ज्यादा से ज्यादा १५ अगस्त से पहले जरूर मिल जाय।

[श्री माताप्रसाद]

तीसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी हरिजन कल्याण विभाग की ग्रांट होती है वह जब स्वीकृत हो जाती है तो स्वीकृत होने के बाद सुपरवाइजर, ए० डी० ओ०, हरिजन कल्याण विभाग का क्लर्क, हरिजन कल्याण विभाग के अधिकारी और उसके बाद प्लानिंग विभाग के सहायक एकाउन्टेंट, एकाउन्टेंट और उसके बाद रजिस्ट्रार फिर प्लानिंग अफसर और फिर कलेक्टर इतने अधिकारियों का उस पर दस्तखत कराना पड़ता है। इस तरह से ग्रांट मिलने में ५, ६ महीने लग जाते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी व्यवस्था कम से कम माननीय मन्त्री जी अपने विभाग के लिये करें कि कल्याण विभाग से जो रुपया स्वीकृत हो वह प्लानिंग विभाग न जाकर हरिजन कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिया जाना चाहिये और वही लोग चेक काटें और उनके द्वारा ही मिले। इतना लम्बा चौड़ा जो काम होता है वह नहीं होना चाहिये।

मान्यवर, दूसरी बात मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि जिलों में हरिजन कल्याण समितियां बहुत बड़ी हैं। कुछ भाइयों का यह एतराज है कि उनमें केवल हरिजनों को नहीं होना चाहिये। ब्लाकों के प्रमुख आदि को रख कर जो एक बड़ी समिति बना दी गई है वह अधिक उपयोगी नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि जिले के जितने विधायक हैं उनकी वह समिति बना दी जाय। उस समिति में सारे जिले के विधायक होने से सभी का प्रतिनिधित्व हो जायगा और उससे काम भी अच्छा चलेगा।

इस विभाग की ओर से बैल, मुर्गी, सुअर आदि पालन के लिये सहायता दी जाती है। मैं चाहूंगा कि इस तरह के कामों को बन्द कर के सरकार हर जिले में हरिजनों के लिये एक-एक औद्योगिक स्कूल खुलवा दे जहां पर हरिजनों के बच्चे ट्रेनिंग लें और उसके बाद सरकारी विभागों में नौकरी पा सकें। आजकल हरिजनों के पास खेत नहीं हैं। पहले हरिजनों के जो लड़के पढ़ते नहीं थे, वे नौकरी, मजदूरी कर लेते थे, लेकिन आजकल वह बहुत बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं। आजकल उस वर्ग में हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट और बी० ए० पास तक लड़के पड़े हुये हैं और बहुत से इन्टर पास लड़के तो चपरासी तक बनने को तैयार हैं लेकिन हमारे अधिकारियों का कहना है कि उनको योग्य कैन्डीडेट नहीं मिलते। इसके लिये मेरा सुझाव है कि हरिजन कल्याण विभाग को इम्प्लायमेंट एक्सचेंज की तरह से काम करना चाहिये। उसके पास सूची रहनी चाहिये कि कितने हरिजन लड़के बेकार हैं और जहां आवश्यकता हो हरिजन कल्याण अधिकारी को वहां उन लड़कों को नौकरी दिलानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने ऐसे अवसर पर मुझे कुछ चर्चा करने की आज्ञा प्रदान की। मैंने दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के विचारों को सुना है। चूंकि हरिजन सहायक अनुदान का प्रश्न है, इसलिये इस प्रसंग में हरिजन समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर माननीय सदन को मिला है। हरिजनों की समस्या देश के सामने, समाज के सामने और सरकार के सामने एक ऐसी विकट समस्या है जो आज भी मुंह बाये खड़ी है। हमें उपेक्षा पूर्वक इस प्रकार संतोष नहीं करना होगा। हरिजन समस्या जितनी विकट है, जितनी भयंकर है, उसी के अनुसार उसमें सुधार की आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीयता, हमारी एकता पूरी नहीं हो सकती—मजबूत नहीं हो सकती जब तक हरिजनों की दशा इसी प्रकार बिगड़ी रहेगी। हमारे माननीय सदस्य उग्रसेन जी ने शास्त्रों का संकेत करके एक विचारों को रखने के लिये ताजगी ला दी है। बड़े दुःख के साथ उन शास्त्रों की ओर संकेत करना पड़ता है। जबकि आज वह निष्क्रिय है, और उनका कोई पालन नहीं करता। फिर भी वे ग्रन्थ और वे पन्ने तथा लाइनें केवल लाइब्रेरियों की शोभा बढ़ाने के लिये क्यों रक्खी गई हैं? मैं समझता हूं, कि वे भी आज हमारे आन्तरिक मतभेद के कारण हैं। आपरेशन के समय डाक्टर यह नहीं सोचता कि रोगी के चिल्लाने की वजह से उसके शरीर का सड़ा हुआ मांस छोड़ दिया जाय,

वह उसे काट कर फेंक देता है, इसलिये कि उसका हृदय कल्याणकारी होता है । उसी प्रकार इन निकम्में ग्रन्थों को भी फेंक देना चाहिये ।

इस समाज को हम हजारों वर्षों से देखते आ रहे हैं । हरिजनों की समस्या को बर्बर युग के कुछ लोगों ने दुःखमय बना दिया था, और आज भी वह कायम है । हरिजनों की इस शोचनीय अवस्था को देखकर पूज्य बापू ने कहा था, कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो किसी भंगी के घर में हो, ताकि मैं उनके दुखों को अनुभव करके उसके निराकरण में सहायक हो सकूं । जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हरिजनों ने बहुत अपमान बरदाश्त करके भी हिन्दुस्तान में हिन्दू धर्म को कायम रखने के लिये जितनी कुर्बानी की है, उतनी शायद ही किसी कौम ने की हो । मैं जानता हूं, और इतिहास बताता है, कि बहुत लोगों ने रोटी के टुकड़ों के लिये अपना धर्म बदल दिया है, और अपनी इज्जत बेंच दी है ।

श्रीमन्, जिस मनुस्मृति में लिखा हो कि :—

उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च ।
पुलाकाश्चैव धान्यानां जीर्णाश्चैव पश्च्छदाः ।।

और उसकी प्रतियां वाचनालयों में हमारी आंखों के सामने हैं, उनके लिये हम क्या करें । जिस समाज के द्वारा यह बात लिखी गयी है, उस समाज को हम बर्बर समाज कहते हैं । जिसमें इतनी भावनाओं का सृजन हो वह मानव नहीं कोई अन्य प्राणी रहा होगा । आज गांवों में हरिजनों के साथ जो व्यवहार होता है, उसे कौन नहीं जानता ? आज भी वही हीन और घृणास्पद भावनायें काम करती हैं । श्रीमन्, पराशर स्मृति में एक जगह लिखा हुआ मिलता है कि :

"पतितोऽपि द्विजः श्रेष्ठः न च शूद्रो जितेन्द्रियः ।"

जब पतित होता हुआ भी ब्राह्मण श्रेष्ठ ही रहेगा और तपस्वी व्यक्ति का समाज आदर नहीं करेगा तो फिर उस समाज के विकास का प्रश्न नहीं उठता इन सब प्रश्नों के होते हुये हरिजनों की तरक्की कैसे होगी ?

(लाल बत्ती होने पर)

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी कृपा होगी यदि मुझे ४ मिनट और दे दिये जायें, ।

श्री उपाध्यक्ष—समय कम है, जल्दी आप अपना भाषण समाप्त कर लें ।

श्री मंगलदेव—कुछ लोगों की राय होती है कि जब हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधर जायेगी तो समाज में भेदभाव कम हो सकेगा । मैं व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं हूं । अगर ऐसी बात होती तो स्वयं डाक्टर अम्बेदकर को जो महान विद्वान थे, धनी थे और खूबसूरत थे और किसी भी देश के विद्वानों में चमक सकते थे उन्हें हिन्दू समाज ने ठुकरा दिया था । उन्हें कोई लिफ्ट नहीं मिली । स्वयंभू थे । स्वयं नेता थे । अपने ही बल पर चमक कर जिन्दा रहे ।

मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चहता हूं कि यदि हरिजनों की आर्थिक दशा ठीक करना है तो उन्हें भूमि देनी होगी धन का बंटवारा करना होगा । थोड़े से अनुदान से उनकी दशा ठीक नहीं हो सकती है । श्रीमन्, यह कटे डाल पर पानी का छिड़काव है । दान जैसी दी जाने वाली सहायता बड़ी हास्यास्पद है । जो जमीन को झाड़ कर अन्न पैदा कर सकता है, उसे मुर्गी पालने और सुअर पालने की स्कीम बताई जाती है, जिन लोगों ने इस प्रकार सोचने की कोशिश की है, उन्हें सही दिशा मालूम नहीं है । गाय, भैंसे पालने और कपड़े, चांदी की दूकान के लिये अनुदान मिलना चाहिये । रोटी कमाने के लिये किसी काम को मैं छोटा नहीं कहता । लेकिन समाज में उसका सम्मान होना चाहिये । यह जो थोड़ी-सी सहायता हरिजनों को दी जाती है, यह

[श्री मंगलदेव]

निहाई को चोरी और सूई का दान है । युगों से हरिजनों की धन धरती छीन लेने के बाद उन्हें क्या मिला ?

श्रीमन्, जो अनुदान सरकार की ओर से दिये जाते हैं। सरकारी कर्मचारी उनका बहुत ही दुरुपयोग करते हैं । तीन-तीन माह तक बी० डी० ओ० चेक रोके रहते हैं और साल भर तक कहीं-कहीं रसीदें रद्दी की टोकरी में पड़ी रहती हैं । हरिजन सहायक विभाग के अफसर को नियोजन अफसर और जिलाधीश कोई महत्व नहीं देते । विभाग के सुपरवाइजरों को उस दर्जे का नहीं समझा जाता है जिस दर्जे का पंचायत मंत्री और ग्राम सेवकों को समझा जाता है। इसमें भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील के मई घड़कपुर ग्राम के हरिजनों के बारह मकान बी० डी० ओ० द्वारा बनवाये गये हैं । लेकिन उसमें परिवार बसने के पहले ही ३–४ मकानों के लकड़ी बांस, नरिया, खपड़े गिर पड़े । फिर भी उस अफसर की तरक्की हो गई । मैं कहता हूं, कि डिपार्टमेंट से जो भी पैसा मिलता है, उसका श्रेय सरकार को नहीं मिलता । जिन जिन लोगों ने नौकरियों की भरती में १८ फी सदी हरिजनों को सुरक्षित नहीं रक्खा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये । श्रीमन्, माल विभाग के सभासचिव माननीय ब्रजबिहारी मिश्र ने उस दिन उन्नाव जिले के चपरासियों की भरती के सम्बन्ध में कहा था कि शायद हरिजनों की दरख्वास्तें नहीं आई रही होंगी । इससे मुझे बहुत ही दुख हुआ । मैं श्री मिश्र जी से पूछना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिले के किसी विभाग में हरिजनों की दरख्वास्तों की कमी नहीं पड़ती फिर वहां क्यों टाल मटोल किया जाता है ?

श्री रामलखन (जिला वाराणसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि जो आपने इस अनुदान पर बोलने का मुझे अवसर दिया । यह अनुदान प्रान्त की दो तिहाई जनसंख्या के कल्याण के लिये हैं । रुपये में यदि देखा जाय तो यह नगण्य हो गा कि दो तिहाई जनता के कल्याण की कामना केवल सोचने मात्र की चीज है, उससे वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता । आज हरिजनों के उत्थान की समस्या को लेकर लोगों के विभाग में एक प्रतिद्वन्द्विता की भावना पैदा हो गयी है । प्रचार इतना होता है जैसे सारा गवर्नमेंट का खजाना हरिजनों के उत्थान पर खर्च हो रहा है । परन्तु वह रकम केवल लाखों में है और उत्थान की विभिन्न योजनाओं को मिलाकर ३९ लाख रुपया रखा गया है जिसके द्वारा सरकार डेढ़ करोड़ हरिजनों, जिन में क्रिमिनल ट्राइब्स इत्यादि भी शामिल है उनके आर्थिक उत्थान की बात करती है । हमारा निवेदन है कि आवश्यकता के अनुरूप बजट होना चाहिये । इससे तो प्रचार मात्र होगा और विभाग से कुछ लड़कों को वजीफा और फीस माफी होगी और स्कूलों और कालिजों को उसके संबंध में भुगतान कर दिया जाय, यही होगा, यह जनरल उत्थान का कार्यक्रम नहीं है ।

अस्पृश्यता निवारण की बात कही जाती है । आजादी हासिल हुये काफी समय गुजरा, लेकिन अस्पृश्यता तो हजारों वर्ष की है । यह दिमागी बीमारी एक दिन में दूर नहीं होगी, आज सबसे बड़ी समस्या हरिजनों के सामने पीने के पानी की है। हर गांव में पानी पीने का इंतजाम हो जाय । विभाग से आज तक सर्वे नहीं हो पाया कि कितनी हरिजन बस्तियों में हरिजनों के लिये कुयें का पानी मौजूद नहीं है । उसकी व्यवस्था नहीं हो सकती । आप कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि सभी लोग कुओं में पानी पियें लेकिन अगर आप देहातों में घूम कर देखेंगे तो आपको वास्तविकता मालूम होगी कि यदि हरिजन पानी पीने के लिये जाता है तो मार कर भगा दिया जाता है । वह मजबूर होता है गंदे नालों और गढ़ों से दूर से लाकर पानी पीने के लिये । आप कह सकते हैं कि शिकायत क्यों नहीं की जाती लेकिन शिकायतें करके भी देखा गया है । मौके पर लोग कह देते हैं कि हरिजन पानी पियें लेकिन जैसे ही पुलिस या सरकारी आदमी वापिस जाता है, उसके ऊपर डंडा उठ जाता है । सबसे जरूरी चीज यह है कि कुओं का निर्माण हो और शिक्षित लोगों के लिये सरकारी नौकरियों की व्यवस्था हो । आप पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन नौकरियों की समस्या हल नहीं हो रही है । इससे बेकारी की समस्या खड़ी हो रही है । आप पढ़े-लिखे हरिजनों के लिये नौकरी

की व्यवस्था करें क्योंकि इसके न होने पर असंतोष की भावना पैदा हो रही है । आप हरिजनों को टेक्निकल शिक्षा दे रहे हैं लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं करते । इससे उनकी समस्या हल नहीं होती । (लाल बत्ती होने पर)

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ टाइम और दे दिया जाय । चार मिनट और दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—बोलने वाले बहुत हैं, आप दो मिनट और ले लीजिये ।

श्री रामलखन—मैं ऐसे केसेज जानता हूं कि जिन लड़कों ने टेक्निकल शिक्षा ली, चमड़े और सिलाई की ट्रेनिंग ली वह दूसरी नौकरियों में गये । उन पर दो वर्ष तक सरकार का पैसा व्यय हुआ लेकिन आज वह क्लर्की कर रहे हैं या रेलवे में टी० सी० का कार्य कर रहे हैं । इस प्रकार से उन पर सरकार का पैसा फजूल खर्च होता है । यदि आप उनको टेक्निकल शिक्षा इस धैर्य से देते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें तो साथ ही साथ उनके लिये आपको काफी अनुदान की व्यवस्था भी करनी चाहिये । आप उनके प्रतिज्ञा-पत्र भरवा लें कि ट्रेनिंग के पश्चात् चार-पांच वर्ष तक उनको अमुक व्यवसाय करना कम्पलसरी होगा । जब तक यह नहीं होता तब तक केवल उनको ट्रेनिंग दिलाकर और उद्योग-धंधों के लिये रुपया सेंक्शन करके हरिजन कल्याण नहीं हो सकता ।

मैं नौकरियों की बात फिर दोहराऊंगा । आज चारों ओर निराशा का वातावरण व्याप्त है । यदि रिजर्वेशन की व्यवस्था है तो फिर उसको पूरा होना चाहिये । मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी और हरिजन कल्याण विभाग से, सूबे में जो हरिजनों के कस्टोडियन हैं, कि फीस देने, वजीफा देने और छोटी-मोटी ग्रान्ट्स दे देने से ही आप अपने कर्त्तव्य की पूर्ति न समझ लें बल्कि संविधान के अनुसार जो सुविधायें मिली हैं उसको कार्य रूप में परिणत करें । नौकरियों की बात सबसे जरूरी है । आज १८ प्रतिशत नौकरियों में पूरा नहीं हो रहा है । यह तभी पूरा हो सकता है जब सुटेबिलिटी के माप दंड को आप निकाल दें और जो एजूकेशनली क्वालीफाइड व्यक्ति हैं उनको भरती कर लें । यदि किसी नौकरी के लिये हाई स्कूल या बी० ए० पास होना अनिवार्य हो तो इस क्वालीफिकेशन के जो लोग हों उनको भरती कर लें । मैं समझता हूं कि इस बात के पीछे, कि सूटेबिल कंडीडेट नहीं मिलते, केवल मनों की भावना है । आज यह भावना फैली हुई है कि हम ऊंचे हैं और ये नीचे, इसलिये इनको नीचे दबाये रखो । जब तक यह भावना रहेगी तब तक उनको नौकरियों में स्थान नहीं मिल सकता । अगर किसी दबाव से रख भी लिया जाता है तो कुछ दिनों के बाद कोई चार्ज लगाकर निकाल दिया जाता है । आज सबसे जरूरी चीज हृदय परिवर्तन की है । जब तक यह नहीं होता तब तक सर्विसेज की समस्या हल नहीं हो सकती । हरिजनों की भरती करने के सम्बन्ध में आप यह व्यवस्था करें कि जिलों में वहां के हरिजन वेलफेयर आफिसर खोज करके अपने सामने यह आंकड़े रखें कि कितनी जगहें खाली हैं और हरिजनों को कितनी जगहें मिलीं और पूरी जगहें न मिलने के क्या कारण हैं । वे इस बात की छान-बीन करते रहें कि कितने हरिजन उम्मीदवार हैं । तब मैं समझता हूं यह समस्या हल हो सकती है और संविधान की जो १८ परसेन्ट की मंशा है वह पूरी हो सकती है जिससे हरिजनों का कल्याण हो सकता है । इससे आप का भी गौरव बढ़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उग्रसेन जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

हरिजनों की समस्या मुल्क के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है । बापू ने हमेशा यही कोशिश की कि हरिजनों की दशा सुधरे । जहां वह रहते थे वहां नाई उनके बाल नहीं बनाता था । उन्होंने कहा था कि जब वहां का नाई हरिजनों के बाल बनावेगा तब मैं समझूंगा कि मुल्क आगे बढ़ रहा है । हमारे स्कूलों में पानी पीने के लिये बाल्टी लोटे मिले हुये हैं लेकिन उनसे हरिजन बच्चों

[श्री दुर्योधन]

को ऊपर से ही पानी पिलाया जाता है । छुआछूत का बीज वहीं से बचपन से बोया जाता है । हमारे देश में १८ फीसदी नौकरियों में इसलिये पूरा नहीं होता है कि इस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है। हरिजन बस्तियों की अजीब हालत है। बस्तियों के लिये पैसा एक ही साल में नहीं दे दिया जाता है। उन्हें २, ३ साल तक लटकाया जाता है और वे गरीब हरिजन अपने मकान को पूरा नहीं कर पाते हैं। कितने लोग लू से मर गये हैं। गोरखपुर जिले में महाराज गंज तहसील में हरिजन बस्ती रामनगर में बन रही है जहां तीस मकान गिरा दिये गये हैं लेकिन आज २ वर्ष तक उनको रुपया नहीं दिया गया है। लू से भी वहां लोग मरे। आज हरिजनों के मकानों को नहीं बनवाना है तो सरकार को अपनी दो रुखी नीति खत्म करनी चाहिये। सरकार को देखना चाहिये कि हरिजनों के अनुदान में कोई रुपया खा तो नहीं रहा है। धोखा धड़ी की नीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है ।

मैंने गोरखपुर जिला परिषद् से पूछा था लेकिन अभी तक हरिजन बच्चों को वजीफे नहीं मिल पाये हैं। इम्तिहान समाप्त हो गये और उनकी दशा ऐसी नहीं है कि वे दोनों वक्त खाना भी खा सकें। इन १५ वर्ष में जितनी भी जमीनें दी गयी हैं, सरकार हिसाब लगाकर देखे कि कितनी हरिजनों को दी गयी है। आप को एक बात और बताऊं। हरिजनों के खेत भी धीरे-धीरे निकल रहे हैं। बहुत से हरिजन इस प्रकार बे खेत हो रहे हैं । वजह ? वजह यह है कि यह काला कानून जो बना हुआ है काबिज वाला जो लेखपाल की इंन्ट्री पर है। यह कहा गया कि इस कानून को खत्म करो लेकिन यह सरकार उनकी इनकवा-यरी भी नहीं करती है। छुरी गरीब पर ही चलती है । यह सरकार जानती है कि खेतिहर मजदूर ज्यादातर हरिजन ही हैं। लेकिन इसने आज तक उनके लिये मजदूरी निश्चित नहीं की। २ आने, १ पाव सत्तू और १ गिलास रस ही उन्हें आज भी मिलता है। भला इस तरह की मजदूरी में वे कैसे अपना गुजारा कर सकते हैं ? इसलिये इस सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिये। मुझे गर्व है कि कोई भी ऐसा हरिजन नहीं है जो श्रम करके नहीं खाता हो, भीख मांग कर खाता हो । लेकिन उसके श्रम की कीमत और कदर नहीं होती है। अगर हरिजनों के पास काफी भूमि हो तो विदेशों से अन्न मंगाना नहीं पड़े। लेकिन इस सरकार के कान पर जूं रेंगने वाली नहीं है। आज गाड़ियों में हम लोग सुनते हैं कि सरकार ने अछूतों पर ही सारा धन खर्च किया है। तो क्या सरकार ने कोई ऐसा प्रचार विभाग कायम कर रखा है ? आजादी की लड़ाई में हम लोगों ने किसी से कम कुरबानी नहीं की, फिर भी हमारी उपेक्षा इस प्रकार क्यों होती है ? समय इस दशा को ज्यादा दिन तक बरदाश्त नहीं कर सकता। समय आता है और बदलता है। सरकार को चेतना चाहिये ।

*श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं आज हरिजनों की विशेषकर उन आदिवासियों की समस्याओं पर जहां का मैं स्वयं प्रतिनिधित्व करता हूं। प्रकाश डालना चाहता हूं दोनों ओर से अनेक प्रकार के विचार हमने सुने। आदिवासियों की समस्या सुधारने के लिये, अगर हम इतिहास के पन्नों को उलटें, बहुत बड़े-बड़े सन्त महात्माओं और नेताओं ने बड़ा जोर दिया है लेकिन मेरी समझ में इन लोगों के आर्थिक पहलू को किसी ने नहीं छुआ । उन्होंने यह तो कहा कि छुआछूत को दूर करो, प्रेम करो, उन लोगों से स्नेह रखो, लेकिन किसी ने उनकी आर्थिक दशा को ठीक करने का प्रयत्न नहीं किया। यही कारण है कि उनकी आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है । गौतम बुद्ध, रैदास आदि अनेक नेता आये और उन्होंने हरिजनों की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया लेकिन आर्थिक परिवर्तन लाने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। उसका नतीजा यह है कि १,००० वर्ष पहले जो उनकी गिरी हालत थी वैसी ही आज भी है । अगर उनकी आर्थिक दशा ठीक हो जायगी तो छुआछूत की भावना भी अपने आप समाप्त हो जायगी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश में जोत की अधिकतम सीमा ४० एकड़ रखी गयी है । पहले जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके यहां हरिजन और आदिवासी लोग काम किया करते थे । आज उनके लिये जो नियम बनाये गये हैं वे हैं कि उनको ५ बिस्वा जमीन दी जाय । वह भी उनको मकान बनाने के लिये, जोतने बोने का सवाल ही पैदा नहीं होता । जब आपने अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित की थी तो निम्नतम सीमा भी आपको रखनी चाहिये थी । हरिजन कल्याण विभाग को चाहिये कि उन लोगों को खेती के लिये जमीन दे और उसके साधन जैसे, बीज, खाद, बैल आदि के लिये उसको सहायता दे । तभी उनकी हालत सुधर सकती है ।

आप शिक्षा का भी अनुदान देते हैं । लेकिन क्योंकि उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है इसलिये उसका भी वह ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर पाता है, उनके पास एडमिशन के लिये पैसा नहीं है और आप जो अनुदान का रुपया देते हैं वह एक अक्तूबर में देते हैं और दूसरा एक्जामिनेशन्स के बाद तो भला वह किस प्रकार से फीस दे सकता है ? आप उसको माहवारी वजीफा देने का प्रबंध करें ।

ज्यादातर लोगों ने कहा कि अभी छुआछूत की भावना समाज में मौजूद है । मैं यह निवेदन करूंगा कि उच्च और नीच वर्ग के लोगों में ही नहीं, यह भावना छोटे वर्ग के लोगों में भी आपस में मौजूद है । एक धोबी चमार का छुआ नहीं खायेगा । इसलिये इस आन्तरिक भेदभाव के दूर होने की भी सख्त जरूरत है । उसके लिये भी सरकार को अधिक जोर देना चाहिये ।

मैंने अपने प्रदेश की और दूसरे प्रदेशों की शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्टों को देखा, अपने सूबे की लिस्ट भी देखी, उसमें मैंने देखा कि जो भी १४–१५ आदिवासी हैं उनमें से किसी का भी नाम सही लिस्ट में नहीं था । मेरी समझ में नहीं आता कि आदिवासी मध्य प्रदेश में हैं, आसाम में हैं, बिहार में हैं और जो १२–१४ प्रकार के वह हैं लेकिन उन को यहां डिनोटीफाइड ट्राइब्स कहा जाता है । मैं चाहता हूं कि इन जातियों के पुनर्गठन के लिये कमेटी बनायें और उसमें हरिजनों का प्रतिनिधित्व अवश्य रखा जाय क्योंकि अगर सभी ऊपर की जातियों के लोग उसमें होंगे तो वह हरिजनों की जो समस्यायें हैं उनका पूरा ज्ञान नहीं पा सकेंगे ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि यदि हरिजनों को आगे बढ़ाना है तो हरिजनों में एक आर्थिक क्रान्ति लाई जाय, उनको शिक्षा पाने का अवसर दिया जाय, हर प्रकार की सुविधायें उनको दी जायं । इसके अलावा, हरिजनों को कुओं की भी परेशानी है, मैं चाहता हूं कि उनके लिये कुयें बनवाये जायं । सरकार ने कुयें बनवाये हैं और अनेक कुयें बन रहे हैं लेकिन हरिजनों को परेशानी है । सरकार ने व्यक्तिगत कुयें मंजूर किये लेकिन समय से वह पैसा भी नहीं मिलता और जातियों के भेदभाव की समस्या होती है, सामूहिक ढंग से यह काम होना चाहिये ।

इसी तरह से मैं जानना चाहता हूं कि कालेजों में हरिजन छात्रावास की अलग से व्यवस्था क्यों की जाती है । जो जनरल छात्रावास हैं उन्हीं में हरिजनों को भी क्यों नहीं रखा जाता है, वहां उनको प्रवेश दिया जाय । यह सोचने की बात है । अगर हम उनके लिये छात्रावास की, रहने की, नौकरियों की अलग अलग व्यवस्था करते रहे तो उससे एक अलगाव की भावना पैदा होती है । हमें तो उनको समाज में मिलाने के लिये ही ठोस कदम उठाना होगा, मौलिक रूप से हमें इन चीजों में परिवर्तन लाना होगा । मैं ज्यादा न कहकर अन्त में इतना ही कहूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट को सुधारा जाय और उसे ठीक ढंग पर लाया जाय ।

दूसरे भूमिहीन आदिवासियों को या हरिजनों को कम से कम ५ एकड़ भूमि दी जाय क्योंकि हरिजन ही खेती में निपुण और मेहनती होते हैं । और सुअर पालने, चमड़े के कामों के लिये और मुर्गी पालने के लिये उन को ग्रान्ट दी जाती है । मैं चाहता हूं कि उन को क्यों केवल इन्हीं कामों के लिये ग्रान्ट दी जाती है । उनको भी औरों की तरह दूसरे बड़े-बड़े कामों और उद्योगों के लिये ग्रान्ट क्यों नहीं दी जाती । वे भी ठेके लें और दूसरे कार्य करें । उनको हमेशा जूता बनाने के लिये या अन्य डोम के कामों के लिये ही सहायता दी जाती है । मैं चाहता हूं कि उनको

[श्री राम प्यारे]

भी दूसरे काम दिये जायं । यह भी दिये जायं, मैं नहीं कहता कि जूता बनाना या दूसरे विकास के कामों को रोका जाय लेकिन यह भावना न आने पावे कि यह काम इन्हीं लोगों के करने के हैं और उन की आगे आने वाली पीढ़ी को भी वही काम करने हैं । इस तरह की नीति और विचार में परिवर्तन किया जाय ।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे सोशलिस्ट पार्टी के माननीय नेता उग्रसेन जी ने कहा है, कि यह समस्या केवल कुछ पैसों की नहीं है, छोटे-मोटे आन्दोलन की नहीं है लेकिन यह समस्या हमारे सारे दृष्टिकोण को ही बदलने की है । हजारों वर्षों तक जिस देश ने गुलामी की ठोकरें खाईं इस जातिवाद के कारण और आज भी पाकिस्तान का जन्म कहिये, नागालैंड की समस्या कहिये, सिखिस्तान का सवाल कहिये या तामिलनाड का प्रश्न कहिये, इस सब के पीछे वही दूषित जातिप्रथा है, जिसमें कुछ चन्द जातियों ने धर्म के नाम पर, थोथी संस्कृतियों के नाम पर जातिवाद के नाम पर ८० प्रतिशत जनता का नैतिक, सामाजिक व आर्थिक हर तरह से शोषण किया । क्या कोई कह सकता है कि किसी देश में जिसमें ८० प्रतिशत जनता का सामाजिक स्तर गिरा हुआ हो, उसके अरमानों को कुचल दिया गया हो, उसके आर्थिक स्तर को गिरा दिया गया हो और जिसमें जाति व्यवस्था आज भी प्रश्न के रूप में हो और वह राष्ट्रीय समस्या न हो ? यह चन्द जातियों का मसला नहीं है, हम दान नहीं मांग रहे हैं, यह चन्द टुकड़ों और चन्द पैसों का सवाल नहीं है बल्कि यह राष्ट्र के जीवन और मरण का प्रश्न है । चन्द लोगों को दबा कर आप सारे देश को नहीं मार सकते हैं, चाहे नेहरू की नीति हो चाहे गुप्ता की नीति हो ।

उस दिन सामान्य प्रशासन पर बोलते वक्त मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये थे जिस पर माननीय मुख्य मन्त्री ने बड़ी नाराजगी जाहिर की । इस तरह से सवाल उठाने नहीं दिया कि यह यहां ही की परिपाटी के खिलाफ है । ८० प्रतिशत जनता का हर तरह से शोषण हो और उसके लिये आवाज उठायी जाय तो यह कहा जाता है कि यह परिपाटी के विरुद्ध है । जगह-जगह कचहरियों में, असेम्बली में, मन्त्रिमन्डल में, यूनिवर्सिटीज में, कालेजों में, जातिवाद का बोलबाला है, जिससे सारा देश पतन की ओर जा रहा है । और जब उसके खिलाफ आवाज उठायी जाती है तो उसके लिये यह कहा जाय कि यह परिपाटी के खिलाफ है, मैं समझता हूं कि सको ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है । उसका नतीजा एक ही होगा कि अगर हजारों वर्ष के इतिहास को आप दोहराना चाहते हैं तो रास्ता खुला हुआ है । सत्ता का नियम होता है कि वह अन्धा बना देती है, वह आंखों पर पट्टी बांध देती है, वह दूर दृष्टि को रोकती है । मैं सरकार से और उस कांग्रेस पार्टी से जिसने पचासों वर्ष त्याग और तपस्या की है, जिसने हजारों आदमियों का बलिदान किया है, जिसके नेताओं ने बड़ी तपस्या की है, उसके नाम पर मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह अपने दृष्टिकोण बदले । यह कोई दान का प्रश्न नहीं है, यह ८० प्रतिशत जनता का और सारे देश के जीवन और मरण का प्रश्न है ।

अभी एक सवाल उठाया गया था कि पिछड़ी जातियों की मान्यता व पिछड़ेपन के आधार क्या हैं । हमारे देश में आर्थिक आधार पर ही जातियां बनी हुई हैं । चन्द हरिजनों को मिनिस्टर बना देने से या चन्द हरिजनों को नौकरी में ले लेने से ही सब चमार धनी नहीं हो जायेंगे । बदकिस्मती से हमारे देश में सारी जातियों का आधार ही आर्थिक है और सारा पिछड़ा वर्ग सब से अलग ही है । सारे चमार मजदूर वर्ग के हैं, सारे कायस्थ नौकरी पेशा हैं, सारे बनिये व्यापार पेशा वाले हैं । इस तरह से यह सारा बटवारा आर्थिक आधार पर ही हुआ है, इसका अन्य और कोई आधार नहीं है । इसके खिलाफ और कोई बात करना देश को धोखा देने का रास्ता है और देश को मुगालते में डालना है । इसलिये आप इस तरह से सब को धोखे में डाल कर देश की हत्या नहीं कर सकते हैं ।

सभी प्रगतिशील पार्टियां इस देश में जाति वर्ग विहीन समाज की स्थापना की बातें किया करती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक सरकार ने कौन-सा ऐसा कदम उठाया है जिससे कि हमारा देश जाति विहीन समाज की स्थापना की तरफ बढ़ा हो। हमारे माननीय सदस्य सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने एक सुझाव दिया, आप क्यों नहीं उस सुझाव को तसलीम करते हैं? मैं कहता हूं कि किसी ब्राह्मण को प्राइम मिनिस्टर होने की जरूरत नहीं है, किसी ब्राह्मण या बनिये को चीफ मिनिस्टर होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिये आवश्यक है कि वह हिन्दुस्तानी हो और हिन्दुस्तानी वहीं हो सकता है जो किसी जाति का न हो बल्कि जिसने अन्तर जातीय विवाह सम्बन्ध को स्वीकार कर लिया हो। फिर आप क्यों नहीं उस नियम को लागू करते हैं, क्यों नहीं कम से कम शासन व्यवस्था में इस बात को लागू कर देते कि यहां जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा? अगर आप दूर दृष्टिकोण को अपनावें तभी देश में सही नीति का संचार हो सकता है। लेकिन आज तो सारी व्यवस्था ऐसी है जिससे सारी आशायें धूल धूसरित हो रही हैं। भीख मांगना इस देश में प्रतिष्ठा का काम है और चमड़े का काम करना, सेवा का काम करना तथा हल जोतना पाप गिना जाता है, क्या उस देश में उन्नति की आशा कर सकते हैं? यह सम्भव नहीं है। सारे दृष्टिकोण को बदलने का एक ही मार्ग है, सारी शासन व्यवस्था को, असेम्बली से लेकर नौकरशाही तक को जातिवाद से परे कर दीजिये, तथा घोषित कर दीजिये कि ५ साल के बाद सारे मंत्रि-मंडल, सारे विधान मंडल केवल उन्हीं आदमियों के होंगे जो किसी जाति विशेष के प्रतिनिधि नहीं होंगे और हम उन्हीं को हिन्दुस्तान का प्रतिनिधि मानते हैं जिनका अन्तर्जातीय वैवाहिक सम्बन्ध है। आप क्यों नहीं इस कदम को उठाते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, यह इस सदन की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। हम ७ करोड़ जनता के नुमाइन्दे हैं, वह हमसे आशायें रखती हैं, क्या हम यही आशायें लेकर जा रहे हैं कि हम ऐसे प्रश्नों का मजाक उड़ावें, उन पर जब सवाल खड़े हों तो नाराज हों? अगर ऐसा करते हैं तो इससे इतने बड़े अहम सवाल का, जो देश को खा जायगा, हल नहीं हो सकता है। मुझे अफसोस है कि जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो अपने को प्रगतिशील कहलाती है, वह भी उन प्रश्नों पर चुप्पी साध जाते हैं। यह प्रश्न किसी पार्टी का नहीं है, वरन देश का है। मैं आशा करता हूं कि इन सवालों पर हम छोटे-मोटे स्वार्थों से ऊपर उठ कर बात करेंगे।

जहां तक सुझावों का सवाल है, सबसे बड़ा सुझाव यह है कि सरकार और उस पार्टी को जिसके ऊपर यह सरकार बनी है, उसको अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा और बापू जी का स्मरण करना पड़ेगा। अगर दृष्टिकोण नहीं बदलता तो छोटे-मोटे सुझावों से यह समस्या हल होने की नहीं है।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान मन्त्री जी ने पेश किया उसका मैं समर्थन करता हूं। दुख तो इस बात का है कि जो हमारे प्रदेश के विरोधी दल के नेता हैं, जो गरीबी की सबसे ज्यादा दुहाई देते हैं और समाज को उठाने के लिये बहुत बड़ा अपना बीड़ा रखते हैं, आज सदन में नहीं हैं। जिस अनुदान में लोगों को ऊंचा उठाने की नीति निहित है उस समय वह गायब हैं। विरोधी दलों के किसी नेता का पता नहीं है। मैं समझता हूं प्रजासमाजवादी पार्टी से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तक की आज अनुपस्थित नहीं होना चाहिये था, जनसंघ क नेता का न होना सम्भव हो सकता है, उसमें कोई दो रायें नहीं हैं.....

अनेक सदस्य—आपके नेता भी अनुपस्थित हैं।

श्री शिव प्रसाद—स्वतन्त्रता के बाद हमारे देश में हरिजन कल्याण के लिये सरकार ने काफी काम किये हैं। इसमें दो रायें नहीं है। यह बात दूसरी है कि सरकार की नीयत क्या है और उसकी नीयत में हरिजन का

[श्री शिवप्रसाद]

कल्याण कितना है, हमको इस विषय में सोचना पड़ेगा। हम जब सरकार की नीयत की तरफ देखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि सरकार हरिजन कल्याण और उसके उत्थान के लिये कोशिश कर रही है। हां, उसकी व्यवस्था में जो कमी हो और उसकी कार्य प्रणाली में जो अभाव है उसकी पूर्ति अगर न हो सके तो इसका भार विभाग के उन कर्मचारियों पर है जो इसमें अपनी दिलचस्पी न रखते हों। हमको इस बात का दुख जरूर है कि शिक्षा के मामले में कुछ कमी है, वैसे सरकार ने हरिजनों को शिक्षा में काफी सहयोग दिया है, लेकिन पिछली हरिजन बोर्ड की मीटिंगों में हमने अपनी तरफ से प्रस्ताव भी रखा था कि अन्तरिम जिला परिषद् में पढ़ने वाले बच्चों को दर्जा ६ से और ८ तक जो शिक्षा दी जाती है वही अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा है तो फिर दर्जा ६ के विद्यार्थियों को और जो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते हैं उनको छात्रवृति से क्यों रोका जाय? अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, इसी हिसाब से अन्तरिम जिला परिषद् में पढ़ने वाले छात्रों को भी छात्रवृति दी जाय।

जहां तक विकास के कार्यों का सम्बन्ध है, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो हरिजन कल्याण बोर्ड है, संचालक का कार्यालय है उसमें काफी लोग काम करते हैं और जिलों में जो कार्यालय खोले गये हैं जहां हरिजन अधिकारी रहते हैं; उसके मातहत सुपरवाइजर और तमाम क्लर्क रहते हैं। लेकिन हरिजन विभाग का सारा काम विकास की सामुदायिक विकास योजनाओं में एक दम निहित होता चला जा रहा है। इससे मुझे क्षोभ नहीं, विकास समितियों द्वारा योजनाओं का निर्माण हो लेकिन मैंने देखा है और लगातार दो वर्ष का बजट देखने से मालूम हुआ कि बहुत सा धन ऐसा पड़ा हुआ है कि उपयोग में नहीं लाया जा सका। जहां तक हरिजन संचालक का सम्बन्ध है, उसके यहां हर तीसरे महीने जिलों में इस बात की सूचना आ जाया करती थी कि इस सम्बन्ध में इतना धन खर्च हुआ और इतना पड़ा हुआ है। संचालक की ओर से आदेश जारी होता था जिससे धन के खर्च करने की व्यवस्था होती थी। लेकिन अब इसका पता नहीं लग पाता। जैसे पेय जल की व्यवस्था की बात है। हरिजन कल्याण विभाग की तरफ से इस बात की व्यवस्था है कि कम से कम ५०० रुपये खर्च किये जायं। लेकिन इसके लिये क्षेत्रीय समिति पर निर्भर करना होता है और रुपया ठीक समय पर न मिलने के कारण हरिजन कल्याण का यह कार्य कहीं-कहीं नहीं हो पाता।

दूसरे जातीयता चारों ओर फैली हुई है। देश व प्रदेश में जातीयता के आधार पर बहुत से लोग कार्य करते हैं। विरोधी पार्टियां भी जातीयता के आधार पर हरिजनों को हरिजन कह कर, हरिजनों को नीचा दिखा कर अपना उल्लू सीधा किया करती हैं। ऐसी स्थिति में समझ में नहीं आता कि हरिजनों का कल्याण किस तरह से होगा। हरिजन कल्याण का काम केवल हरिजनों पर ही निर्भर नहीं रह सकता। हरिजन कल्याण के लिये हर व्यक्ति का हर वर्ग का कर्त्तव्य है कि जो समाज दबा हुआ है उसको बढ़ाने में अपना सहयोग दे और सब लोगों के सहयोग से ही वह काम किया भी जा सकता है।

प्रदेश के अन्दर जो हरिजन औद्योगिक केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं उनके काम में ढिलाई नजर आ रही है। देवरिया जिले में हाटा तहसील में एक स्थान है छितौनी। वहां हरिजन औद्योगिक केन्द्र के लिये जमीन की व्यवस्था की गई। लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारी उसमें आनाकानी कर रहे हैं। यह इसलिये वह कर रहे हैं कि वहां पर उन्हें सहूलियत न हो, सड़कों की सुविधा न हो, टाउन न हो जहां पर पहुंचना आसान हो या आसानी से पहुंच सकें। हालां कि इन केन्द्रों की आवश्यकता उन्हीं स्थानों पर है, जहां गरीब लोग हैं, जहां दिक्कतें हैं और जहां विकास की तरफ उन लोगों को ले जाना आवश्यक है। माननीय मन्त्री का ध्यान अधिक से अधिक इन औद्योगिक केन्द्रों की तरफ जाना चाहिये क्योंकि उनमें हरिजनों का कल्याण निहित है ताकि वे उनसे लाभ उठा सकें।

छात्रवृति के लिये जो फार्म है वह जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में प्रिंसिपलों के यहां से आने में बड़ी कठिनाई होती है। मैं उस कमेटी में बैठता हूं और मैंने देखा है कि विद्यालयों को बार-बार लिखने पर भी जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में आवेदन पत्र सब के सब नहीं पहुंच पाते हैं और हरिजन बच्चे छात्रवृति पाने से रह जाते हैं। शासन की तरफ से आदेश जाना चाहिये कि हरिजनों के लिये जो अनुदान दिये जांय उसकी सूचना शीघ्र हरिजन कल्याण विभाग से या जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां आनी चाहिये।

हमको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं हरिजन कल्याण विभाग बेकार न हो जाय क्योंकि आज जितना काम है वह विकास क्षेत्र समितियों को दिया जा रहा है। फिर किस काम के लिये हरिजन कल्याण अधिकारी रहेगा, किस काम के लिये संचालक, उप संचालक और इतना बड़ा दफ्तर रखा जायगा, किस काम के लिये वह प्रचारक होगा जबकि सारा काम ब्लाकों तक ही सीमित कर दिया जायगा? प्लानिंग एक बहुत बड़ी योजना है और उस योजना के अन्दर यह स्कीम चालू हो जायगी तो फिर इन लोगों की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी। मैं जानता हूं कि सरकार की नीयत है कि हरिजन कल्याण पर ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाय लेकिन क्षेत्र समितियों के माध्यम से जब से मिलना शुरू हुआ है उस समय की और उससे पहले की जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको जमीन और आसमान का फर्क मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, यह एक विषय है जिस पर इस सदन में रत्ती भर भी मतभेद नहीं है, चाहे हम इस तरफ बैठे हों चाहे उस तरफ बठे हों। सब लोग यही चाहते हैं कि दलित समाज की ही उन्नति हो। आज हर सदस्य अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने क्षेत्र को मद्देनजर रख कर सदन में सुझाव पेश करेगा। मैंने दो कट मोशन्स दिये हैं। एक का उद्देश्य यह था कि हमारे गढ़वाल के गांवों के स्वास्थ्य और महिलाओं की चिकित्सा का साधन का नितान्त अभाव बताना। दूसरे कट मोशन का उद्देश्य यह था कि हरिजनों के लिये पर्याप्त सहायता और उनके लिये भूमि की मांग पेश करना। इन दो उद्देश्यों को सामने रख कर मैं सुझाव पेश करता हूं।

असली बात यह है कि मेरा जिला गढ़वाल केवल सड़कों या शिक्षा के मामले में ही पिछड़ा हुआ नहीं है बल्कि समाज उत्थान और चिकित्सा की दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा हुआ है। आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि सारे गढ़वाल में महिलाओं के लिये एक भी मेटरनिटी अस्पताल नहीं है। अभी पिछले चुनाव के दौरान मेरे सामने एक उदाहरण पेश हुआ कि एक स्त्री जोकि बहुत ही बुरी प्रसवावस्था में थी उसके नजदीक कोई मेटरनिटी हास्पिटल न होने के कारण उसे गढ़वाल से मुरादाबाद ले जाने लगे। लेकिन वह गांव से सड़क तक ही पहुंच पाई कि उसकी मृत्यु हो गई। यह मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। इस तरह के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं।

हमारे यहां हरिजनों के लिये भूमि के मसले पर बड़ा एजीटेशन हुआ। लेकिन अभी तक उनको भूमि नहीं दी गई। सरकार की ओर से बहाना यह होता है कि किस की भूमि छीन कर हम उनको दे दें। मैं एक सुझाव पेश करता हूं कि हमारी सरकार की १६ हजार एकड़ भूमि जो तराई में जो आबाद है, स्टेट फार्म वहां हरिजनों को क्यों नहीं बसा दिया जाता है। वे उतने ही अनाज का उत्पादन कर सकते हैं जो और लोगों या सरकार के द्वारा किया जाता है। वास्तव में, उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। अगर दिखाने वाले दांत देखने हैं तो जो यह कागजी घोड़ा अभी हमारे सामने पेश हुआ है समाज कल्याण पुस्तक, इसमें ही अनेक सुझाव रखे गये हैं। लेकिन देखना यह है कि कहां तक ये सुझाव कार्य रूप में परिणत होते हैं।

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत से अनदान दिये हैं। लेकिन देखना यह है कि कहां तक इनका प्रयोग हम करते हैं और कहां तक यह अनुदान काम में लाये जा रहे हैं। इस राज्य में गरीब और दलित जातियों की संख्या सारे भारत की दो-तिहाई है। गढ़वाल में दलित जातियों की संख्या उच्च जातियों के मुकाबले में एक-चौथाई है। औसतन कितना हम लोग उनके लिये खर्च कर रहे हैं, जबकि सारे भारतवर्ष में सबसे पिछड़ा जिला गढ़वाल है? वास्तव में सारा गढ़वाल एक दृष्टि से दलित है।

अब सवाल देखने का यह है कि हमारे प्रदेश में हरिजनों को तथा दलित जातियों को कितनी छात्रवृति दी जा रही है; इनके लिये हमारी पाठशालाओं में क्या-क्या विशेष प्रबन्ध किया गया है। आपने इसके लिये इंसपेक्टर्स मुकर्रर किये हैं, संरक्षक मुकर्रर किये हैं, लेकिन यह देखने की जरूरत है कि वे काम कर रहे हैं या नहीं। हमारा कागजी घोड़ा जो समाज कल्याण विभाग की पुस्तिका है, इसमें बहुत से उद्योगों की चर्चा की गई है। हमारी सरकार द्वारा किये जाने वाले कई उद्योगों की योजना का जिक्र इसमें किया गया है कि कहां कहां पर उद्योग खोले जायेंगे। लेकिन हमारे जिले गढ़वाल का इसमें कहीं जिक्र नहीं और न हरिजनों तथा दूसरी दलित जातियों के लिये कोई कारखाना गढ़वाल में दिया गया है। वहां पर पशुपालन का उद्योग कराया जा सकता है, चमड़े का उद्योग किया जा सकता है, पिगरी (सुअर पालन), पोल्ट्री फार्म (मुर्गी पालन) खोले जा सकते हैं, लेकिन कहीं कोई जिक्र गढ़वाल में इन धन्धों के स्थापित किये जाने का नहीं है।

कुटीर उद्योगों के लिये भी जो अनुदान रखा गया है, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र (गढ़वाल) के लोगों के लिये क्या रखा गया है। हां, यह मैं मानता हूं कि इस पुस्तिका में यह लिखा गया है कि उत्तराखंड के लिये विशेष प्रबन्ध किया गया है। लेकिन उत्तराखंड का हिस्सा बहुत छोटा-सा है। और ज्यादातर हिस्सा गढ़वाल का उत्तराखंड से बाहर है। उत्तराखंड के लिये आपने प्रबन्ध किया है लेकिन इससे बाहर के हिस्से के लिये क्या किया है? इसका कुछ भी जिक्र नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि गढ़वाल के लिये और विशेषकर मेरे क्षेत्र लैंसडाउन के लिये कोई नया उद्योग धंधा दलित जातियों के लिये नहीं रखा गया है। मैं आपके द्वारा समाज कल्याण मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से भारत में दलित जातियां अलग हैं परन्तु हमारे यहां तो दलित सारा जिला गढ़वाल है। जिसकी आबादी सात लाख की है। वहां के लोग बहुत बुरी हालत में हैं। जब तक प्रदेशीय सरकार खास उद्योग न करे तब तक मेरे जिले गढ़वाल का उत्थान नहीं हो सकता है। यही मेरा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर मैं आज आपके सामने बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

(श्री अनीसुर्रहमान का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आप से निवेदन यह है कि मैं ४-५ बार खड़ा हुआ हूं और मैंने लिखकर भी दिया लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष—जरा सब्र कीजिये, आपका नम्बर भी आयेगा।

श्री शुगनचन्द मजदूर—आज हरिजनों को खास तौर से बोलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक ठीक समय मिल रहा है। आप शोर गुल न करें।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज के अनुदान का समर्थन करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि हमने काफी तरक्की की है। उम्मीद है कि जो कुछ काम बाकी है वह पूरा हो जायगा।

इस सिलसिले में मुझे एक बात यह कहनी है कि मुसलमानों में एक बिरादरी राई बिरादरी के नाम से मशहूर है। न इसके पास पैसा है न तालीम है। ऐसी सूरत में मुझ आप से यह अर्ज करना है कि इसे पिछड़ी जातियों की लिस्ट में शामिल कर लिया जाय। इनके बच्चों की मुफ्त तालीम का इन्तजाम किया जाय और फीस वगैरह माफ कर दी जाय। जहां तक नौकरियों का ताल्लुक है, इन का कोई कोटा मुकर्रर कर दिया जाय। हमारे देश में तमाम मुसलमानों की आबादी पांच करोड़ है। इनमें से एक करोड़ २५ लाख की तादाद राई बिरादरी की है और खसूसन यह आबादी इस यू० पी० में सबसे ज्यादा है।

एक सदस्य—उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। जो अनुदान पर बहस हो रही है वह हरिजन समस्या और समाज कल्याण पर हो रही है। हिन्दू मुसलमान पर नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें किसी जाति का सवाल नहीं है। इसमें सदन का सवाल है। सदन में हर एक को उतना ही अख्तियार है, जितना दूसरे को है।

श्री अनीसुर्रहमान—उपाध्यक्ष महोदय, इस बिरादरी को बिहार में बैकवर्ड जाति करार दे दिया गया है और कागजात में इसका इन्दराज हो गया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे यहां भी हमारी सरकार राई बिरादरी को बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में शामिल कर ले। बस मुझे यही कहना है और कुछ नहीं।

श्री मन्नालाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि आज इस सदन में केवल एक ही मन्त्री उपस्थित है। बाकी कोई मन्त्री उपस्थित नहीं है। आज हरिजनों के अनुदान के सम्बन्ध में बात हो रही है। सब से ज्यादा मुझे दुख इस बात का है कि दो हरिजन मन्त्री, एक उप-मन्त्री और एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं जिन चार में से, एक भी नहीं है। कम से कम इन लोगों को इन गरीबों की बात सुनने आना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—वैसे मन्त्री जी उपस्थित हैं। तब यह नहीं कहा जा सकता कि वह नहीं हैं। सभी लोग हों तो अच्छा है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उप-मन्त्री जी का लड़का बहुत बीमार है। वह बाहर गई हुई हैं। इस वजह से वह उपस्थित नहीं हैं।

***श्री मन्नालाल**—आज हरिजन शब्द बड़े जोर शोर से गूंज रहा है। लेकिन हरिजन शब्द इतना अपमानजनक है जिसने हम को हिन्दुओं से बहुत अलग बैठा दिया है। हरिजन शब्द इतना अपमानजनक है कि दक्षिण में उसको कहते हैं कि जो व्यभिचार से सन्तान पैदा होती है। आज इन गरीब लोगों के ऊपर यह हरिजन शब्द थोपकर उनका अपमान किया जाता है। इस हरिजन शब्द से मैं घृणा करता हूं। हरिजन के बजाय और कोई शब्द रखा जाता तो ज्यादा अच्छा था।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् ५८–५९ में कुल ग्रांट थी १,०८,२२,९१,८०० रुपये जिसमें से केवल १,४६,६४,५०० रुपये अछूतों के लिये रखा गया था। सन् ५९–६० में कुल ग्रान्ट १,१९,६०,७६,५००रुपये थी जिसमें से अछूतों के लिये १,५१,३९,७०० रुपये रखा गया था। ६०–६१ में १,३०,८९,६८,२०० रुपये के कुल अनुदान में से २,५२,३०,४०० पये हरिजन कल्याण के लिये रखा गया था और इसी तरह सन् १९६१–६२ में १,४५, ६२,९८,३०० रुपये के कुल अनुदान में २,०६,३९,१०० रुपये हरिजनों के लिये दिये गये। तो यह इतना छोटा-सा अनुदान हरिजनों के लिये दिया जाता है और उसका बहुत बड़ा एहसान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मन्नालाल]

उनके ऊपर लादा जाता है कि हम हरिजन कल्याण कर रहे हैं और बहुत बड़ा सुधार कर रहे हैं। मुझे दुख है कि कुछ भी नहीं किया जाता है। इतने करोड़ अछूत जिस स्थान पर थे आज भी वह वहीं पर हैं। अलबत्ता कुछ जरूर जो कांग्रेसी भाइयों के दलाल हैं, वह चाहे चौधरी के रूप में हों, चाहे दूसरे किसी रूप में, उनको कुछ थोड़ा बहुत जरूर मिल जाता है, बल्कि उन्हीं को वह सारा रुपया मिलता है और किसी को नहीं मिल पाता। मेरे जिले खीरी-लखीमपुर में पसेवां एक ब्लाक है। वहां एक कांग्रेसी नेता के दो हरिजन नौकर हैं। उन्होंने उनके नाम पर ५०० रुपया बैलों का अनुदान लिया और दो गोई बैल खरीद कर अपने फार्म पर उनको चलाया। उसके बाद ८ महीने पहले से ब्याज लगाकर उन बैलों को उन्हीं के सिर पर ठोंका जबकि उनकी कीमत आधी रह गई थी। वह बेचारे लेने को तैयार नहीं थे लेकिन उनको डरा धमका कर उनके सिर वह मढ़ दिये गये। इस तरीके से जितने भी अनुदान होते हैं वह गरीबों को नहीं मिल पाते हैं। यह या तो उन्हीं सलाहकारों को मिलते हैं या जो खास उनके पिट्ठू होते हैं उनको मिलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हरिजनों के लिये जो १८ प्रतिशत सुरक्षित स्थान रखा गया है उसमें मेरे खयाल से एक प्रतिशत की भी पूर्ति नहीं हो पाती है। ५४ जिलों में एक भी कलेक्टर हरिजन नहीं है। शायद एक एस० पी० है। बाकी कहीं कोई हरिजन दिखाई नहीं पड़ता। पिछले वर्ष कम्पीटीशन में चार जगहें शिड्यूल्ड कास्ट के लिये थीं। एक शिड्यूल्ड कास्ट वाले ने उसमें टाप किया। उस पर प्रश्न यह हुआ कि टाप करने वाले को सबसे पहले वाले के रूप में लें या शिड्यूल्ड कास्ट की जो जगहें हैं उनमें लें। बहुत वाद-विवाद के बाद उन चार जगहों में से एक को जब्त करके उस टाप करने वाले को लिया गया। उसको तीन में शामिल करके चार स्थान पूरे किये गये। १८ तारीख को मेरा एक प्रश्न था। तहसील मोहम्मदी का प्रश्न मैंने किया था। ६२ अमीन वहां थे जिनमें एक भी हरिजन नहीं था। जो रीजनल थे, उनमें भी अछूत एक नहीं था। चपरासियों में नाम मात्र को थे। एक हरिजन अमीन पहले वहां पर था। उसको सवर्णों ने रंजिश मान कर के अलग कर दिया। हमारे अन्तरिम जिला परिषद् लखीमपुरखीरी में एक भी हरिजन क्लर्क नहीं है, यहां तक कि कोई हरिजन चपरासी भी नहीं है। इसी तरह से सारे जिला खीरी की तहसील में कोई हरिजन नहीं दिखाई पड़ता है। यह है हमारी सरकार का १८ प्रतिशत का रिजर्वेशन और उसका ढोंग।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ग्रांट उनको दी जाती है, इससे उनका कोई फायदा नहीं होता। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि इन सबको बन्द कर दिया जाय। अगर वाकई हरिजनों का उत्थान आप चाहते हैं तो उन सबको भूमि दे दें। जब उनको भूमि मिल जायगी तो वह उससे पैसा कमा सकेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे, अपने मकान बना सकेंगे और सीना तानकर चलेंगे। आज किसी को अनुदान देकर, किसी को वजीफा देकर उनको खरीदा हुआ गुलाम बनाया जाता है। यह सब अनुदान वगैरह केवल एलेक्शन जीतने के लिये उनको दिया जाता है। यह अनुदान अगर खत्म कर दिये जायं, वजीफे बन्द कर दिये जायं, तो इतनी तादाद में कांग्रेसी सदस्य जो यहां बैठे हुये हैं वह यहां न दिखाई पड़ें।

यह केवल अछूतों की ताकत पर जीत कर आते हैं और मुसलमानों की ताकत पर जीत कर आते हैं। बाकी और कोई नहीं रह गया है जो इनको वोट दे सके। उन लोगों से यह कहा जाता है कि अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो सरकार तुमको नौकरी नहीं देगी और वजीफा नहीं देगी। ऐसी ऐसी धमकियां उनको दी जाती हैं तब उनको इस तरह की लालच देकर वोट हासिल किया जाता है। इस तरह से यह सरकार वोट लेकर जीतती है। यह अनुदान वास्तव में अनुदान नहीं है। यह केवल चुनाव जीतने का एक साधन है।

जहां तक मकानों की समस्या का सम्बन्ध है, हमारे यहां लखीमपुर खीरी में बहुत सी कालोनी बनाई गई हैं। उनमें सभी तरह के लोग बसाये गये हैं लेकिन एक भी अछूत को उनमें

एक मकान भी नहीं दिया गया है। मैं इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता। अगर आप उनको झोपड़ी बनाने के लिये जगह दें तो उनकी कुछ सहायता हो सकती है और वे अपना मकान बना सकते हैं। मैंने बिजनौर जिले में जाकर देखा है जहां के गिरधारी लाल जी चौधरी रहने वाले हैं। वहां देखा कि हरिजनों के छोटे-छोटे से घर हैं जिनको झोंपड़ी कहते हैं। उनमें ही उनके लड़के, लड़कियां, बहू और बाप सब रहते हैं। उनको झोंपड़ी बनाने के लिये जमीन नहीं मिलती है। कहा जाता है कि हरिजन कल्याण कर रहे हैं और अछूतों को आगे बढ़ा रहे हैं। जब से कांग्रेस वालों ने छुआछूत शब्द इस्तेमाल किया है तब से छुआछूत बहुत बढ़ गई है, घटी नहीं है। जब तक छुआछूत शब्द का इस्तेमाल हरिजनों के लिये होता रहेगा तब तक छुआछूत दूर नहीं होगी। जनसंघ इन बातों पर विश्वास नहीं करता। वह तो केवल हिन्दुत्व को मानता है। उसके लिये न कोई अछूत है, न हरिजन है, न कोई हिन्दू और मुसलमान है। वह तो केवल सबको यहां का नागरिक मानता है।

*श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस ग्रांट का सम्बन्ध देश के समाज के ऐसे वर्ग से है जो सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। यह वर्ग ऐसा है जो सब से अधिक श्रम करने वाला है किन्तु पिछड़ा हुआ कहा जाता है, परन्तु इस वर्ग को सदियों और हजारों वर्षों से जीवन की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने से रोका गया है। इस वर्ग को ऊपर उठाने के लिये जो कुछ किया जा रहा है उसके लिये स्वागत है, परन्तु यह दाल में नमक के बराबर है। आज भी जिसको हम हरिजन कहते हैं वह जाति मनुष्य के बराबर नहीं है। क्या कोई समाज में मनुष्य मल मूत्र से निकला हुआ अन्न निकाल कर खायेगा? परन्तु हमारे ये भाई हैं जो मजबूर होकर इस अन्न को ग्रहण करते हैं और उस अन्न से अपना पेट भरते हैं...

श्री उग्रसेन—यह बात अपनी सरकार से आप कहिये।

श्रीमती गेंदादेवी—ऐसा करने के लिये वे मजबूर होते हैं। यहां तक कि उनको भर पेट अन्न नहीं मिलता है। ये लोग कठोर परिश्रम करते हैं। यदि इस समाज के अंग को आगे बढ़ाने के लिये प्रयत्न किया जाय तो हमें बहुत खुशी होगी। हम चाहते हैं कि आजाद मुल्क में हमको इतना मौका मिले जिससे कमर सीधी करके चल सकें। मैं अपने बस्ती जिले के खेतिहर मजदूरों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं जहां पर अधिकांश हरिजन जाति क लोग हैं, थोड़ी-सी जमीन उन लोगों को दी जानी चाहिये। जब मैं उन आदमियों के चित्र को देखती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी स्वतन्त्रता से बहुत पीछे हैं। हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि इस गांव के रहने वाले गरीब वर्ग ने मुल्क के नाम पर सब से अधिक कुरबानी की है। हम आज भी अपने कर्त्तव्य को समझते हैं कि हम अपने योग्य नेताओं के नेतृत्व में चलकर इस योग्य बन सकें कि जिसमें हर एक व्यक्ति यह समझ सके कि यह हमारा मुल्क है। परन्तु आज वह यह चाहता है कि यह पिछड़ा हुआ वर्ग जिसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक केवल बस्ती जिले में है, उसको कमर सीधी करने का अवसर दें ताकि उस वर्ग का उत्थान हो और राष्ट्र का उत्थान हो। इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी के अनुदान का समर्थन करती हूं।

श्री कैलाश (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं उग्रसेन जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सच बात तो, मान्यवर, यह है कि सरकार जो २ करोड़ ७० लाख का अनुदान हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के लिये खर्च करती है वह केवल चुनाव जीतने के लिये करती है और यह उसका एक राजनीतिक हथकंडा मात्र है। म जानना चाहता हूं कि सरकार ने पिछली दो योजनाओं में हरिजनों के लिये क्या किया है। उनका कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाश]

आर्थिक उत्थान नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने हरिजनों के लिये कौन से औद्योगिक आस्थान खोले हैं। उनके लिये १८ प्रतिशत की सुरक्षा कहां तक की है? आज भी उनमें पढ़े लिखे हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट फर्स्ट क्लास पास बेकार पड़े हुये हैं और उनको नौकरी नहीं दी जाती। देवरिया में कोई भी कांस्टीट्युएन्सी ऐसी नहीं है जिसमें हरिजन १०,००० से कम की तादाद में बसते हों, लेकिन आज भी उनके लिये किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। अगर कहीं उत्थान हुआ होगा तो शायद डाक्टर साहब के क्षेत्र में हुआ हो, वे सरकार में मन्त्री पद पर आसीन हैं, लेकिन आज भी उस जिले के अधिकतर हरिजन पोखरी से पानी पीते हैं, नाले से पानी पीते हैं और गोबर आदि से अन्न निकाल कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पिछड़ी जाति के लोगों को आज भी वहां कोई जगह नहीं मिलती। उनको स्कूलों में छात्रवृति भी समय से नहीं मिलती। अगर कहीं उनकी छात्रवृति मंजूर भी हो जाती है तो उसमें की आधी कटौती स्कूल के प्रिंसिपल कर लेते हैं और वह बेचारा आधा ही पाता है। हरिजन छात्र को लोटे से पानी भी पीने को नहीं मिलता। वह अन्य लोगों के साथ एक चारपाई पर नहीं बैठने पाता।

हमारे एक मन्त्री महोदय भी उसी क्षेत्र से आते हैं। मैं नमूना पेश करता हूं। वह मेरे साथ चल कर देखें कि अनेक गांवों में हरिजनों के पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हाटा निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव है, अकबरपुर और सलेमपुर पूर्वी क्षेत्र में लक्ष्मीपुर बाजार, पिपरा बघेल और सरैया रामपुर मिल आदि गांवों में हरिजनों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता है और वे अपने पीने के लिये पानी दूर से ढो कर लाते हैं या फिर नालों या तालाबों का पानी पीते हैं। यह सरकार का उत्थान है इन पिछले १५ सालों में। इस के अतिरिक्त इस पिछड़ी जाति में भी दो क्लासेज हैं—हरिजन और भंगी। इन दोनों में भी बड़ा मतभेद है। भंगियों में हमारे यहां बहुत से पढ़े-लिखे लड़के हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती। वे ठोकर खाते रहते हैं, और कोई उन्हें पास नहीं बैठाता। बैकवर्ड्स के लिये भी जिलों में समिति बननी चाहिये और मेरा सुझाव है कि पिछड़े वर्ग और हरिजनों के बच्चों के लिये हाई स्कूल तक फीस माफ होनी चाहिये। पिछड़ी जाति के लोग नाम मात्र को ही छात्रवृत्ति पाते है। इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सोहन लाल धुसिया (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस अनुदान का समर्थन करूंगा और साथ ही कुछ अपने सुझाव भी दूंगा। इस बजट पर अगर पिछले ५ सालों के बजट को देखा जाय तो यही मिलेगा कि मेम्बर्स सैटिस्फाइड नहीं हैं। यहां जो चर्चा होती है उसका असर मिनिस्ट्री पर क्या होता है और आफिसर्स पर क्या होता है, यह भगवान जाने। लेकिन यह जाहिर है कि मेम्बर्स सैटिस्फाइड नहीं हैं। जब मेम्बर्स सैटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर सरकार को कोई ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे मेम्बर्स सैटिस्फाइड हों कोई ऐसा काम हो जिससे गरीबों की भलाई हो। वास्तव में यह जो हरिजन उत्थान के नाम पर कार्य किया जाता है इस नाम को बदलना चाहिये। इस नाम से हम अपने को ही कलंकित करते हैं। इसकी जगह हमको यह कहना चाहिये कि हम देश की या प्रदेश की कमियों को दूर करेंगे। अगर यह कहा जाय तो अच्छा हो। इसके लिये मैं यह जानना चाहूंगा कि चीफ सेक्रेटरी महोदय साल में कितनी बार जिलाधीशों को बुलाकर विचार विमर्श करते हैं और उनकी इस संबंध में क्या राय होती है। चीफ सेक्रेटरी महोदय का यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि वे किसी कलेक्टर को कम से कम साल में ४ बार बुलाकर उससे इसके बारे में विचार विमर्श करें और यह देखें कि उनका रवैया कैसा है और क्या-क्या काम उनको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने चाहिये । इसके अलावा इसके लिये उनको लेजिस्लेटर्स की भी साल में दो तीन बार मीटिंग करनी चाहिये और इस विषय पर विचार करना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि बजट आया तो होली खेल ली । अगर इसी तरह से होली खेल कर आप उनकी भलाई करना चाहते हैं तो उससे न आप उनकी भलाई कर पायेंगे और न अपनी ही भलाई कर पायेंगे । अगर उनकी भलाई होगी तो आपके देश की भलाई होगी और आपकी भी भलाई होगी । इसके लिये अगर आप ऐसा नहीं करते तो देश की भलाई नहीं हो सकती ।

एक बात मैं और चीफ सेक्रेटरी महोदय से निवेदन करूंगा कि जब भी वे कलेक्टर्स की मीटिंग बुलावें तो यह देखें कि जो भी एप्वाइन्टमेन्स हों, उनमें ऐसे लोगों के एप्वाइन्टमेन्स हों जो अनटचेबलिटी में विश्वास रखते हों और इस विभाग में भी ऐसे ही लोगों की भर्ती हो जो उसमें विश्वास करते हों । ऐसे लोगों की भर्ती न हो जो इसमें विश्वास न करते हों । अगर ऐसा नहीं होगा तो वे लोग कोई कल्याण नहीं कर सकते । वेद पुराण जब लोग पढ़ते हैं तो उनमें यह फर्क आ जाता है और वे इन्सान को इन्सान नहीं समझते । इसको पढ़कर ही वे एक को इंसान और दूसरे को हेवान समझने लगते हैं । इसके लिये मैं यह कहूंगा कि जितना भी हो सके कुछ आदमियों का एप्वाइंटमेन्ट गवर्नमेन्ट करे और जितना रिजर्वेशन हो उसको पूरा कर ले । अगर नहीं करेगी तो उसका नतीजा, मैं समझता हूं, गवर्नमेन्ट के लिये खुद ही अच्छा नहीं होगा ।

हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है उसमें सुनने में आया है कि पश्चिम जिलों में ऐसा नारा लगाया गया, "जाटव—मुस्लिम भाई भाई, हिन्दू जाति कहां से आयी ?" इसी तरह से दक्षिण में कजगम पार्टी के नेता लोग दक्षिण को हिन्दुस्तान से अलग करने का नारा लगाते हैं । मैं इसके लिये केवल कास्ट हिन्दूज को ही दोषी मानता हूं । एक पाकिस्तान क्या, न मालूम कितने पाकिस्तान इस तरह से बन जायेंगे अगर आपने अपना रवैया चेंज नहीं किया । सेक्रेटरी महोदय और कैबिनेट के लोग इसपर ध्यान दें कि अगर देश को फिर से बटवारे से बचाना है तो कम से कम ऐसे नारे न उत्पन्न होने दें, और यह तभी संभव है जब उनके साथ जस्टिस होगी ।

इसके बाद मैं आपसे सुधार के लिये दो एक बात और कहूंगा । सुधार तभी हो सकता है जब उसके पास बिजनेस हो, या लैंड हो या सर्विस हो । इन गरीबों के पास बिजनेस तो है नहीं, लैंड भी दे नहीं सकते, क्योंकि आप ही को कम पड़ रही है, आपके रिश्तेदारों को नहीं मिल रही है । लेकिन सर्विस तो दे सकते हैं और उनके साथ न्याय कर सकते हैं, उसमें आपका कोई घाटा नहीं है । लेकिन वह भी नहीं देते हैं, महज इसलिये कि आप ईमानदारी से काम नहीं करते हैं । ताज्जुब होता है कि गवर्नमेन्ट देखती है कि यहां पर ईमानदारी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वह कान में तेल डाल कर पड़ी रहती है । इसलिये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक साल में एक ही डिपार्टमेन्ट को देखा करे और खास तौर से यह देखे कि जितना रिजर्वेशन होना चाहिये उतना हुआ या नहीं । और अगर नहीं है तो उसको पूरा करने की कोशिश करे । इसके लिये मैं आपको उदाहरण दूंगा कि लोग कहते हैं कि हमको बहुत सूटेबिल कंडीडेट नहीं मिलते हैं । लेकिन यह उनके दिमाग का फितूर है और गलत नीति है जो इस तरह के शब्दों में प्रकट होती है । हरिजन मिनिस्टर सेंटर में जगजीवनराम जी थे । वह जिस जिस डिपार्टमेन्ट में गये सब जगह उनको शेड्यूल्ड कास्ट के लोग मिले और उन्होंने उन डिपार्टमेन्ट्स में रिजर्वेशन को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन यहां यह हालत है कि चाहे मिनिस्टर हों या रेस्पांसिबिल आफिसर, उनको हरिजन नहीं मिलते । असल में वजह यह है कि वह खुद सूटेबिल नहीं हैं और उनके दिमाग में प्रेजुडिस है । अगर उसको वह निकाल दें तो लोग मिलने लगेंगे, इसलिये वह करना नहीं चाहते हैं । इसलिये मैं यह कहूंगा कि अगर इन सब हालात के बावजूद गवर्नमेन्ट चाहे कि हमें नैशनल इंट्रिगेशन की स्कीम चलाना है तो वह कैसे हो सकता है । आपका नक्शा इतना बड़ा बड़ा चलता है और हवा में पुल बांधते हैं जो कहीं मेल नहीं खाते हैं । फिर देश का कल्याण कैसे होगा ? जब कर्त्ता-धर्त्ता ही अपने को नहीं सुधारते हैं, मैं यह नहीं कहता कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाय, लेकिन गवर्नमेन्ट की

[श्री सोहनलाल धुसिया]

रेस्पांसिबिलिटी है कि जो लोग ठीक से काम नहीं करते हैं तो उनको तंबीह दी जाय और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो उनको सजा दी जाय । अगर ऐसा नहीं होगा तो जो पिछली हिस्ट्री चली आयी है वही दोहराई जायगी ।

एक चीज और कहूंगा कि जिस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट्स की सर्विसेज के समय होता है वैसा ही उनके कैरेक्टर रोल लिखते समय होता है । वह गजेटेड और नान-गजेटेड का लिखा जाता है, तो जब मेम्बर्स से बात होती है तो कहते हैं कि किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट्स के आदमियों का कैरेक्टर रोल कभी अच्छा लिखा ही नहीं जाता । उसकी महज एक वजह है कि वह दूसरों को प्रोमोट करना चाहते हैं । मैं जानता हूं कि मेरे साथ के यूनिवर्सिटी में पढ़े हुये साथी शुरू में जिस पोस्ट पर गये थे वहीं पर आज भी पड़े हुये सड़ रहे हैं । उनसे जूनियर लोग प्रोमोट कर दिये गये क्योंकि उनका करैक्टर रोल अच्छा रखा गया । इन लोगों का कैरेक्टर रोल खराब किया गया । मैं नहीं समझता कि इन लोगों का काम खराब रहा बल्कि लिखने वालों का करेक्टर जरूर खराब था जिनका शैडो इनके कैरेक्टर रोल पर पड़ा । मैं चाहूंगा कि आफिसर्स अपनी इस मेन्टलिटी को चेंज करें । म गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह ऐसा रवैया अख्तियार करे जिससे यह बजट जो पेश किया जाता है वह सार्थक हो सके । मैं कहूंगा कि सरकार इस अनुदान में कुछ रुपया और बढ़ाये । आज जो रुपया दिया जाता है उसका ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं होता । मैं सदन की सूचना के लिये यह भी बताना चाहता हूं कि जिन जिलों में शेड्यूल्ड कास्ट या मुसलमान हरिजन वेलफेयर आफिसर हैं उनका काम बहुत अच्छा है....

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, क्या आपके समक्ष पीठ कर के माननीय गोविन्द सहाय जी इस सदन में बात कर सकते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री सोहनलाल धुसिया—मैं यह कह रहा था कि देखने में यह आया है कि जिन जिन जिलों में शेड्यूल्ड कास्ट मुसलमान हरिजन वेलफेयर आफिसर हैं वहां अच्छा काम चल रहा है लेकिन जहां पर हिन्दू कास्ट हरिजन वेलफेयर आफिसर हैं वहां पर वह हिन्डरेंसेज पैदा करते हैं कि एक भी काम न होने पाये । ऐसे केसेज मेरे सामने आये हैं कि अगर ५०० रुपया ग्रान्ट का हुआ तो उन्होंने १०० रुपया ले लिया और बाकी इन्सटालमेन्ट में देते हैं और इतना परेशान करते हैं कि उसका सैकड़ों रुपया आने-जाने पर ही खर्च हो जाता है । मैं उम्मीद करूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाय ताकि आइन्दा से ऐसी चीजें न होने पायें । अफसरों पर कड़ी निगाह रखने की आवश्यकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जातिवाद का प्रारम्भ से ही बहुत जोर रहा है । इन जातियों का अपने अपने अलग अलग तरीके से सामाजिक रीति रिवाज और रहन-सहन रहा है । उनकी रीति रिवाज के अनुसार ही प्रत्येक जाति का आर्थिक विकास हुआ है । इस तरह से हमारे देश में कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें आज हरिजन के नाम से पुकारा जाता है । उनका आर्थिक विकास देश की अन्य जातियों के मुकाबले में बहुत कम हुआ है । जब देश स्वतंत्र हुआ, देश का संविधान बनाते समय इनके आर्थिक उत्थान के लिये भारतीय संविधान में विशेष सुविधाओं का प्रावीजन रखा गया, परन्तु १५ वर्ष हो गये लेकिन सरकार की तरफ से उनके उत्थान के लिये कोई सक्रिय कदम नहीं उठाये गये । आज भी हम देखते हैं कि इन जातियों का आम तौर से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण होता है । इस वर्ग के ९५ फीसदी लोग देहातों में खेती करके अपना जीवन बिताते हैं लेकिन उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है जिससे अपनी आर्थिक दशा सुधार सकें । उद्योग धन्धों में लगाने के लिये इनके पास पैसा नहीं है जिससे कोई रोजगार कर सकें ।

इसके अतिरिक्त नौकरियों में भी उनकी संख्या नहीं के बराबर है। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार की तरफ से इस वर्ग को कुछ सुविधा दी गयी है जैसे—मुफ्त शिक्षा, छात्रों को वजीफा, परन्तु इस वर्ग के लोग आम तौर से सरकारी सुविधाओं का समुचित लाभ नहीं उठा पाते। इसका खास कारण यह है कि यह वर्ग आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है। फलस्वरूप इस वर्ग के सामने पेट भरने का सवाल मुख्य रूप से और सबसे पहले आता है। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास मजदूरी के सिवाय पेट भरने को और कोई साधन नहीं है, जो दिन भर धूप में काम करता है और केवल एक सेर सावां शाम को मजदूरी लेकर घर आता है, वह सोचता है कि स्कूल जाने के बजाय उसका लड़का इंटे की ढुलाई करेगा तो कुछ तो उसकी आर्थिक समस्या हल हो ही जायगी। यह सोच कर वह अपने लड़के को स्कूल नहीं भेजता है।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि हरिजनों के उत्थान के लिये जगह-जगह हरिजन कालोनीज बनायी जा रही हैं। जो भूखों मर रहा है उसको कालोनी बनाने से, पक्के मकान बनाने से क्या लाभ मिलेगा? जो भूखा है अगर उसको पक्के मकान में रख दिया जायगा तो ठंड खाकर मर जायगा। इस प्रकार से जिस तरफ सरकार को कदम उठाना चाहिये उस तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है और दूसरे तरीकों से उत्थान करने को सोचती है जो उसके लिये लाभदायक नहीं होते।

मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि उसका आर्थिक सुधार तभी हो सकता है जब सरकार की तरफ से उचित कदम उठाये जायं। भूमि सुधार नियम इस तरीके से बनाये जायं कि जिनके द्वारा अधिक से अधिक जमीन हासिल हो सके और उस जमीन को इस वर्ग के भूमिहीनों में बांट दिया जाय। इसके अलावा सहकारिता के आधार पर बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे चालू किये जायं।

आज यह भी देखा जाता है कि सरकारी नौकरियों में केवल २–३ प्रतिशत् ही हरिजन लोग हैं। इसके लिये यह किया जाना चाहिये कि हर विभाग को लिखा जाय कि वह १८ प्रतिशत् की पूर्ति करे और जिस विभाग में पूर्ति न की जाय उस विभाग के अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

आज भी धार्मिक दृष्टिकोण से इस वर्ग के लोग घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं। देहात की बात तो छोड़ दीजिये कि जहां पर इसकी कोई सीमा नहीं है, मैं यहां केवल शहरों की बात बता देना चाहता हूं जहां आम तौर से शिक्षित लोग रहते हैं। शहरों में होटलों आदि में तथा सार्वजनिक स्थानों पर इस वर्ग के शिक्षित व्यक्तियों को भी अपमानित किया जाता है। आजमगढ़ में कुछ छात्र एक होटल में खाना खाने गये लेकिन होटल वाले ने अछूत समझ कर उनको भोजन नहीं दिया और छुआछूत के मसले को लेकर उनको अपमानित किया गया, मार पीट की गई। जब इसकी सूचना थाना कोतवाली में दी गयी तो उन्होंने छुआछूत में मामला न दर्ज करके धारा ३२३ में उस को दर्ज किया। इसके लिये मैं जिला मैजिस्ट्रेट से भी मिला। उन्होंने मुझे इस विषय में आश्वासन दिया लेकिन अभी तक इसके उपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह पता नहीं चलता कि सचमुच उसमें कोई कदम उठाया जायगा या नहीं उठाया जायगा।

जब से देश स्वतंत्र हुआ है राजनीतिक और व्यक्गित स्वतंत्रता सब लोगों को प्राप्त हो गई है लेकिन यह देखने में आता है कि जब इलेक्शन का जमाना आता है तो इस वर्ग के लोगों पर अनुचित दबाव डाला जाता है, उनसे वोट पाने के लिये १–२ रुपया भी दिया जाता है, इस प्रकार वोट खरीदने से उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहां रही? यह सब उसकी गरीबी की वजह से होता है, आज वह गरीब न होता तो वह भी अपना स्वतंत्र मत दे सकता। यही कारण है कि हरिजन वर्ग का शोषण हो रहा है। ईसाइयों के पास, उनके पादरियों के पास काफी पैसा है, वह उनको तमाम तरह की सुविधायें देते हैं और गरीबी के कारण वह लोग उनकी सुविधाओं के लालच में पड़कर इसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। इस चीज को रोकने की जिम्मेदारी

[श्री छांगुर]

कांग्रेस सरकार की है । अगर इस तरह से हरिजन वर्ग गरीबी के कारण अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म मेंजाता है तो हमारे लिये यह जरूरी हो जाता है कि हम उन की आर्थिक हालत को सुधारने के लिये कोई सक्रिय कदम उठावें ताकि इस प्रकार से कोई धर्म परिवर्तन न हों और भविष्य में यह चीज रुक जाय ।

श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो अनुदान उपस्थित हैं मैं उन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जहां तक उत्तर प्रदेश की हरिजनों की समस्या है, उसके सम्बन्ध में इस पार्टी की ओर से और उस पार्टी की ओर से लोग जो सुझाव देते हैं उस से यह तो सर्वविदित ही है कि सरकार की तरफ से हरिजन उत्थान के लिये काफी पैसा खर्च हो रहा है लेकिन इस के बावजूद भी आज गांवों में और बाहर जो हरिजनों की समस्या है और जो उनकी हालत देखी जाती है उससे मालूम होता है कि सरकार उन पर इतना पैसा खर्च करती है फिर भी उन का स्थान जहां पहले था आज भी वहीं पर है । हमें इस बात को हर बार कहना होगा कि आज से दस साल पहले जो हरिजनों की समस्या थी वह कुछ सुलझी अवश्य है लेकिन मैं कह सकता हूं कि वह कुछ उलझ भी गई है ।

हमें सरकार की ओर से शिक्षा के लिये जो सहायता दी जा रही है वह अधिक सराहनीय है क्योंकि उससे हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है लेकिन उस सम्बन्ध में मुझे इतना कहना है कि जो छात्रवृत्तियां इन लोगों को दी जाती हैं वे समय से नहीं मिलती हैं । इस के लिये सरकार को प्रबन्ध करना चाहिये । हम चाहते हैं कि समय से ही यह ग्रान्ट दी जाय ताकि बच्चे शुरू में ही किताबें खरीद कर पढ़ने का प्रबन्ध ठीक से कर सकें । यह छात्रवृत्ति दो किस्तों में दी जाती है और दूसरी किस्त तो उस समय दी जाती है जबकि लड़के परीक्षा देकर चले जाते हैं । कुछ लोगों ने सुझाव दिये हैं कि यह सब छोटी कक्षा को न देकर केवल ऊंची क्लास में ही दी जायं । मेरा खयाल यह है कि जिला बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड को सरकार जो सहायता देती है, वह सरकारी सहायता नहीं के बराबर है । मैं इस सरकार को सुझाव दूंगा कि जहां तक जूनियर हाई स्कूल कक्षा तक की बात है, जिस तरह से ऊंचे क्लासों को छात्रवृत्ति दी जाती है उसी तरह से नवें दसवें के बच्चों को भी दी जाय । इस से बच्चों का लाभ होगा और जो बच्चे आठवीं के बाद नहीं बढ़ सकते वे आगे पढ़ सकेंगे ।

इसके अलावा जहां तक हरिजनों को नौकरियों और अनेक पदों व कामों में लगाने की बात है, सरकार ने १८ प्रतिशत का रिजर्वेशन हरिजनों के लिये किया है । इस पर गांवों में लोग उलाहना भी करते हैं कि आज की सरकार तो हरिजनों की सरकार है लेकिन वाकया यह है कि कहीं भी इस १८ प्रतिशत की पूर्ति सरकार ने नहीं की है, यहां तक कि छोटी छोटी नौकरियों में भी वह पूरा नहीं किया जाता है । बड़ी बड़ी नौकरियो के बारे में कहा जा सकता है कि योग्य लोग नहीं मिलते लेकिन छोटी छोटी नौकरियों में भी जब यही जवाब मिलता है तो आश्चर्य होता है । चपरासी के ही स्थान को लिया जाय जिसमें कोई पढ़े लिखे आदमी की जरूरत नहीं है, जिसमें केवल एक नौजवान काम करने वाला ही चाहिये, जबकि हरिजन बच्चे शुरू से ही मेहनती होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनको नहीं लिया जाता है और कह दिया जाता है कि वे अयोग्य हैं । छोटी नौकरियों से बड़ी तक सरकार का ध्यान इस तरफ जाना चाहिये कि हरिजनों का प्रतिशत पूरा हो । मैं चाहता हूं कि जब जिले के अधिकरी लोग किन्हीं नौकरियों के लिये चुनाव करें तो उस समय वहां हरिजन समिति का भी एक सदस्य रहना चाहिये ताकि वह नौकरियों में हरिजनों के कोटे को ठीक से पूरा करा सके ।

इसके अलावा हरिजनों को अनुदान देने के लिये काफी पैसा सरकार खर्च करती है लेकिन जब अनुदान बांटने की बात होती है तो हरिजन कमेटी बैठती है, वह बांटती है, लेकिन जब रुपया देने का समय होता है तो प्लानिंग विभाग से आदेश होते हैं कि जब तक ग्रामसेवक न लिख दे कि पूरा काम हो गया है तब तक रुपया न दिया जाय ।

जहां तक ग्राम सेवकों का प्रश्न है, मैं इस बात को भली भांति कह सकता हूं कि ग्राम सेवक हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेन्ट की तरफ से जो अनुदान हरिजनों के लिये मिला है उसमें कम से कम एक चौथाई उन्हें मिल जाय। वे कोई न कोई काम में ऐब निकाल कर ऐसे व्यक्तियों को हैरास करते हैं कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है, इसलिये हम रिपोर्ट नहीं देंगे। चूंकि वे बेचारे हरिजन अनपढ़ होते हैं और सारी चीजों को समझ नहीं पाते, इसलिये ग्राम सेवक की बात मान कर उसे कुछ देने के लिये तैयार हो जाते हैं और तब जाकर उनकी रिपोर्ट वे देते हैं। मेरा सुझाव है कि जब हरिजन कमेटी है, हरिजन सुपरवाइजर व अधिकारी मौजूद हैं तो उन्हीं की रिपोर्ट पर रुपया दिया जाना चाहिये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)——आज वहां हरिजन अधिकारी हैं ही कहां ?

श्री रामसमझावन——जो गांव के रहने वाले हरिजन मजदूर हैं, गवर्नमेंन्ट की तरफ से उनके लिये अभी तक कोई निश्चित मजदूरी नहीं तय है, अतः उनके लिये कोई निश्चित बात होनी चाहिये। देखा जाता है कि आज भी गांवों में उनको ढाई पाव मजदूरी दी जाती है, लेकिन गवर्नमेन्ट की तरफ से इसके लिये कोई कमेटी मुकर्रर नहीं की गयी है जो गांवों में जाकर उनकी हालत को देखें और उनकी मजदूरी को निश्चित करे और इस बात पर जोर लगावे कि उन हरिजनों को थोड़ी सी ज्यादा मजदूरी मिले जिनके पास खेती के अन्य साधन नहीं हैं। मेरा कहना है कि ऐसे लोगों को सही मजदूरी क्यों न दी जाय।

मेरा सुझाव है कि हरिजन कमेटी जो इतनी बड़ी बना दी गयी है उसकी वजह से जितना काम होना चाहिये वह नहीं हो पाता, इसलिये वह कमेटी छोटी की जाय। मैं इस बात को मानता हूं कि केवल हरिजन ही उस कमेटी के सदस्य न हों, बल्कि जिले के सभी एम० एल० ए० और प्रमुख लोग उसमें रहें और सभी काम करें। आज तो हर ब्लाक के प्रमुख और अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य भी उसके मेम्बर हैं जिससे यह कमेटी बहुत लम्बी हो गयी है। आज जिस वक्त अनुदान पर बात होती है तो हर व्यक्ति यह चाहता है कि हमारे क्षेत्र की बात मानी जाय और एक प्रकार का झगड़ा होता है और सही अनुदान जिस गरीब को मिलना चाहिये वह उसे नहीं मिल पाता।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)——उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह देख रहा हूं कि आज जब समाज कल्याण के ऊपर सदन में चर्चा हो रही है तो हाउस की उपस्थिति में प्रदेश के जो प्रशासक हैं उनमें से बहुत कम यहां नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह मसला बहुत ही गरीब और असहाय या हरिजन लोगों का है। हरिजनों का जहां तक ताल्लुक है, मैं यह नहीं जानता कि अगर एक वर्ग पूरे देश का हरिजन है तो बाकी लोग दुर्जन हैं, क्या ऐसा समझ कर यह हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया है ? जैसा कि मैंने बतलाया——आज हरिजनों के नाम पर, अछूतों के नाम पर और तरह तरह की तमाम कौमें हमने इस प्रदेश के अन्दर बना रखी हैं जिनकी वजह से ही इस प्रदेश का शासन आज टिका हुआ है। जो आज की सरकार है वह सिर्फ हरिजनों के बल पर चल रही है। हरिजनों की तादाद यहां पर इतनी ज्यादा है जिसकी बदौलत आपका मंत्रिमंडल यहां बना हुआ है। यदि आज हरिजन अपने को समझ लें कि सही माने में उनका शोषण हो रहा है, उनके नाम पर तरह तरह की योजनायें बनायी जाती हैं, अखबारों और रेडियो के द्वारा तथा हरिजन कमेटियों से जन-जन में ऐसी भावना पैदा करते हैं कि हरिजनों की हालत सुधारने के लिये सरकार ने बड़ा प्रयत्न किया है, यह एक तरह का ढोंग है और एक मजाक है और इस तरह से सरकार ने लोगों को गुमराह करने का एक अजीब मदारी का तमाशा सा बना रखा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक मंत्रियों का ताल्लुक है हरिजनों का रिप्रेजेन्टेशन जितने खुबसूरत मंत्री को दिया गया है वह अगर इस हाउस में मौजूद होते तो आप पता लगा लेते । जिस दिन से मैं यहां आया हूं एक दिन भी मैंने उनको नहीं देखा । आज भी हमारे मंत्री जो कैबिनेट रैंक के हैं, यहां विराजमान नहीं हैं ।

मैं कह रहा था यहां पर हरिजन और दुर्जन के नाम पर अजीब अजीब बातें होती हैं । स्वार्थ के लिये आप किसी वर्ग का कुछ नाम रख लें, मैं ऐसा नहीं मानता । पूर्व वक्ता ने कहा था कि हरिजनों का रिप्रेजेन्टेशन सरकार मे उचित मात्रा में नहीं लिया जाता, यह बात उनकी सही है ।

अभी जो कहा गया था कि अलीगढ़ में पिछले दिनों जाटव मुस्लिम भाई-भाई के नारे लगे यह बात बिलकुल गलत है । यह सिर्फ स्वार्थी आदमियों ने प्रोपेगेण्डा किया है कि जो अपने पैरों पर खड़े हो कर, वह वर्ग जो दबा हुआ था अपना प्रोग्राम ले कर बढ़ना चाहता है, उनको दबाने के लिये हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि हम उनको कम्युनल कह दें । इस मुल्क में ७ साल तक हिन्दू मुस्लिम भाई-भाई, उनकी एकता के नारे लगाये गये, लेकिन जब जाटव और मुस्लिम भाई-भाई के नारे लगाये गये तो उसको कम्युनल कहा जाता है । वह दिन कहां गये जब इस मुल्क में सिक्ख भी थे, ईसाई भी थे तथा अन्य जातियां भी थीं, लेकिन आपने हिन्दू मुस्लिम भाई-भाई का ही नारा लगाया । जब आप खुद इस तरह की बात कर सकते हैं तो दूसरों पर इस तरह का इल्जाम लगाना कहां तक मुनासिब है ? सिर्फ नीली टोपी लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है, हम पर तरह तरह के आरोप लगा कर हमारी जबान बन्द करने की कोशिश की जाती है । अगर यही भावनायें लोगों के दिल में मौजूद रहीं, और वही संस्कृति जिसकी धज्जियां उड़ाने के लिये आज की सदी का हर समझदार आदमी तैयार है, उस दकियानूसी लिट्रेचर को जिसके नाम पर इन्सान के बीच में खाई खड़ी की गई, उन्हीं बातों को जारी रखा जाता है तो बड़े शर्म की बात है । एक तरफ दूसरे लोग वही बात कहें तो कोई बेजा नहीं, क्योंकि उनको रूढ़ीवादी पहले ही कह चुके हैं, लेकिन जो प्रगतिशील हैं, अपने मुल्क की तरक्की की जिम्मेदारी लिये हैं, अगर वह इस तरह की बात करते हैं तो जरूर अफसोस होता है ।

पिछले दिनों मुख्य मंत्री ने कहा था कि लोक सेवा आयोग में परिगणित जाति का एक आदमी रखेंगे, लेकिन अभी तक उसकी पूर्ति नहीं की गई । पिछले दिनों एक कमीशन बना सर्विसेज में रिजर्वेशन की जांच करने के लिये, उसने अपनी रिपोर्ट दी कि यहां सही माने मे परिगणित जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, पर अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया, वह रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई । हमारे भाई जो उस तरफ बैठे हैं यह सोचते हैं कि अगर सरकार से बिगाड़ किया तो अगली दफा टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वह सोच लें कि मिट्टी खा कर भी जिन्दा रह सकते हैं तो सही तरीके से वे अपने कर्तव्य को निभा सकेंगे और जो सच्ची बात होगी उसी को कहेंगे तथा कहना भी चाहिये । मैं भी आपके सामने साढ़े पांच फीट का नौजवान हूं, आपके कांग्रेस उम्मीदवार को जनरल सीट पर हरा कर आया हूं । गोविन्द सहाय जी उस क्षेत्र में बहुत जाते रहे हैं । आज के युग में बहुत ज्यादा दिनों तक किसी की आंख पर पट्टी नहीं बांधी जा सकती । जो वर्ग करोड़ों की तादाद में बसता है और दब गया है उसमें जागरूकता आ रही है और वह क्रान्ति के किनारे पर है और शीघ्र ही ऐसे शोले उमड़ेंगे कि आपने जो उल्टा सीधा बना रखा है वह सब राख में मिल जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री खुशीराम,.....

(श्री खुशीराम के खड़े होने पर ।)

एक सदस्य—मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय २ घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—अभी बहुत समय है। सब्र कीजिये। फिर आज दो मीटिंग्स भी हैं कमेटीज की। इसलिये अभी इस प्रस्ताव की जरूरत नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—मेरा सुझाव है कि समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—४ बजे इस प्रश्न को आप लोग फिर उठाइयेगा।

श्री उग्रसेन—जो लोग कमेटीज में जाना चाहेंगे वे कमेटीज में जायेंगे, बाकी लोग सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अभी तो आवश्यकता महसूस नहीं होती। अगर समय की जरूरत होगी तो बढ़ा दिया जायगा। मैं बैठा ही हूं।

श्री दीपनारायणसिंह—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब प्रस्ताव उपस्थित हो जाय तो वोटिंग पहले होनी चाहिये या भाषण। जब सदन की इच्छा है तो पहले इस प्रस्ताव पर वोटिंग हो जाय सदन का समय बढ़ाने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं पहले मेम्बर को बुला चुका हूं, पहले उन्हें भाषण करने दिया जाय।

श्री दीपनारायणसिंह—लेकिन पहले व्यवस्था का प्रश्न है। प्रस्ताव जब आया तो आपने मंत्री जी से राय ली और मंत्री जी ने सहमति प्रकट की।

श्री उपाध्यक्ष—सहमति प्रकट नहीं की।

श्री उग्रसेन—सहमति प्रकट की है। आप सफाई करा लीजिये।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—श्रीमन्....

श्री देवदत्त (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, यह अध्यक्ष को अधिकार है कि वह प्रस्ताव को ले या न ले।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय खुशीराम जी बोलने को खड़े हुये, उस बीच में कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता। उनका भाषण समाप्त हो जाय तब प्रस्ताव आ सकता है।

श्री उग्रसेन—आपने फिर से सफाई कराने के लिये हरिजन कल्याण मंत्री को बुला लिया। वह खड़े भी हुये और उन्होंने हाउस पर कब्जा भी कर लिया और फिर आप कह रहे हैं कि माननीय खुशीराम जी का भाषण होगा।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय खुशीराम जी को मैंने काल अपान कर लिया है। वह बोल रहे थे तब यह प्रश्न उठा। मैंने मंत्री जी से पूछा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका भाषण पहले हो जाय तब यह बात तय होगी।

श्री छत्रपति अम्बेश—मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा तो मैं यह जानना चाहूंगा आप यह बतलायेंगे कि उन्हें आपने बुलाया किसलिये था और वे किसलिये खड़े हुये ?

श्री उपाध्यक्ष—मंत्री जी ने यह कहा कि अगर हाउस चाहेगा तो थोड़ी देर बाद इस प्रश्न का निपटारा होगा तब जवाब देंगे।

(व्यवधान)

खुशीराम जी का भाषण समाप्त हो जाय, तब यह तय होगा।

श्री उग्रसेन---यदि आपको कोई हिचक हो तो सदन के समक्ष रख दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो व्यवस्था के विरुद्ध होगा । एक भाषण हो रहा था, वह समाप्त हो जाने दीजिये ।

श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)---महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का स्वागत और समर्थन करता हूं । इस अनुदान के संबंध में जितने महोदय बोले हैं उससे यह बात साबित है कि हरिजनों ही हालत अबतर है । वह समस्या केवल हरिजनों की नहीं है, बल्कि यह इस देश और समचे राष्ट्र की समस्या है । इस निर्बलता को दूर करने के लिये हमारी सरकार ने जो कुछ भी प्रयत्न किया है उसको मैं यह नहीं कहता कि कुछ नहीं किया, काफी कुछ किया, लेकिन यह काम महान् है और इस निर्बलता को दूर करने के लिये जो साधन दिये गये हैं वह बहुत कम हैं, उनकी रफ्तार बहुत धीमी है और इस धीमी रफ्तार से हम निर्धारित समय में मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंच सकते ।

इस संबंध में आज से बहुत पेश्तर इस आदरणीय सदन में हरिजन उत्थान के लिये मैंने पांच साधन बताये थे । पहला यह कि इस वर्ग को शिक्षा दी जाय, दूसरे भूमि, तीसरे उद्योग धन्धों में लगाया जाय, चौथे नौकरियों में जगह दी जाय और पांचवे इनके साथ किया जाने वाला अमानुषिक बरताव, यानी छुआछूत को दूर किया जाय । इन पांच साधनों से यह कमजोर अंग बलवान हो सकता है । इन पांच साधनों में से शिक्षा के विषय में तो सरकार ने काफी कुछ किया है, लेकिन भूमि के लिये जो खास साधन इस कमजोर अंग को बलवान करने का हो सकता है अभी तक अधिक नहीं हो पाया है, बहुत कम हो पाया है । जैसे किसी को शर्बत पिलाने के लिये कहा जाय और कुंएं में केवल दो बताशे डाल दिये जायं उसी प्रकार इन को भूमि देने की बात है । मैंने इस संबंध में कई बार कहा, लेकिन अभी तक यह समस्या हल नहीं हो पायी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांव की रक्षा के लिये बात कहता हूं । पिछड़े वर्ग के लोगों के सवाल को हम लोगों को तय करना है । मुझे इन अछूत भाइयों की दशा को देखकर बड़ा दुख होता है । मैं तो जनता की भलाई के लिये बात कहता हूं । मैं चाहता हूं कि हमारे जो जंगल हैं उनकी रक्षा भली प्रकार से होनी चाहिये । वनों में १००, ५० फुटी लाइनें कटती हैं और सड़कें बनती हैं । तिब्बत के लिये जो हमारे यहां से सड़कें गई हैं, उनके लिये जो जंगल काटे गये हैं उनसे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि यह तो बड़े अच्छे काम के लिये हो रहा है । वहां की जो भूमि है वह भूमिहीन हरिजनों को देने लायक है । इस तरह से जंगलों का कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि उल्टे उनकी रक्षा होगी और जनता को लाभ पहुंचेगा । यह श्रीमन्, आपके द्वारा मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के सामने अपने सुझाव रखना चाहता हूं और मुझे आशा है कि मंत्री जी इन पर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे । मैं कहता हूं कि गरीब हरिजनों को भूमि दी जानी चाहिये । नैनीताल जिले में कोटा रेंज में तीन गांव हैं जिनके नाम इस तरह से हैं---रामपुर, लेटी और चुपड़ा । इन गांवों में १००---१५० हरिजन परिवार रहते हैं । यह गांव फ्री प्लाटों के नाम से बसाये गये थे । इनका ३५ साल से वहां पर कब्जा है । उनको निकाला जा रहा है । हमारी सरकार को इधर ध्यान देना चाहिये कि उन पर क्या बीत रही है ?

(लाल बत्ती होने पर)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट और देने की कृपा की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---बहुत बोलने वाले हैं, आप जल्दी खत्म करने की कृपा करें ।

श्री खुशीराम---इस प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर इन गांवों के रहने वालों को यह परेशानी हो रही है । ये लोग जंगल से निकाले जा रहे हैं । ३५ वर्ष से ज्यादे से इनका वहां पर

कब्जा है, इन्होंने वहां पर अपने मकान व बाग, बगीचे बना लिये हैं, ऐसी हालत में उनको उनके मकानों से क्यों निकाला जा रहा है ? वन विभाग के कर्मचारी डकैतों की तरह से आजाते हैं और उनको निकालते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

सदन का समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय ६ बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

एक सदस्य—मैं इसका अनुमोदन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय ६ बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, हम लोगों का सदन का समय बढ़ाने का दो घंटे का प्रस्ताव था और आपने व्यवस्था भी दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने यह कहा था कि माननीय खुशीराम जी के भाषण समाप्त हो जाने के बाद समय की बात कही जायगी । एक प्रस्ताव आया और वह सदन द्वारा पास हुआ । इस बीच में काफी समय मिला, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, अब प्रस्ताव ले लीजिये कि सदन का समय दो घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय

श्री उपाध्यक्ष—एक प्रस्ताव जब पास हो गया तो आप दूसरा प्रस्ताव रखेंगे ? एक प्रस्ताव सदन का समय ६ बजे तक के लिये बढ़ाने का आया और वह समझौते के तौर पर था । समय की बात थी और आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया इस लिये अब नहीं हो सकता ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं समझता था कि आप दोनों प्रस्ताव रखेंगे और सदन का मत लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने यह कहा था कि....

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जाइये । पहले जब प्रश्न उठा था समय बढ़ाने का तो मैंने कहा था कि खुशीराम जी बोल रहे हैं, वे समाप्त कर लेंगे तो उस समय यह प्रश्न लिया जायगा । प्रस्ताव आया, छः बजे तक समय बढ़ाने का । उसके बाद उसका अनुमोदन हुआ । उसके बाद कुछ क्षणों में रुका रहा, उस वक्त कोई चीज नहीं आयी । छः बजे तक का प्रस्ताव इस वक्त पास हो गया है । हाउस ने उसको मंजूर कर लिया । मंजूर होने के बाद समझ में नहीं आता कि समय बढ़ाने का प्रस्ताव इस समय कैसे आ सकता है ? अगर आप चाहें तो उसके बाद आ सकता है ।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

श्री दीपनारायण सिंह—मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये । आपने समझौता शब्द इस्तेमाल किया तो समझौता तो दो पक्षों में होता है । आप बता दें कि किन पक्षों में समझौता हुआ । सदन के सामने दो घंटे का प्रस्ताव आया था, कोई समझौता नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। समझौते की बात कहना कोई बुराई की बात नहीं है, विराजिये।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर, मतदान—अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां तथा अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण (क्रमागत)

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस वर्ग के सुधारने के लिये यह कटौती का प्रस्ताव आया हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं।

यही एक वर्ग ऐसा है जिसके सुधारने के लिये दिल्ली से ले कर गांव तक की गवर्नमेंट बना दी गयी और ऐसी कोई संस्था नहीं है जो हरिजन की बात आगे रख कर आज न चलती हो। दिल के अन्दर जितना पानी होता है वह हरिजन के नाम पर निकाल कर रख देते हैं, लेकिन कहावत है—

जाकी धन धरती हरी, ताहि न लीजै संग।
जो संग राखे ही बनै तो करि राख हरिजन॥

दूसरा इसके साथ साथ—

पुनि पुनि चन्दन पुनि पुनि पानी।
सालिग्राम धुलि गै हम का जानी॥

यह दो चीजें हैं।

बड़े सुधार के नारे लगाये गये। बड़ी-बड़ी टॉक की गयीं हरिजनों के नाम पर, लेकिन जब से भूमि सुधार कानून बना, उससे हरिजनों का पैर काटा गया है, सवर्णों और हरिजनों में वैमनस्य पैदा किया गया है। उनका आपसी व्यवहार खत्म हो गया है। समाज में अगर वह सर उठाते हैं तो मार खाते हैं और हुजूर के नाम पर अदालत में जाते हैं, तो हार खाते हैं और फिर मजबूर हो कर उन्हीं के पैरों पर जाकर पड़ते हैं कि हुजूर हम को रोटी दीजिये, भूखों मरते हैं। सोचें यह हरिजन समाज और दुर्जन समाज दो शब्द चालू हैं। भारतीय जनसंघ का यह दृष्टिकोण है वह दुर्जन और हरिजन शब्द नहीं रख रहा है। आप कितनी भी सीटें हमारी रिजर्व रखें, नौकरियों में हमको प्राथमिकता दें, लेकिन इससे हमारा कल्याण नहीं है। कल्याण हमारा है गांव से जहां कि ८०, ९०, ९५ फीसदी आदमी बसते हैं, हम बसते हैं। नौकरियों में १० प्रतिशत और २० प्रतिशत अगर बढ़े कोई तो उससे न हमारे समाज का कल्याण होगा और न देश का कल्याण होगा।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अभी पिछली बहसों में यह बात मालूम हुई कि सरकार को आमदनी की बड़ी जरूरत है। तृतीय पंच वर्षीय योजना फेल हो जायगी अगर टैक्स पर टैक्स न लगे और चमड़ी न उधेड़ी जाय। मैं बताना चाहता हूं कि जमींदारी टूटने के बाद जितने पेड़ और भूमि ग्राम समाज की संपत्ति घोषित की गई है क्या आज तक उनका लिखित रजिस्टर गांव सभा के सभापति को दिया गया है? आप देखें, जितनी ग्राम संपत्ति की घोषणा हुई है, उसकी जांच करायें तो बहुत बड़ी आमदनी उससे मिल सकती है। सारी जायदाद बेचकर लोग खा गये हैं और वह सामन्तवादी जिसको आपने आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना रखा है, या जो आपके सामने तमंचा तानकर घूमते हैं, वह सारी की सारी जायदाद हरिजनों की लीले बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहता हूं, हरिजनों का सुधार ऊपर से गीत गाने से नहीं होगा, जितनी ही हमारे सुधार की बात बताई गई, उतने ही हम बिगड़ते गये, इसमें कोई सन्देह नहीं। भारतीय जनसंघ का ही एक दृष्टिकोण है जिसके अन्दर न कोई हरिजन है, न कोई सवर्ण है, हिन्दू

मात्र एक शब्द है । मैंने पिछली बार भी अपनी बात कही थी और आज फिर कहता हूं कि हमारा सुधार नीचे से होगा, ऊपर से नहीं होगा । उपाध्यक्ष महोदय, समय अगर थोड़ा और दे सकें, एक घंटा और बढ़ गया है....

श्री उपाध्यक्ष—बहुत से लोग बोलने वाले हैं, आप कृपा कर इसी में खत्म करें ।

श्री नाथूराम शिक्षक—तो फिर मैं अपनी बात कहता हूं । पिछले आंकड़े आपके सामने आये । हमारे बच्चों को जो किताबें दी जाती हैं, वह जब साल खत्म हो जाता है और पैसा बचता है तब उससे खरीदकर उन्हें दी जाती हैं । इम्तहान हो जाता है तब उनको इनाम के तौर पर दर्जा एक और दो की किताबें बांटी जाती हैं । इधर जुलाई से मास्टर यह जान खाने लगता है कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चे की किताबें खरिदवाइये नहीं तो नाम काट दूंगा । तो शब्द बड़े अच्छे हैं, बोलने के तरीके अच्छे हैं, लेकिन व्यावहारिक जगत से वह बिलकुल अछूते हैं । हम तो यही कहेंगे कि चौदह वर्षों के अन्दर हमारी हालत खराब ही हुई है । कुछ चन्द लोग भले ही बढ़ गये हैं, नौकरियों में दस, बीस व पचास हों, लेकिन उससे हमारा कल्याण नहीं हुआ है । हमारा कल्याण रिजर्वेशन से नहीं हो रहा है । रिजर्वेशन तो अपनी जगह रखा हुआ है । वास्तविक जगत् में किस तरह से हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है । समाज में हमसे घृणा बढ़ रही है । हमारा पारस्परिक व्यवहार खत्म हो गया है । समारा सब खत्म हो गया है, हमारे अन्दर जो सहनशीलता थी, वह खत्म हो गई । आपकी हुकूमत में हमारी इच्छायें इतनी प्रबल बढ़ा दी गई हैं कि धन ही प्रमुख वस्तु हमारे जीवन में बन गया है । हम भी आपकी तरह धन बढ़ाने के लिये तीन तिकड़म और यह कटौती तक करने के लिये उद्यत है ।

मनुस्मृति की बड़ी चर्चा की गई । यह कहा गया कि मनुस्मृति की यह सब देन है । मैं कहना चाहता हूं कि मनुस्मृति के शब्द ये नहीं हैं । ये तो बीच में उसमें जोड़ दिये गये हैं । मनुस्मृति तो एक ऐसा औजार था जिसको देखकर समाज शिक्षा लेता था । आज हम किससे शिक्षा ग्रहण करें ? जो आज आप कहते हैं वह कल लागू नहीं रहता । आपने तीन आने की छूट सिंचाई में दी, और फिर उसे वासप ले ली । आज सरकारी कर्मचारी नीचे बोल रहा है । हमारी सरकार गिरी हुई है, ऊपर के लोग गिरे हुये हैं तो हमारा चरित्र कैसे ऊंचा हो सकता है ? मनुस्मृति या धर्मशास्त्र एक नैतिकता का निर्माण करने के लिये बनाये गये थे । उन पर आज आक्षेप किया जा रहा है ।

कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्द सहाय)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा इस बहस में दिलचस्पी लेने का नहीं था, लेकिन चूंकि समाज कल्याण का विभाग एक बड़ा विस्तृत विभाग है और उसके दायरे में एक दो काम ऐसे हैं जिनका प्रशासकीय ढंग पर मुझसे संबंध है । इसलिये मैंने आवश्यक समझा कि दो चार शब्द कहूं । मुझे इस बात की खुशी है कि सदन के लोगों ने, जिन बातों की मैं चर्चा करना चाहता हूं, उनके बारे में कोई शिकायत तो नहीं की । इस विभाग में चिल्ड्रेन डेलिक्वेंसी यानी बच्चों के सुधार की एक मद है और दूसरी प्रोबेशन भी उसमें है जिसका प्रशासकीय ढंग पर मुझसे वास्ता है । इसलिये मैं आपके सामने बहुत थोड़े से शब्दों में एक दो बात कहना चाहता हूं इसलिये कि सदन के सदस्यों का इन दो महत्त्वपूर्ण बातों की तरफ अपना ध्यान रहे ।

बच्चों की समस्या एक विशेष समस्या है । बच्चों के अन्दर आज आप देखेंगे कि जिस किस्म के दूषित वातावरण में वह पलते हैं, घर के हालात, सोसाइटी के हालात, स्कूलों के हालात सब का बहुत अच्छा असर उन पर नहीं पड़ पाता है और पुराने जंग के बाद चिल्ड्रेन डेलिक्वेंसी की एक विशेष समस्या बनी हुई है । हमारे प्रदेश में और हमारे देश में आज यह समस्या है कि किस प्रकार से बच्चों को गलत बातों से बचाया जाय और कैसे उनमें अच्छे विचार जाग्रत किये जायं और उनमें अच्छी आदत पैदा करने की कोशिश की जाय । मैं इतना ही कह सकता हूं कि

[कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्द सहाय)]

इस दिशा में अभी कोई सक्रिय बड़ा कदम सरकार की ओर से नहीं उठा है, लेकिन सन् १९५१ में जो चिल्ड्रेन ऐक्ट बना था उसके मातहत कुछ थोड़े से कदम उठाये गये हैं। अब इरादा है कि इस प्रश्न पर कुछ ज्यादा और गहराई के साथ सोचा जाय और हमारा इरादा है कि इस समस्या पर वैज्ञानिक ढंग से भी कुछ विचार विमर्श किया जाय। अभी जो हो रहा है वह सिर्फ इतना है कि वाराणसी और आगरा इन दो जिलों में बच्चों की अदालतें कायम हैं। साधारण तौर पर जो बच्चे जुर्म करते हैं वह बच्चे वहां पर रिफार्मेटरी स्कूल में भेज दिये जाते हैं। मगर जितनी बड़ी यह समस्या है उसके लिहाज से यह हमारा जो प्रयत्न है वह नाकाफी है, ऐसा मैं समझता हूं। इस पर सोचने की जरूरत है और कुछ व्यावहारिक रूप अपनाने की जरूरत है, ऐसा भी मैं अनुभव करता हूं। इसलिये अब सरे नौ इस समस्या के ऊपर हम भी अपने यहां इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसलिये खयाल किया जाता है कि जो चिल्ड्रेन ऐक्ट सन् १९५१ में पास हुआ था जो निर्जीव बन कर ही रह गया, जिसकी बहुत-सी बातें आज तक लागू नहीं की गईं वह आमूल परिवर्तन के साथ आपने सामने पेश किया जाय ताकि इस समस्या पर सरकार का सक्रिय सहयोग मिल सके।

इसी तरीके से प्रोबेशन का प्रश्न है। यह भी एक बहुत प्रगतिशील विषय है जिसका पेनालाजी से संबंध है। इस प्रदेश के अन्दर इस अनुभव का अच्छा नतीजा निकला है यानी ज्यादातर कैदी जो पहला जुर्म करते हैं उनमें कुछ जुर्म ऐसे हैं जो मामूली होते हैं और कुछ गम्भीर किस्म के होते हैं, लेकिन उनके मामूली जुर्मों में तिहाई सजा के बाद गौर किया जाता है। उनमें से कुछ छोड़ भी दिये जाते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में लोग छूट जाते हैं ताकि एक आदमी को उस जेल के दूषित वातावरण से बचाकर जल्द से जल्द समाज को वापस किया जा सके। तो इस तरीके से यह एक्सपेरीमेंट जो इस सूबे में हुआ है उसका अच्छा नतीजा निकला है। उसकी मैं दो एक मिसाल आपको दे सकता हूं। जितने लोग जेल से छूट कर गये हैं उनमें १०,१५ फीसदी भी वापस दूसरा जुर्म करके नहीं आये हैं। उनकी सिक्योरिटी भी होती है। यह मोटी-मोटी दो बातें थीं जिनका मैंने जिक्र किया। चूंकि आपकी बहस का ढंग बिलकुल एक तरफ होता जा रहा था और महज हरिजन विभाग और हरिजन कल्याण की तरफ बहस थी तो मैंने यह उचित समझा कि कुछ थोड़ा सा रुख इसका बदल दिया जाय।

जहां तक हरिजन समस्या का संबंध है यह समस्या एक भयंकर समस्या है। इसमें आंख बन्द करने से कोई फायदा नहीं। असल में इस समस्या में दो दुनिया बन गयी हैं, सोचने के दो ढंग बन गये हैं और यह समस्या केवल हिन्दुस्तान तक ही सीमित नहीं। दुनिया भर में ऊंच और नीच की विचारधारा से यह समस्या पैदा होती है। जब इंसान यह समझता है कि कुछ लोगों को ईश्वर ऊंचा बनाता है और कुछ को नीचा, तो उससे इस विचारधारा से इस समस्या का सूत्रपात होता है और हमारे देश में भी इस समस्या का सूत्रपात इसी से हुआ है। एग्रीकल्चर समाज में यह समस्या थी और हमारे शास्त्रों ने भी इस पर मुहर लगायी। यानी उन्होंने बतलाया कि ईश्वर ने समाज के एक तबके को दूसरे तबके की सेवा करने के लिये पैदा किया है।

अनेक सदस्य—गलत है, गलत है।

श्री गोविन्द सहाय—अगर गलत है तो आप बहुत सी बातों को कंट्राडिक्ट करते रहते हैं, इसे भी कंट्राडिक्ट कर लीजियेगा। मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि शास्त्रों ने बतलाया कि ईश्वर कुछ को ऊंचा और कुछ को नीचा बनाता है और इसे आप भी मैं भी उम्मीद करता हूं कि गलत नहीं कहेंगे। आप भले ही कुछ कहें, लेकिन हमारे देश में जो सब से बड़ा सोशलियोजिस्ट हुआ है उसने इस समाज को ४ भागों में विभक्त किया और उसने उसमें से एक भाग को समाज की सेवा का काम दिया है। अगर यह गलत हो तो वह इतिहास की बात है। खैर मैं यह कह रहा हूं कि आज यह समस्या है और हमें इसे हल करना है।

इसका एक रुख तो यह है कि उनके प्रति हमारा दया का रुख हो। ईश्वर ने उन्हें पिछड़ा और गरीब बनाया और हमको अमीर, इसलिये हम उनको ऊंचा उठाना चाहते हैं। यह एक चैरिटी का आउटलुक है। एक फिलासफाना तरीके से देखने का यह एक ढंग है। एक ढंग यह है कि इन से समाज बनता है, वे वर्कर्स हैं, वे समाज की वेल्थ हैं और समाज के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, इसलिये उनकी तरक्की के उपाय करना इज्जत का काम है, यह दया का काम नहीं है।

पहला सवाल यह है कि जो काम करने वाला तबका है उसको एक पोजीशन दी जाय। इसके लिये एक ढंग है कि उनको वजीफे दिये जायं, उनको बढ़ाया जाय। सरकार सीमित तरीके पर यह कर सकती है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको दूसरों के साथ लाने के लिये कुछ ज्यादा सुविधा दी जाय। मेरा खयाल है कि इस दिशा में इधर या उधर के लोग, दोनों ओर के लोग इस बात में सहमत हैं कि सरकार ने इस दिशा में काफी फैलाव किया है। मुझे ताज्जुब है कि मेरी सारी बातों पर आप सिर हिलाते रहे हैं और इस बात पर आप उल्टी गर्दन हिला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सरकार ने अपने सीमित साधनों के हिसाब से उनको काफी सुविधा दी है और इस दिशा में कुछ हुआ है। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को काफी शिकायत है और उसके माने यह हैं कि समस्या ने, उसके इस हल ने लोगों के दिलों में जो आकांक्षा पैदा की, जो आशा पैदा की है उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है।

यह बात जरूर साबित होती है, लेकिन जहां नौकरी वगैरह की सुविधा देना इस समस्या को हल करने का तरीका है उसके साथ-साथ एजूकेटिव फ्रंट पर, विचारों की दृष्टि में परिवर्तन करना भी एक तरीका है। यह मैं केवल किताबें पढ़ाने की दृष्टि से ही नहीं कह रहा हूं। उसके लिये तो मेरा खयाल है कि हरिजनों के जितने ज्यादा बच्चे हाई स्कूल पास करते जा रहे हैं उससे समाज का ज्यादा भला नहीं हो रहा है, कारण यह है कि जो लड़के मैट्रिकुलेट हो जाते हैं वे अपना प्रोफेशन छोड़ देते हैं और मैं समझता हूं कि यह समाज के लिये ज्यादा हितकर नहीं है। मैं बड़ा इम्फैसिस इस बात पर देना चाहता हूं कि हमारा दृष्टिकोण इस समस्या के बारे में क्या हो। उनके काम करने का, नया पेशा सीखने का टेक्निकल बायस होना चाहिये। जो पेशा वह सीखते हैं उनमें उन्नत साधन क्या हैं, उन्नत औजार और तरीके क्या हैं, उनकी तरफ उनका दिमाग जाना चाहिये। वे पेशे बुरे नहीं हैं और समाज की तरक्की उन पर मुनहसिर है, समाज उन से बनता है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो कुछ हो रहा है उससे किसी को एख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जो नहीं हो रहा है उसको कैसे होना चाहिये इसके बारे में सदन के बहुत स सदस्यों ने काफी सुझाव दिये हैं। मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मुझ से ज्यादा जोरदार आवाजों में लोग बोल रहे हैं और इस बहस में भाग ले रहे हैं। तो मुझे तो बहस में यों दखल देना पड़ा, क्योंकि चिल्ड्रेन डेलिक्वेन्सी और प्रोबेशन आदि के बारे में कोई चीज नहीं कही गयी। अगर दो-चार शब्द इन दो चीजों के बारे में भी कह दिये जाते तो बहस का रुख कुछ दूसरा हो जाता। मैं आशा करता हूं कि इसके बाद जो सदस्य बोलेंगे वे इस तरफ भी कुछ सुझाव देंगे ताकि उनके सुझाव से हम भी कुछ फायदा उठा सकें। इसी दृष्टि में मैंने दो-चार शब्द आपके सामने रखे हैं।

*कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं श्रीमन्, इस विषय पर कुछ बोलना नहीं चाहता था मगर माननीय गोविन्द सहाय जी का भाषण सुनने के बाद मुझे यह प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ निवेदन करूं। उन्होंने श्रीमन्, एक सैद्धांतिक बात उठाई कि शास्त्रों के अनुसार जातियों का निर्माण हुआ है और उसी आधार पर हो रहा है। माननीय गोबिन्द सहाय जी ने समाजवाद की पुस्तकों का तो अध्ययन किया और वे उसके एक पंडित हैं, परन्तु दुख है कि उन्होंने शास्त्र के ऊपर उतना गहन अध्ययन नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिये था

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपाल---]

क्योंकि उन्होंने जो बात कही वह सही नहीं है। हमारे यहां जाति का निर्माण कर्मणा माना गया है। "जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् जायते द्विजः" यानी जन्म से प्रत्येक बच्चा शूद्र पैदा होता है। बाद को जो उसके संस्कार होते हैं उससे वह द्विज बनता है।

एक सदस्य---कर्म के आधार पर कितने ब्राह्मण बन चुके हैं? (व्यवधान)

कुंवर श्रीपाल---मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो मैं अधिक प्रमाण देता। विश्वामित्र और वाल्मीकि जी उसके उदाहरण हैं।

एक बात मैं और थोड़ी-सी निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, महाभारत में थोड़ी सी राजनीति वर्णित है। जितने भी मानव धर्म शास्त्र हैं कौटिल्य शास्त्र, शुक्रनीति शास्त्र, कामान्दकीय अर्थ शास्त्र तथा महाभारत आदि, उन सब में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि मंत्री एक जाति का हो। सब ने यही कहा है कि मंत्री प्रत्येक जाति का होना चाहिये और जिसमें मंत्री के गुण हों, उसे मंत्री होना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जब जातीयता का नारा बुलन्द किया जाता है तो जातीयता को कौन बुलन्द करता है? हरिजन जाति का नारा किसने दिया? एक जाति के नाम पर रिजर्वेशन किसने किया? यह सब इसीलिये आपने किया कि यह समाजवादी कुर्सियां आपकी बरकरार रहें। हमारे उग्रसेन जी का वही भाषण अक्षरशः था जो उनके नेता पहले ५ साल तक देते रहे। जो भावनायें पहले उनके दल की थीं वही आज भी हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस आधार पर आपको कितने प्रतिशत वोट पिछले इलेक्शन में प्राप्त हुये और कितने परसेंट उग्रसेन जी रखना चाहते हैं? मैं मानता हूं कि सामने बैठी हुई सरकार ने वास्तव में भलाई की है, मगर जातीयता के नाम पर। और वह की क्यों है? इसलिये नहीं कि हरिजन गरीब हैं, इसलिये नहीं कि सरकार बड़ी उदार है, इसलिये नहीं कि हरिजनों को आवश्यकता है कि उनको सहारा देकर बड़ा किया जाय, बल्कि इसलिये कि उनके कंधे पर सरकार ने अपनी कुर्सी का एक पाया जमा रखा है (एक आवाज--गांधी जी ने क्या किया था?) गांधी जी के रास्ते पर खुद ही आप नहीं हैं। समाजवाद की बात उन्होंने कभी नहीं कही। मैं सामने बैठने वालों से क्षमा चाहूंगा कि जिस समाजवाद का नारा वह बुलन्द करते हैं उसी के संबंध में सन् १९४६ में लुई फिशर ने गांधी जी से पूछा कि समाजवाद के बारे में आपका क्या विचार है। उन्होंने कहा था कि समाजवाद या तो अधिनायकवाद है या आरामकुर्सी पर बैठकर प्रतिपादित किया जाने वाला दर्शन शास्त्र, और उसी पर आरूढ़ होकर आज आप घोड़े दौड़ा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय कम है, आप विषय पर आ जाइये।

कुंवर श्रीपाल---मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं तो कह रहा था कि जातीयता के आधार पर कोई भी चीज करना खराब होगा और उसका नतीजा बुरा निकलेगा। ३३ फीसदी के हिसाब से मुस्लिम लीग के साथ जो कांग्रेस ने समझौता किया जातीयता के आधार पर, सुरक्षित प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचन, १९२९ में इलाहाबाद में, उसी का नतीजा यह हुआ कि देश के दो टुकड़े हुये। देश बंटा, लाखों की संपत्ति गयी, हजारों की इज्जत गयी, मां-बहिनों की इज्जत लुट गयी। फिर से वही तरीका अख्तियार किया गया है और उसका नतीजा देखना हो तो एक सज्जन पहले बोल गये हैं जिन्होंने नारा निकाला, "जाटव-मुस्लिम भाई-भाई, हिन्दू जाति कहां से आई?" इसलिये जातीयता के आधार पर बात मत कीजिये, कैपेबिलिटी के आधार पर, योग्यता के आधार पर ले आइये कि किस व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है और किस को नहीं है। जैसे उग्रसेन जी हैं, अगर उनसे कहें कि मेडिकल कालेज में आपरेशन करो तो सब मर जायेंगे। इसलिये योग्यता के आधार पर कोई चीज होनी चाहिये। जातीयता के आधार पर अगर इन्तजाम होगा तो वह गलत था, गलत है और गलत रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त।

*श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)––आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। सबसे पहले मुझे यह कहना है कि इस बजट में हरिजनोत्थान के लिये जो रकम रखी गई है वह नाकाफी है। इसमें और वृद्धि की आवश्यकता है। मुझे इस विधान सभा में ६ साल हो रहे हैं। मैंने देहातों में जा कर देखा है। हम जो हरिजनोत्थान करना चाहते हैं उसके संबंध में मेरा सब से पहला सुझाव यह है कि उनके लिये भूमि की व्यवस्था की जाय। आज देखने में यह आता है कि एक ही घर में सास, ससुर और दूसरे सम्बन्धी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जहां उनके उत्थान के लिये और कार्य किये जा रहे हैं उसके साथ-साथ भूमि-व्यवस्था की जाय। जहां चकबन्दी हो चुकी है वहां तो मजबूरी है लेकिन जहां चकबन्दी होने वाली है वहां पर अवश्य इस चीज का ध्यान रखा जाय कि आबादी, के साथ-साथ जो भूमि पड़ी हो उसको हरिजनों को दिया जाय ताकि वे अपने रहने के लिये घर बना सकें। मैं यह नहीं कहती कि उनको मुफ्त में ही भूमि दे दी जाय, बल्कि उन से ऐसी मुनासिब कीमत ली जाय जिसे वे आसानी से दे सकें और अपनी समस्याओं को हल कर सकें।

पब्लिक सर्विस कमीशन के सम्बन्ध में दोनों तरफ से विवाद हुआ। देखने में यह आया है कि हरिजन विभाग की तरफ से जो बच्चे पढ़-लिख कर निकलते हैं वह नौकरियों के लिये अयोग्य सिद्ध कर दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है जिसका कि दोनों तरफ के सदस्यों ने समर्थन किया है––कि इस वर्ग का एक आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन में रखा जाय ताकि वह इनके हकों को ठीक तरह से समझ सके और सहयोग दे सके।

तीसरी बात यह है कि प्लानिंग और हरिजन विभाग की ओर से जो कुवों इत्यादि का प्रबन्ध किया जाता है वह ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। उसके लिये एक एक जिले को लेकर देखा जाय कि कहां-कहां इस तरह की समस्या है और उसे पूरा किया जाय। एक बात मुझे यह कहनी है कि जहां हमारे संविधान में छुआछूत को दूर करने के लिये बातें रखी गई हैं हमारी सरकार उसमें न्याय करावे ताकि यह कार्य पूरा हो सके।

हमारे देहात में अभी वह प्रगति नहीं हुई है जो कि होनी चाहिये। वह तभी होगी जबकि छोटे और बड़े उद्योग हरिजन समाज के लिये खोले जावें, उन्हें उनके लिये प्रोत्साहन दिया जाय, जिससे उन्हें रोजगार मिले। हमारे शहरों में व्यवस्था है कि ऋण लेकर रोजगार कर सकते हैं, लेकिन देहातों में यह व्यवस्था नहीं है। उनको ऐसी जमानतें देनी पड़ती हैं जो वे नहीं दे पाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि उनसे १,००० या ५०० तक कोई जमानत न ली जाय।

हमारे देश में आजाद होने के बाद जो उन्नति हुई है वह सबके सामने प्रत्यक्ष है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्नति हुई है और विकास खंडों के द्वारा जो कार्य हुआ है वह प्रत्यक्ष है। मैं चाहती हूं कि विकास खंडों के लिए सरकार और सहयोग दे।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीपालसिंह जी के भाषण के बाद इस विषय में एक नया मोड़ आ गया। वे अपनी संस्कृति के अनुसार जमाने की रफ्तार को भी ले जाना चाहते हैं। वे रेलगाड़ी और स्पुटनिक की सवारी छोड़कर बैलगाड़ी पर चढ़ना चाहते हैं। वे यह समझते हैं कि मरी हुई सामन्तशाही और उसे पनपाने वाला ब्राह्मणवाद देश की गोराशाही के मरने के बाद भी जिन्दा रह सकता है। वे समझते हैं कि हरिजन कहलाने वाले लोग उनके नारों से भटक सकते हैं। हरिजन कहने मात्र से हरिजन खुश हो जायगा, वे ऐसा समझते हैं, ब्राह्मण यह कहते थे कि ब्रह्म हत्या लगेगी, चमार हत्या या ठाकुर हत्या नहीं लगेगी, यही हमारी तथा कथित हिन्दू संस्कृति में ही लिखा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री दीपनारायणसिंह]

है। आज गऊ माता की पुकार करने वाला बैल भी अपने कंधे जरा पुराने खूंटे से छुड़ाने लगा है। वह भी स्वतन्त्र हवा में उड़ना चाहता है।

अछूत जातियां जो २२ फी सदी हैं उनमें मजदूर हैं, चर्मकार हैं, सुअर मारने वाले और आपके सेवक हैं जो मेहतर कहे जाते हैं। मैं इस हरिजन शब्द को भी एक ढोंग समझता हूं। हरिजन कह कर उनके साथ अन्याय करना, उन पर कुठाराघात करना और उन्हें समान अधिकार न देना एक परिपाटी सी हो गयी है। क्या यह सत्य नहीं है कि गोरी जाति के नालायक लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में गोरी जाति में पैदा न होने के कारण, रंगीन जाति में पैदा होने के कारण पूज्य गांधी जी को ठोकर लगाई थी? अगर योग्यता कोई मायने रखती थी तो क्या कारण है कि डाक्टर अम्बेदकर जैसे व्यक्ति को आपने ठुकराया, अछूतों को संरक्षण प्राप्त होने के पूर्व उन्हें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। क्या जनसंघ या किसी भी दल ने १९५२ से आज तक कौंसिल में या राज्य सभा में किसी अछूत को कभी टिकट दिया? आपका दिल उदार नहीं है। हर जिले में पंचायतों के चुनाव में कितने प्रधान आपने रखे हैं। कितने प्रधान अछूत रखे हैं। अगर कोई है तो वह अपने दम से आया है, जो दूसरी बात है। मैं मानता हूं कि चमार के अन्दर भी ब्राह्मणवाद है, क्योंकि वह भंगी को अपने से नीचे रखता है। अगर हम उन्हें समाज में वह दर्जा नहीं देते जो माननीय श्रीपालसिंह जी को मिला हुआ है तो हम गिरे हुये माने जावेंगे।

मुझ जैसा व्यक्ति १५ साल तक आजादी की लड़ाई में जेल गया मगर कोई पेंशन नहीं लिया। शायद हिन्दुस्तान में कोई दूसरा आदमी ऐसा नहीं होगा। अतः मैं कोई साधारण इनाम नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी कौम विशेष में पैदा होने के कारण मेरी योग्यताओं को ठोकर लगाई जाय तो मेरे अन्दर भी तिलमिलाहट पैदा होगी और क्रांति की लहरें उठेंगी। माननीय श्रीपाल सिंह जी और दूसरे लोग व माननीय मुख्य मंत्री जी भी जिनकी विचारधाराओं से मैं मतभेद रखता हूं, यह समझ लें कि संरक्षण के पूर्व डाक्टर अम्बेदकर और कितने अछूतों को कांग्रेस का टिकट दिया गया। एक भी अछूत को स्वराज्य पार्टी ने टिकट दिया? कांग्रेस ने भी नहीं दिया। अगर सीटें रिजर्व की गईं तो केवल अपनी गद्दी को बनाये रखने के लिये अछूतों को टिकट दिये। बैकवर्ड व अछूत क्लासेज को सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है। आज ५० के मंत्रिमंडल में कितने बैकवर्ड और हरिजनों को योग्यता के आधार पर रखा गया है? आप उद्योगपतियों के नुमाइन्दे हैं और सामन्तवादी हैं। ये आपके दृष्टिकोण में कमजोरियां हैं।

(इस समय ४ बजकर ४१ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

रामायण में लिखा है कि 'पूजिय विप्र ज्ञान गुण हीना। शूद्र न पूजिय वेद प्रवीना'। यानी नालायक गधे ब्राह्मण की भी पूजा करो और विद्वान् चमार की पूजा न करो। यह सिद्धांत अच्छा नहीं है। आपके गौतम बुद्ध जी ने जिस धर्म का प्रचार किया था क्रांतिकारी ढंग होने के कारण ही आपके ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हिन्दुस्तान से उसका जनाजा निकला। हिन्दू संस्कृति के अनुसार राक्षसों और देवताओं ने मिल कर समुद्र का मंथन किया और जब उसमें से अमृत निकला तो उसे केवल देवताओं ने पी लिया और राक्षसों को नहीं दिया। एक राक्षस को किसी तरह से मिला भी तो उसका सिर काट दिया गया। जिससे वह राहु और केतु के रूप में हुआ। आप उन्हें खुश रखने को उनके देवता को एक महादेव भी बना रखें है। किसान मजदूर के नाम पर आप शासन करना चाहते हैं। आज आप ब्राह्मण राज्य, सामन्तवादी राज्य और पूंजीवादी राज्य के नाम पर शोषक वर्ग का राज्य करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से आप कितने दिनों तक चलेंगे?

रूस जागा तो आज सारी दुनिया जागी। समाजवाद का नारा वहीं लगा जिससे आधी दुनिया में इसी तरह का नारा अब लग रहा है। मेरे जिले में जो जनसंघ का सदस्य

जीता है वह भी बैकवर्ड क्लास का ही है जो उसी वजह से ही जीता है। इसलिये मैं कहता हूं कि आज जनता जाग गयी है और उस जाग्रति को आप कुचल नहीं सकते हैं। आज हरिजनों का आर्थिक व सामाजिक दोनों तरह से शोषण हो रहा है। डाक्टर सीताराम जी बड़े ही योग्य व विद्वान हैं, लेकिन उनको कैबिनेट रैंक नहीं दिया गया। आज उनके अन्दर पानी नहीं है अगर पानी होता तो वे कभी उस पद को स्वीकार नहीं करते। आज जो चमार कौम है उसको अपने चमड़े के काम को नहीं छोड़ना चाहिये, बल्कि उसमें काफी मेहनत करनी चाहिये और ज्यादा पैदा करना चाहिये। आज तो डाक्टर साहब को चाहिये कि वे बैकवर्ड क्लास के साथ ७५ प्रतिशत का नेता बनें और लड़ाई लड़ कर यहां के शासन को अपने हाथ में लें।

दूसरी बात यह है कि सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में चमारों को भी अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा, उन्हें भी भंगियों के साथ खाना पीना होगा, तभी यह समस्या हल हो सकती है। अन्तर्जातीय विवाह करने वाले को नौकरी में प्राथमिकता दीजिये और जो जिस योग्य काम करने वाला हो उसे वही काम दें। ब्राह्मण होने की वजह से न उसे गिराया जाय और न उसे ऊंचा उठाया जाय, मुसलमान हो या हरिजन सब के साथ एक सा व्यवहार किया जाय, यही सही दृष्टिकोण होना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि हमारे यहां बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं। जो केवल जातियों के लोगों के चंदे व प्रबन्ध से चलते हैं। जैसे मेरे जिले में एक इण्टर कालेज जयरामपुर गुरगौला में है जहां किसान मजदूर के लड़के पढ़ते हैं। वहां के किसान अपनी जमीन में मेहनत करके पैदा करते हैं और गल्ले की समस्या को हल करते हैं, लेकिन वहां के लिये जब कृषि शिक्षा देने की बात की गयी तो उसे स्वीकार नहीं किया गया। कुर्मी जो हिन्दुस्तान की एक बेहतरीन किसान कौम है जिसका वह इंस्टीट्यूशन है, उसे भी कृषि में शिक्षा देने की इजाजत नहीं दी गयी, लेकिन दूसरी जगह जो पंडितों का इंस्टीट्यूशन है वहां कृषि में शिक्षा देने की इजाजत दे दी गयी जिन पंडितों के यहां मुठिया से हल का छूना भी पाप समझा जाता है।

आज सिंचाई विभाग में देखिये गुप्ता भरे पड़े हैं शिक्षा विभाग में देखिये गुप्ता और पंडित पड़े हैं, क्योंकि वहां पंडित जी विराजमान थे। इस तरह से सभी अपने मामू और फूफा को ले रहे हैं और उनको हर जगह पर भर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री से पहले वाले भी यही करते थे। चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। यह प्रवृत्ति रोकनी चाहिये और हमारा दिल साफ होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी सही दृष्टिकोण से विचार करें और देश को आगे बढ़ावें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा इस अनुदान के ऊपर बोलने की नहीं थी, परन्तु मेरे मित्र ने मुझे प्रभावित किया कि मैं भी दो शब्द इस सम्बन्ध म कहूं। यह अनुदान जो हमारे मंत्री जी ने उपस्थित किया है उसका सम्बन्ध हरिजन विभाग से है और और उसका सम्बन्ध उन की उन आवश्यकताओं को पूरा करने के विषयों से है जिन आवश्यकताओं को पूरा करना और आज के युग में समाज के इस पिछड़े अंग को उठाना नितांत आवश्यकीय है। यह अनुदान जो आज माननीय मंत्री जी ने सदन के समक्ष उपस्थित किया है वह हरिजनों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला अनुदान नहीं है। इस अनुदान के अन्तर्गत अभी बहुत सी कमियां और खामियां हैं और बहुत से साधनों की आवश्यकता है, कदाचित् यह अनुदान उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, लेकिन जब हम इस अनुदान के विषय में विचार विनिमय करते हैं और उस पर अपने विचार प्रकट करते हैं तो हम अपनी नजरों से इस बात को भुला देते हैं कि जिस समाज के अंग से इस अनुदान का सम्बन्ध है वह समाज का अंग, जो हमारा यह १९१ करोड़ का बजट है और जो बजट विभिन्न दिशाओं में समाज के उत्थान के लिये रचा गया है उसमें इस समाज के अंग की समस्याओं के निराकरण करने की भी तो बहुत भारी मात्रा में कुंजी छिपी हुई है।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कौन नहीं जानता कि बजट का अरबों रुपया जो हम देश में और प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में व्यय कर रहे हैं, चाहे वह खेती के विस्तार का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वह नहर और सिंचाई का क्षेत्र हो या समाज की उन आवश्यकताओं का क्षेत्र हो जिन के द्वारा मानव के स्वास्थ्य की रक्षा होती है और चाहे उस का उन विषयों से सम्बन्ध हो जिन विषयों का निराकरण करने से समाज प्रगतिशील बनता है। यह सारा बजट तो इस प्रदेश की जनता के लिये है जिस जनता में हरिजन भाई और पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं। आखिर जो शिक्षा संस्थायें नित्य नई खुलती हैं, आखिर को खेती को बढ़ाने के लिये जो धन हम खर्च करते हैं, नहरें, बांध और पुल सब कुछ बनाते हैं तो क्या इन सब में हरिजन या समाज का वह पिछड़ा अंग लाभ नहीं उठाता है? क्या उस अंग की कमियों को पूरा करने में इस अनुदान से लाभ नहीं मिलता है? यदि लाभ मिलता है तो आज हम यह समझ कर क्यों टीका टिप्पणी करें कि तीन चौथाई करोड़ का बजट जिसका सम्बन्ध हरिजन कल्याण विभाग से है वही महज इन व्यक्तियों और उस समाज की समस्याओं को सुलझाने वाला है और जो अन्य विभागों का बजट है उससे उन को लाभ नहीं होता। मेरा कहना उन साथियों से है जिन्होंने बड़ी टीका टिप्पणी की और कहा कि यह अनुदान नाकाफी है ठीक है यह नाकाफी है, लेकिन उन्होंने इस बात को भुला दिया कि इसके अलावा जो अनुदान विभिन्न दिशाओं में व्यय होने वाले हैं उन से भी हरिजन समाज का कल्याण होता है और पिछड़े वर्ग के लोगों का कल्याण होता है और वे भी उनके उत्थान की ओर ले जाने वाले अनुदान हैं। इसलिये मैं यहां इस अवसर पर उन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन ३० वर्षों में जहां तक अपने इस पिछड़े वर्ग का सम्बन्ध रहा है, देश ने भारी कदम प्रगति की ओर उठाये हैं और अपने पिछड़ेपन को दूर करने की पूरी चेष्टा की है।

क्या हमारी नजरों से वह शान्तिमय क्रान्ति हट जाती है जो इन ३०, ४० सालों के बीच में गुजरती हुई हमारी आंखों ने देखी है? हमें वह समय याद है जब हमारे इस पिछड़े वर्ग के साथियों को समाज के अन्दर विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती थीं, विभिन्न प्रकार के संकुचित वातावरण के बीच रहना पड़ता था। परन्तु क्या आज वास्तविकता नहीं है हमारी शान्तिमय क्रान्ति ने एक नई क्रान्ति हमारे बीच में पैदा कर दी है और उस नई क्रान्ति के द्वारा हमने उसको जो उठ नहीं पाता था, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया है और उसमें नई क्षमता पैदा करने की चेष्टा की है? आज यह कहना कि उच्च जाति वालों ने उस दिशा में अपने विचारों में परिवर्तन नहीं किया है, मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की आलोचना करते हैं उन्हें भ्रम है। आज समाज के प्रत्येक वर्ग के अन्दर एक नई क्रान्ति विचारों के अन्दर दिखाई पड़ती है और उसी का कारण है आज शिक्षा संस्थाओं में, अस्पतालों में, रेल में जायं, सब जगह एक नया वातावरण बैठने वालों के बीच में, काम करने वालों के बीच में हमारी नजरों के सामने गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है तो हम उस क्रान्ति को क्यों भुलाते हैं? जो कार्य ३०, ४० वर्षों में शान्तिमय तरीके से किया है और जिसका बहुत हद तक श्रेय उस महान् व्यक्ति को है जो आज हमारे बीच में नहीं है, परन्तु जिसकी प्रेरणा, प्रोत्साहन आज भी देश के प्रत्येक नागरिक को अनुप्राणित कर रही है, उस महान् मानव ने हमारे देश में, संसार में अपनी नीतियों के द्वारा, अपने आदर्शों के द्वारा, परम्पराओं के द्वारा एक नई क्रान्ति हमारे बीच में उपस्थित की और आज उस क्रान्ति की बदौलत उत्तरोत्तर हम उस दिशा में चल रहे हैं जहां चल कर उस समाजवादी व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं जिसकी अभिलाषा हमारे प्रत्येक के अन्दर है और हमारे उन माननीय सदस्य के हृदय में है जो अभी मुझसे पूर्व यहां विचार व्यक्त कर रहे थे।

आज क्या वह कह सकते हैं कि उत्तरोत्तर समाज के प्रत्येक अंग ने उस दिशा में चलने की क्षमता अपने अन्दर पैदा नहीं की कि जिस क्षमता के अन्दर उत्तरोत्तर भेदभाव के विचार और वे कमियां जो समाज के अन्दर फैली हुई थीं वे हमारे बीच से हटाई नहीं गईं? हमने

इतनी मात्रा में प्रगति कर ली है कि हम जातिवाद के शब्दों को सामने रख कर समाज को फिर से विभाजित करने की चेष्टा करना चाहते है। हमारा ऐसा कार्य समाजवाद की व्यवस्था लाने में हमें दिक्कतों व परेशानियों में डालने वाला है और हम उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते जिस उद्देश्य की पूर्ति हम समाजवाद व्यवस्था लाने के लिये करना चाहते हैं। हम क्यों सोचते हैं कि हम कुर्मी हैं, हम जाट या ठाकुर हैं? हम क्यों सोचते हैं कि हम ब्राह्मण हैं? जो लोग आज सबसे भारी मात्रा में इस तरह के विचारों को फैलाने की समाज में चेष्टा करते हैं वे दुश्मन हैं समाजवाद के और वे उन कुरीतियों तथा कुविचारों को हमारे बीच में फैलाते रहना चाहते हैं महज अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये, महज अपना उल्लू सीधा करने के लिये। मैं सदन से नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हम निर्णय कर लें और इस बात की घोषणा कर दें कि हम जातिवाद के प्रश्न को इस सदन में कभी रखने की चेष्टा नहीं करेंगे और हमारा ऐसा निर्णय हमको उस दिशा की ओर ले जा सकेगा जहां चल कर हम समाज में वास्तविक रूप से पूरी क्रान्ति करना चाहते हैं। बार बार बनिया, ठाकुर, ब्राह्मण, हरिजन का प्रश्न इस सदन में उठा कर हम सदन की जो परम्पराएं रचना चाहते हैं उनके विपरीत कार्य कर रहे हैं।

मुझे दुख होता है, परेशानी होती है कि हम लम्बी लम्बी आदर्शों की बातें करते हैं, लेकिन हम अपने को गिरा देते हैं उस संकुचित वातावरण में और उसके द्वारा हम समाज के अंगों को अपना साथी बनाने की चेष्टा करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि चुनाव के अन्दर वे प्रवृत्तियां फैलाई गयीं जिनको कि हम समाज से दूर करना चाहते हैं। क्या आज समाज के प्रत्येक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह उन प्रवृत्तियों से अपने को बचा कर रखे और समाज में आने वाले नागरिकों के बीच में उन विचारों को पैदा करे जिन विचारों के तह में समाजवाद जागरूक हो सकता है, जिन्दा रह सकता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय बे समय जातिवाद के प्रश्न को उठा कर न हम समाजवाद की व्यवस्था को लाने की चेष्टा करते हैं और न उस दिशा की ओर चल कर हम उस कार्य को सम्पादन करना चाहते हैं जिसकी हमारे दिल में आकांक्षा है।

कई बातें सदन में कही गयीं नौकरियों के रिजर्वेशन के बारे में। मैं जानता हूं और सदन भी अच्छी तरह से जानता है कि जहां तक हरिजन भाइयों का सम्बन्ध है रिजर्वेशन उनके लिये है और नौकरियों में जो रिजर्वेशन उनका होना चाहिये उत्तरोत्तर वह संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो विधान हमने स्वीकार कर लिया है उसके तहत में हम नौकरियां लोगों को देते हैं तो उसमें हमने यह भी घोषणा कर रखी है कि प्रत्येक को समान अवसर प्रगति करने का मिलेगा।

श्री दीपनारायणसिंह—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते है कि सदन के सामने जातिवाद का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३० और ४० में बैकवर्ड क्लास रखा गया है, बैकवर्ड क्लास कमीशन रखा गया है, जातियों की गणना रखी गयी है। इसलिये ऐसा वह न कहें।

श्री अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं यह कह रहा था कि हमें जातिवाद के प्रश्न को नहीं उठाना चाहिये और इसलिये कह रहा था कि जिस उद्देश्य की पूर्ति हमारे माननीय सदस्य शीघ्रातिशीघ्र देखना चाहते हैं और जिस समाजवाद की रचना की ओर बराबर हम चलने की बात करते हैं उसके सम्बन्ध में हम बराबर उन बातों को प्रोपैगेट करते रहते हैं जो हमको उस व्यवस्था से दूर ले जाती हैं, तो क्या उन विचारों को प्रोपैगेट करने से समाजवाद की हम सेवा करते हैं। हमने विधान के अन्तर्गत इस देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर उभरने और उठने का प्रदान किया है और नौकरियों में भी समान अवसर उभरने और उठने देने की घोषणा की है। आप जानते हैं कि नौकरियां तो जो कायदे बने हुये हैं उनके तहत में प्रदान की जाती हैं।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

नौकरियों के लिये आपने प्रादेशिक पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कायम कर रखे हैं और इन कमीशनों को अपने निर्णय बता रखे हैं। तो क्या प्रादेशिक और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो स्टैंडर्ड नौकरियों के लिये निर्धारित कर रखे हैं उनके विपरीत सरकार कार्य करती रहे और प्रत्येक को जो इम्तहान पास न कर सके, जो उस निर्धारित स्टैंडर्ड के बराबर न आ सके उसे नौकरी देती रहे? सरकार चाहती है कि हरिजन भाइयों को जो आज तक समाज में स्थान नहीं मिल सके वह उन्हें मिलने चाहियें और समय की गति को देखते हुये, उनके पिछड़ेपन को दूर करने की आवश्यकता को देखते हुये उन्हें वह सारी सुविधायें प्रदान की जायं जिनसे वे आज तक वंचित रहे हैं। जिस शान्तिमय सामाजिक क्रान्ति की मैंने चर्चा की क्या उसने हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं किया? आज प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति साथ में बैठ कर खाता है, साथ में रहता है, साथ में खेलता है। आज यह परिवर्तन इस रूढ़िवादी देश में हमारे ही जीवन काल में आ गया जिसके लाने में न तो हमने किसी को मारा, न किसी को पीटा, न किसी को फांसी पर चढ़ाया, न किसी को देश से निकाला ताहम हमने शिक्षा के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा और अपने आदर्शों के द्वारा समाज के अन्दर एक नयी क्रान्ति पैदा की। लेकिन आज हम उस वास्तविकता से मुंह मोड़ना चाहते हैं, उसको अपनी नजर से ओझल करना चाहते हैं।

एक भाई ने कहा कि कानून बनाना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति इंटर-कास्ट मैरेज करे। क्या आप कानून और शासन के बल पर सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं? और यदि आप इसी तरह से सामाजिक क्रान्ति करना चाहते हैं तो क्या इतिहास के वे पन्ने आपकी नजरों से ओझल हो गये कि जहां इस प्रकार से सामाजिक क्रान्ति करने की चेष्टा की गयी वहां समाज की क्या हालत हुई है और क्या वहां समाज उस उद्देश्य से हट नहीं गया और क्या वहां हजारों और लाखों फांसी के तख्ते पर चढ़ा नहीं दिये गये और फिर भी सामाजिक क्रान्ति उस ढंग से हो नहीं पायी जिसकी आवश्यकता थी। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के द्वारा वह क्रान्ति लायी जाय और इस प्रयत्न में हम उत्तरोत्तर सफल भी हुये हैं। आज जो सामाजिक क्रान्ति हमारे ही जीवन में दस, बीस साल के अन्दर हुई है वह चमक रही है और वह एक ऐसी क्रान्ति है जिसका कोई भी देश अनुकरण कर सकता है। मैं सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक नौकरियों का विषय है हम चाहते हैं कि जो पिछड़े या हरिजन वर्ग के लोग हैं उनको जो निर्धारित संख्या है उसमें तो स्थान मिलें ही बल्कि और अधिक से अधिक संख्या में मिलें। लेकिन यह कार्य उत्तरोत्तर ही हो सकता है।

अगर हमें मेडिकल कालेज में प्रोफेसर नियुक्त करने हों, लेक्चरार्स या रीडर नियुक्त करने हों तो क्या किसी हरिजन या बैकवर्ड क्लास के भाई को अपने आदेश से प्रोफेसर, लेक्चरार या रीडर बना सकते हैं जबकि उन्हें वह शिक्षा प्राप्त करने का अवसर ही न मिला हो? अब समय आ रहा है, शिक्षा बढ़ रही है। मेडिकल कालेजों में, एग्रीकल्चर कालेजों में, वेटेरिनरी कालेजों में और हर जगह आज उनको स्थान मिल रहा है और ऐसा समय आयेगा जब उनमें से लोग ऊंची ऊंची जगहों पर पहुंचेंगे और ऊंचे ऊंचे स्थानों को सुशोभित करेंगे।

आज शिक्षा के विषय को लेकर विचार करना पड़े तो क्या इतनी भारी संख्या में हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग शिक्षक हैं और जहां हैं वहां वे मुकर्रर किये गये हैं। आप प्राइमरी स्कूलों में देखिये, सेकेंडरी स्कूलों में देखिये। जहां जहां लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है वहां पर उनको नौकरियां मिली हैं।

मैं आप से एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष मैंने इस प्रकार की चर्चा अपनी पार्टी में अपने साथियों के बीच में की थी कि मेरी अभिलाषा यह है, मेरी इच्छा यह है कि पब्लिक

सर्विस कमीशन में एक हरिजन भाई को मुकर्रर करूं। इसके लिये मैंने चेष्टा की कि ऐसा व्यक्ति जो ५०–६० साल के बीच की उम्र का हो उस को नियुक्त करूं। बहुत से हरिजन भाई थे और उनमें से एम० एल० एज भी थे लेकिन वे सब कम उम्र के थे। यदि ३०–४० साल की उम्र वाले आदमी को मुकर्रर कर दिया जाय तो जैसा कि कानून है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन मे काम कर लेता है वह सरकार में नौकरी नहीं कर सकता है। यहां ६ साल तक काम कर लें तो इसके माने यह हैं कि ४० साल के आदमी को रखने पर वह ४६ साल की उम्र में ही बेकार हो जायगा जहां तक सरकारी नौकरियों का संबंध है। इसलिये किसी ऐसे आदमी को न रख सके। लेकिन मैंने अपनी चेष्टा बराबर जारी रखी और एक व्यक्ति ऐसे मिले भी जो इस उम्र के बीच में आते थे जिसको मैं रखना चाहता था परन्तु उन्होंने आना मंजूर नहीं किया क्योंकि वे एक और जगह चेयरमैन बन गये। यह बात नहीं है कि हमारी कोशिश नहीं रही है या हम ऐसा व्यक्ति रखना नहीं चाहते हैं। मैंने अब भी कह रखा है और एक साहब का नाम मुझे बताया गया जो ६० साल के हो चुके थे इसलिये वे नहीं रखे जा सके।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी घोषणा है और सरकार का उद्देश्य है कि जिन भाइयों को रखा जा सकता है वे रखे जायेंगे। कोई इस चीज में हम कमी करने वाले नहीं हैं क्योंकि जो वर्ग और जो हमारा समाज का अंग पिछड़ा रहा है अवश्य उसकी प्रगति करने के लिये, उसका उत्थान करने के लिये, और उसको ऊंचा उठाने के लिये हम प्रयत्न करना चाहते हैं और प्रयत्न कर रहे हैं और कांग्रेस का संगठन है जो इतनी भारी संख्या में अपने बीच में से अपने साथियों को खड़ा करता है जो चुनाव में हरिजन दल से और पिछड़े वर्ग से खड़े होते हैं और चुन कर आते हैं। हिन्दू समाज के जो ऊंचे तबके के लोग कहे जाते हैं वे ही अपना मत उनको देते हैं तो यह भावना किसने इन जातियों और बिरादरियों में पैदा की? वह भावना कांग्रेस ने, कांग्रेस के नेताओं ने और महात्मा गांधी जी ने पैदा की जिन्होंने इस कांग्रेस संगठन का नेतृत्व किया और जो हरिजनों के लिये जिये और मरे तो कोई दल नहीं कह सकता कि जितना कार्य कांग्रेस संगठन ने और इधर के बैठने वाले साथियों ने हरिजनों के उत्थान के लिये किया है उतना न एक समुदाय ने किया है और न एक दल ने किया है। (व्यवधान)

आप लोगों के मनाकर देने से जो इतिहास के पन्ने हैं वे फाड़े नहीं जा सकते हैं। वास्तविकता अपनें आप बोलेगी और आज कोई भी आदमी जो संतुलित विचार वाला है वह इस बात को भूल नहीं सकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सारे माननीय सदस्यों को यह वचन देता हूं कि जब जब जैसे जैसे अवसर आयेगा और जैसे हमारे बीच में वह व्यक्ति हरिजन समाज से, बैकवर्ड समाज से उभरेगा त्यों त्यों वह व्यक्ति विभिन्न स्थानों पर रखा जायगा, उसको उचित अधिकार दिये जायंगे जो उसे मिलने चाहिये और जिनसे वह वंचित रहा है। मैं इस विषय में अधिक न बोलते हुये, इतने ही शब्दों में अपने को सीमित रखते हुये, सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने बीच से संकुचित विचारों को दूर करने की ख्वाहिश पैदा करें जिससे उत्तरोत्तर हम इस दायरे से निकल सकें जिस दायरे ने हमें कमजोर बना रखा, हमें उठने नहीं दिया और जिसने समाज के एक अंग को बहुत दिनों तक दबा कर रखा, इसी के लिए हम अधिक मात्रा में हरिजन, बैकवर्ड क्लास की सेवा कर सकेंगे और ऐसे समाज को बना सकेंगे जिसको बना कर सही माने मे समाजवादी व्यवस्था हमारे बीच में रखी जा सके।

मैं इन चन्द शब्दों के साथ इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से इस महत्वपूर्ण विषय पर वादविवाद सुन रहा था। परन्तु मुझे बड़ा दुख है कि समस्या का हल क्या है इस ओर न जा कर आरोप प्रत्यारोप और जातिवाद का नग्न दिग्दर्शन भाषणों में दिखायी दिया।

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

इस समस्या के दो पहलू हैं--सामाजिक और आर्थिक। इस समस्या को सहृदयता के साथ, गम्भीरता के साथ, धैर्य के साथ विचारने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार के भाषण सब ओर से हुए, उनमें केवल एक ही बात का अधिकतर उल्लेख रहा कि हम बड़े ऊंचे और यह बड़े खराब। क्या अपने घर की, अपने अंग की समस्या अच्छा और खराब कह कर हल कर सकते हैं? मैं किसी दल की बात नहीं करता। अगर मैं यह कहूं कि प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों का पोषण करके देश का खंडन हुआ, तो गलत न होगा। श्रीमन्, दूर जाने की जरूरत नहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ मुनेत्र कड़घम देश का विघटन करने पर तुला है। आज नौकरी के लिए झगड़ा है, कल सत्ता के लिए होगा और परसों देश का खंडन भी हो सकता है। विभाजन की नीव नौकरियों पर भी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि देश बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है या जाति बड़ी है? सब चाहते हैं कि जातिवाद न हो। लेकिन क्या हम अपने भाषणों से, कृत्यों से और हृदय पर हाथ रख कर कह सकते हैं क्या हम इस मनोवृत्ति को जगाने में भागी नहीं हैं? सहायता करने का अर्थ विशेष प्रोत्साहन मान लिया जाता है। शरीर का जो अंग कमजोर होता है उसको पुष्ट किया जाता है क्योंकि अगर शरीर संतुलित नहीं रहा तो वह शरीर नष्ट हो जायगा। लेकिन क्या वह अंग विशेष, जाति विशेष या वर्ग विशेष बन जाता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा, जितने भी माननीय सदस्य हैं कि समाज का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, राष्ट्र के लिये हम इस पर गंभीरता से विचार करें कि इसके क्या परिणाम होंगे।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की बात से बिलकुल सहमत हूं सामाजिक तत्वों का बदलना समाज का कल्याण कानून से नहीं हो सकता। कानून केवल समाज की मान्यताओं को रूप देता है। क्या यह कहा जा सकता है कि आप जबरदस्ती यह कीजिये? 'You can take the horse, You cannot make him drill' अगर इस समष्टि की समष्टता रखना है, आत्मीयता का भाव जगाना है, और यह सत्य है कि अपने समाज के अन्दर दासता उसका मुख्य कारण है, मध्यकालीन युग में आत्मीयता नष्ट हो गयी। समष्टि को जीवित रखने के लिये आवश्यक है कि आत्मीयता रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कहीं मैं सुनता हूं कि यह हरिजन है, वह सवर्ण है। शरीर के दोनों ही अंग हैं। अपना शरीर है अपना रक्त है। उसको अलग कैसे हम मानें? क्या हम लोग यह भूल जाते हैं कि जब हममें से कितने पैदा हुये हैं, मां का दूध हमने बाद में पिया होगा, धाय का दूध पहले हमने पिया है जिसने हमारा नार काटा है? वह धाय कौन है? उसका भी रक्त हमारे अंग के अन्दर है और उस रक्त को उस अंग को यह कहें कि वह अस्पृश्य है, हमसे दूर है, कितने लघु विचार हैं? कितने निन्दनीय विचार हैं। भावना की भी श्रीमन्, इसके अन्दर आवश्यकता है। भावना के अन्दर आकर तैश में आकर हम सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से समझते हैं कि हमने बड़ा कमाल किया। परन्तु आरोप प्रत्यारोप से समस्या नहीं हल होती। और यह मानना पड़ेगा, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता और न कोई करता है श्रीमन्, मध्यकालीन स्थिति हमारे राष्ट्र की और समाज की ऐसी हुई जिसमें अपनत्व और आत्मीयता दोनों नष्ट हुई। और उसकी आज भी अपने ऊपर छाया है। इसका परिवर्तन एक दिन में नहीं हो सकता। इसका तो जो मार्ग होना चाहिये वह हृदय परिवर्तन का मार्ग होना चाहिये, आत्मीयता का मार्ग होना चाहिये, विचारों का परिवर्तन होना चाहिये।

अगर श्रीमन्, यह आत्मीयता, यह विचार और यह हृदय परिवर्तन है तो फिर यह हरिजन और सवर्ण के भाव क्यों खड़े होते हैं? अगर हमारे मस्तिष्क में हरिजन और सवर्ण नहीं हैं और हम कहते हैं कि हमने विचार बदल लिया तो बार बार प्रश्नों में, उत्तरों में, भाषणों में हरिजन और सवर्ण क्यों आते हैं? इसके सीधे मानी यह हैं कि सबकांशस माइन्ड में आज भी वही चीज है और हमारा सबकांशस माइन्ड नहीं बदला है। उसके बदलने की बड़ी आवश्यकता है। और वह आज बदल रहा है, श्रीमन्। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही, कि हम बदल रहे हैं, वही सही बात है। यह परिवर्तन हो रहा है। स्थान स्थान पर आप जाइये, खाने में

पीने में, खेलने में, बैठने में क्या अन्तर है ? समय लगेगा । परन्तु है परिवर्तन । और यह परिवर्तन बल से नहीं किया जा सकता श्रीमन्, यह परिवर्तन भेद से नहीं किया जा सकता । उस भेद को बार बार उभाड़कर उसका हंगामा करके नहीं किया जा सकता । वह भेद भुलाना होगा, आचार में, व्यवहार में, विचार में । जब तक वह भेद भुलाया नहीं जायगा और लगता है उसमें अपने ऊपर मनुष्य को थोड़ा बल लगाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि पर लेकिन जब तक वह भेद भुलाया नहीं जायगा तब तक यह परिवर्तन नहीं हो सकता ।

श्रीमन्, दूसरा जो इसका आर्थिक पहलू है वह व्यवहार का पहलू है । व्यवहार सम होना चाहिये । मैं कहता हूं कि इतने यहां सवर्ण और हरिजन सदस्य बैठे हैं । क्या अन्तर है उनमें ? फिर यह आपस के व्यवहार में कांशसनेस क्यों ? चाहे हम व्यवहार में उसे न लावें लेकिन भाषणों में वह कांशसनेस लायी जाती है और उस कांशसनेस को लाने के साथ साथ हम एक दूसरे की नीयत पर भी आक्रमण करने लगते हैं । आप भी चाहते हैं कि वह ऊपर उठें और हम भी चाहते हैं कि वह ऊपर उठें । फिर नीयत पर आक्रमण क्यों ? और नीयत पर आक्रमण करेंगे तो निश्चित है श्रीमन्, कि उनसे बिटरनेस आपस में आयेगी ? जिस चीज को आप भुलाना चाहते हैं और भुलाने के माने मेरे यह नहीं कि आत्मविस्मृत करना चाहते हैं, उसका मतलब केवल यह है कि जो पृथकताका अनुभव हम करते हैं, वह समाप्त हो तो उसके लिये भी आवश्यक है कि नीयतपर आक्रमण न हो । नीयत पर आक्रमण होगा तो निश्चित बिटरनेस बढ़ेगी और उसके भीषण परिणाम दक्षिण में हुये हैं । आज फिर इस देश का, इस राष्ट्र का खंडन करने वाली प्रवृत्तियां खड़ी हो रही हैं, वह चाहे जिस नाम से हों, और उन्हें प्रश्रय चाहे जिस ओर से दिया जाय, उसे लिंग्विज्म कहा जाय, चाहे कास्टिज्म कहा जाय, चाहे लिंगायतिज्म कहा जाय, वह घातक है । इसलिये एकता की दृष्टि से आप इसको देखें और उस दृष्टि से इसके ऊपर साइकोलाजिकल अप्रोच होना चाहिये । एकता और अपनत्व का, अप्रोच (लाल बत्ती होने पर) मुझे श्रीमन्, पांच मिनट और दे दें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष—अभी दो तीन लोग और बोलेंगे, फिर यह समाप्त होगा, इसलिये आप दो मिनट में समाप्त कर दें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, पांच मिनट दे दें । श्रीमन्, उसका जो दूसरा आर्थिक पहलू है वह भी विचारणीय है । आज आपके यहां हरिजन साधनविहीन हैं । समाज में अर्थ का भी महत्व होता है और अर्थ का भी सम्मान है । आज सरकार ने उसको साधन सम्पन्न करने के लिये क्या उपाय किया है ? मैं मानता हूं कि आपने उनकी शिक्षा के लिये कुछ प्रबन्ध किया, उनके लिये कुछ सहायता का प्रबन्ध किया, उनके लिये कुछ कुयें बनवाये, उनके लिये कुछ स्कूल भी खुलवाये परन्तु क्या इस प्रकार से उनकी सहायता करके उनको साधन सम्पन्न किया जा सकता है ? इस प्रकार की उनको शिक्षा देकर केवल बेकारों की संख्या ही खाली बढ़ाई गई है । कुछ साधन की दृष्टि से क्या किया गया जिससे वे अपनी उन्नति कर सकें ? मैं जानना चाहता हूं कि उस दृष्टि से उनके लिये क्या किया गया ? मैं यह नहीं कहता कि उनके लिये कुछ नहीं किया गया परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको ऐसा क्या साधन मिला जिससे उनको परिणाम कुछ मिला हो । वह परिणाम उनको नहीं मिला ।

उनके लिये भूमि का प्रश्न है । भूमि पर अधिक शिकमी हरिजन और बैकवर्ड लोग थे परन्तु कानून के दांव पेंच में उनको लेकर उनसे इस्तीफे लिखा लिये गये । यह उनके लिये पहली आवश्यकता थी कि यह कृषि प्रधान प्रदेश है तो यहां पर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिये उत्पादन की दृष्टि से उनको भूमि मिलनी चाहिये थी किन्तु वह उनको नहीं दी गई । वह लोग भूमि न पासके । वह क्यों नहीं पासके ? वह इसलिये नहीं पा सके कि आज उनके पास धन नहीं था इसलिये कानून के पंजे में उनको फंसाकर उनको डराकर उनसे इस्तीफा ले लिया गया । बहुत से प्रदेशों में इन गरीब आदमियों पर दबाव डाला गया और दावा दायर किया गया तो वे

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

बेचारे डरकर भाग गये । उनको जो न्याय का प्रश्रय मिलना चाहिये था वह नहीं मिला । दूसरी आवश्यकता यह थी कि जो उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिये था वह उनको नहीं मिला । आज हरिजनों के पास इतना धन नहीं है, आज बैकवर्ड के पास इतना धन नहीं है कि वह किसी प्रकार से न्याय ले सकें । फ्री लीगल एड सरकार की ओर से मिलनी चाहिये थी वह भी उनको नहीं मिली और सरकार ने भी इस पर अपना ध्यान नहीं दिया । इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर भी विचार करे कि उनको फ्री लीगल एड मिले ।

दूसरा आर्थिक साधन है उद्योग का । कुछ को आपने करघे थमा दिये और कुछ को चरखे दिये वह कातने लगे । क्या इससे जितना समाज का पिछड़ा हुआ अंग है उनका उत्थान हो गया ? नहीं हुआ । आपकी छोटी छोटी इंडस्ट्री पावर पर बेस्ड होनी चाहिये । खाली चरखे और करघे से काम नहीं चलेगा । वह भी पावर से चलने चाहिये । उन लोगों को काटेज इंडस्ट्री बेस्ड आन पावर मिलनी चाहिये । इस दृष्टि से मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या किया ? लघु उद्योगों के लिये उनको पावर मिलनी चाहिये इसके लिये सरकार क्या किया ? जहां तक मेरी जानकारी है सरकार ने कोई अच्छा कदम नहीं उठाया है । इसलिये उनको कुछ काटेज इंडस्ट्री दी जाय जो पावर पर बेस्ड हों ।

उनके लिये शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है । आज जो सरकार शिक्षा देती है वह बेकारों की संख्या को ही बढ़ाने वाली है । चाहे मेरा लड़का हो या आपका वह सब बेकार हो जाते हैं बी० ए० और एम० ए० पास करके । वह बी० ए० या एम० ए० पास करके हल नहीं चलाना चाहते हैं । वे कहते हैं कि हमको खेती करने में शर्म लगती है । वह परिश्रम करना नहीं चाहते हैं । वह बाबू बनना चाहते हैं । वह एक क्लर्क बनना चाहते हैं जिसमें उनका जीवन कठिनाई से व्यतीत होता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि उनको आप टेक्निकल शिक्षा दें । उनको टेक्निकल एजूकेशन दीजिये । इसके लिये उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय

चौथी बात कही गई रिजर्वेशन के बारे में कि उनका रिजर्वेशन पूरा करने के लिये सर्विसेज में क्या किया गया । अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास क्वालिफाइड डाक्टर नहीं है तो क्या करें । लेकिन क्या चपरासी के लिये किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है ? अगर मुझे ठीक ध्यान पड़ता है तो १८ तारीख को मन्नालाल जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुये इसी सदन में कहा गया था कि चपरासी नहीं लिया गया । एक अमीन जो हरिजन था उसको भी निकाल दिया गया । अमीन के लिये क्या क्वालिफिकेशन चाहिये ? चपरासी के लिये क्या क्वालिफिकेशन चाहिये ? मैं जनाता हू कि इसका क्या कारण है, जो चपरासी को नियुक्त करते हैं वह चपरासियों से निजी कार्य भी लेते हैं । जो उनका निजी कार्य करते हैं उसी को वे लेते हैं । और जो नहीं कर सकते हैं उनको वे नहीं लेते हैं । मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपना स्वार्थ देखता । है इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन पदोंके लिये विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है उनमें तो आप रिजर्वेशन को पूरा करें । और मैं फिर आग्रह करूंगा कि इस समस्या के ऊपर बड़ी गंभीरता से, शांत से, आत्मीयता से विचार करें और इसका अप्रोच सोशल और इकोनामिक होना चाहिये, इमोशनल और सेक्टेरियन नहीं होना चाहिये । वैसा होने से समाज का अहित ही होगा, हित नहीं । इसलिये सब का हित हो, इस बात को सामने रख कर सारे सदन के माननीय सदस्यों को दलगत भावानाओं से ऊपर उठ कर इस समस्या को अप्रोच करना चाहिये तभी मैं समझता हूं कि इस समस्या का हल अधिक सुन्दर निकल सकता है ।

*श्री हरीसिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो आज हरिजनों का अनुदान प्रस्तुत है उस का समर्थन तथा माननीय मंत्री जी को इसे पेश करने के लिये बधाई देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं ? हमारे देश के सभी नेताओं ने इस समस्या के जहर को पूरा पीने की कोशिश की है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस समस्या को सुलझाया भी है । जहां तक धर्म का सवाल है, हरिजनों ने सदा ही उसे निभाया है और अपने धर्म का पालन किया है । विदेशियों का आक्रमण होने के बाद भी वे अपने धर्म से विमुख नहीं हुये, लेकिन हिन्दू समाज का आतंक आज भी कम नहीं हुआ, कभी कम नहीं हुआ ।

हमारे देश के नेताओं ने और देश की सरकार ने विचार करने के बाद जितनी उन्नति इस समाज की की है उतनी आज तक कभी नहीं हुई । मैं उदाहरण के लिये बतलाऊं कि जब यहां अंग्रेजों का राज्य था तो हरिजनों ने अंग्रेजों को काफी सहायता दी । १९२४ में एक आल इंडिया कांफ्रेंस हुई थी और एक कमीशन आया था । उस समय अंग्रेजों का साथ हरिजनों ने दिया, लेकिन उन अंग्रेजों ने उनकी कोई सहायता नहीं की । हरिजन देश की आजादी के लिये भी किसी से पीछे नहीं रहे । जितना अन्य लोगों ने बलिदान किया उतना ही हरिजनों ने किया । आजादी के बाद इस देश के नेताओं ने हरिजनों को मनुष्य बनाने की चेष्टा की और मनुष्य बनाया भी, उन्होंने समझा कि ये सभी इन्सान हैं, और उनको अपने जैसा इन्सान समझा । सरकार ने हरिजनों की उन्नति के लिये विभाग खोले, छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान कीं और तब दूसरे लोगों ने भी समझा कि हां, ये इन्सान हैं । उनको नौकरियों में सुरक्षा प्रदान की गयी ।

आज यह कहा जाता है कि इन इन नौकरियों में इन की संख्या शून्य है, लेकिन कुछ में कुछ है तो । अंग्रेजों के राज्य में तो किसी ने उन के लिये कुछ भी नहीं कहा और उस समय कोई सुनने वाला भी नहीं था । हरिजनों के लिये गुरुकुल और आश्रम खोले गये यह हमारे नेताओं का प्रताप है । मैं एक बात जरूर माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारे हरिजन विभाग में यह फिगर्स जरूर रहने चाहिये कि हरिजनों के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने कितना पढ़ चुके, कितने नौकरी पा चुके हैं और कितने नौकरी की तलाश में हैं तथा कितने यूनिवर्सिटीज में तालीम पा रहे हैं । यह सारे फीगर्स हरिजन विभाग के पास रहने चाहिये ताकि बार बार सोशलिस्ट नेता महोदय को यह बात कहने का मौका न मिले । दूसरे यह मानी हुई बात है कि यदि किसी कौम का उत्थान करना है तो उसकी शिक्षा तथा उसकी आर्थिक उन्नति का प्रबंध होना चाहिये ।

आप शिक्षा काफी दे रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक दशा कैसे सुधरे इसे सोचना है । मेरा निवेदन है कि आज हरिजनों के पेशे भी ब्राह्मण और ठाकुर अपनाते जा रहे हैं । आज सारे चमारों के काम को बनिये कर रहे हैं । आप छोटे उद्योग-धंधे खोलिये और उसमें उनको काम दीजिये । मैं कहना चाहता हूं कि एक साहब ने टिकट के लिये कांग्रेस में प्रार्थना-पत्र दिया और जब उनको नहीं मिला . . . .

श्री अध्य —कृपया व्यक्तिगत टीका न करें ।

श्री हरीसिंह—तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जो बात करते हैं वह अपने स्वार्थ के कारण करते हैं ।

अब मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह दो तीन कामों को और कर दे । एक तो हर एक विभाग में इस बात के आंकड़े रखे जायें कि कितने हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी, कितनों को नौकरी मिली, कितनों को उद्योग-धंधों में लगाया गया, कितनों ने दस्तकारी शुरू की, इसके अलावा जो फारेन कन्ट्रीज को माल जाता है उसके जो आप परमिट देते हैं वह भी उन लोगों को दिये जायं ताकि उनकी माली हालत कुछ सुधर सके ।

श्री अध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हुआ ।

***श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, शासक व्यक्ति और अत्याचारी जिस भाषा का प्रयोग हमेशा करते रहे, आज उसी भाषा का प्रयोग माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सहदेवसिंह]

मुख्य मंत्री की तरफ से, जो पिछड़े हुये और हरिजन वर्ग के लोग हैं उनको दबाने के लिये किया गया । पुराने जमाने में उन लोगों की तरफ से जब कोई बात उठती थी तो धर्म के नाम पर उनकी गाढ़ी कमाई का लोग शोषण करते थे । बहुत से लोग जागीरदारी के नाम पर उनकी मेहनत का, उनकी कमाई का शोषण करते थे । तीसरा वर्ग ऐसा भी था जो रुपये के बल पर उन पर शोषण करता था । आज भी जो लोग सत्ता में हैं और जो उच्च जाति में भी हैं, वे उस जहर को महसूस नहीं करते जिसको कि हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग पिया करते हैं । अभी यह बताया गया कि कांग्रेस के राज्य में अछूतपन बहुत हद तक मिट गया है । मैं यह चुनौती देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आज प्रदेश के किसी भी प्राइमरी स्कूल में जाकर देखें, वहां उन्हें पता चलेगा कि जो मुसलमान लड़के हैं, और जो अछूत लड़के हैं वे स्कूल की लोटा बालटी नहीं छू सकते । (व्यवधान) लड़कों में ही यह बात नहीं, अध्यापकों तक में यह बात है । यह प्राइमरी स्कूलों में ही बात नहीं है, हायर सेकेन्डरी और कालेजों में भी यही बात पायी जाती है । मैं एक अध्यापक हूं और करीब २० साल से मैं इस कार्य को कर रहा हूं । मैं जानता हूं कि वहां पर हर स्कूल में यह सिखाया जाता है कि तुम छोटे हो और तुम बड़े हो । जब एक हरिजन लड़के को प्यास लगती है तो वह एक ब्राह्मण या ठाकुर के लड़के से कहता है कि मुझे प्यास लगी है, तुम चल कर मुझे पानी पिला दो । मैंने एक लड़के से पूछा भी एक बार कि तुम खुद क्यों नहीं पानी पी लेते, तो उसने जवाब दिया कि हम लोटा बालटी कैसे छू लें । वहां पर मुसलमान अध्यापकों की अलग सुराही रहती है और वे सरकारी लोटे या बालटी को नहीं छू सकते । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गांधी जयन्ती के दिन हरिजन कल्याण के भाषण दें, स्वतंत्रता दिवस पर पोस्टर लगायें और स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था---इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती । अगर सरकार आंखें बंद करना चाहती है तो वह अपने को धोखा देना चाहती है और वस्तुस्थिति का मुकाबला करना नहीं चाहती । इसलिये कोई जांच कमेटी इस तरह की बैठायी जाय या कहीं पर जाकर देख लिया जाय....

(लाल बत्ती होने पर)

मैं दो तीन मिनट और चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---आपके दो मिनट और हैं ।

श्री सहदेवसिंह---दूसरी बात जो मैं रखना चाहता हूं वह यह कि सरकार ने एक अनैतिक व्यापार विरोधी कानून पास किया है । मैं इटावा से आता हूं, वहां वेश्याओं की संख्या अधिक है । यह कानून पुलिस के मातहत रखा गया है जिसके कारण यह अनैतिक व्यापार बढ़ रहा है, क्योंकि पुलिस उसमें वेश्याओं से रिश्वत लेती है और उन लोगों से भी लेती है जो उनके यहां जाया करते हैं । इस तरह से अनैतिक व्यापार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है । इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यह काम समाज कल्याण अधिकारी या ऐसी संस्थाओं के हाथ में दिया जाय और पुलिस के हाथ से इसे वापस ले लिया जाय, क्योंकि जो रिश्वत नहीं देता उन पर पुलिस मुकदमें चलाती है और जो देते हैं उनको बचा देती है । जहां सरकार ने यह कानून बनाया है वहां वेश्याओं के पुनस्थापन के लिये और उनको दूसरे रोजगार देने के लिये भी कोई योजना बनायी जाय । ३००-४०० वेश्याएं हैं वहां और उनके ६००-७०० लड़के हैं । उनके लिये स्कूल खोलें और रोजगार और दस्तकारी सिखायी जाय और जो वेश्याएं हैं अगर सरकार उनको सिलाई की मशीन और शिक्षण दे तो मैं दावा करता हूं कि यह जो सरकार का मंशा है वह पूरा हो सकता है । लेकिन अगर यह न करके केवल भाषण देंगे तो यही चीज आगे होती रहेगी और उसकी कोई रोकथाम नहीं हो सकेगी ।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त । श्री उग्रसेन, अगर आप बोलना चाहें तो बोलें ।

श्री उग्रसेन ---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं विशेष तौर से उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विभाग में, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, भाग लिया और यह और भी विशेष बात है कि आज सरकारी पक्ष के सदस्यों ने दिल खोल कर अपना मत रखा और हम उम्मीद करते हैं कि वह इसमें हमारा साथ देंगे ।

श्रीमन्, एक बहुत बड़ा प्रश्न अब इस ४-६ घंटे के विवाद के बाद सदन के समक्ष आ गया । प्रश्न यह है कि कौन-सी राजनीति चलायी जाय । वह चलायी जाय जिसका प्रतिपादन माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल दोनों करते हैं समान अवसर की, या विशेष अवसर की नीति चलायी जाय जिसका समर्थन सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी, जिनकी रीति-नीति को मैं जानता हूं, वह करते हैं । कांग्रेस पार्टी के सदस्य मानते हैं कि वे लोग जो पंगु हैं, जो ५ हजार वर्ष से नीचे पड़े हुए हैं वह उठ नहीं सकते हैं ।

माननीय मुख्य मंत्री जी सोचें कि प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों में पढ़ने वाले हरिजन बच्चे अगर लखनऊ की घुड़दौड़ में, पूना प्लेट में उनको रखा जाय, इन लारेंटो कन्वेंट इत्यादि के बच्चों से उनका मुकाबला किया जाय कि समान अवसर ले लो तो कौन घोड़ा आगे जायेगा ? इसका साफ मतलब है कि यह साजिश है, चाहे नेता सदन की या विरोधी दल के नेता की ओर से हो । यह दिमागी फर्क की बात है, वह नहीं चाहते हैं कि जो नीचे पड़े हुए हैं वह ऊपर उठें । गोस्वामी तुलसीदास भी रामायण में लिख गये कि, "पूजिये विप्र शील गुण हीना ।" तो फिर उनको तैरना आयेगा कब अगर आप कहें कि पानी में मत फेंकिये ? उसके लिये जरूरी है कि उसको पानी में फेंकिये एक बार हाथ पैर मारेगा, और जिसको हमारे देवरिया की तरफ कहते हैं कि एक बार भौंरा पिलेगा तो तैरना आ जायेगा । बिना अगुवा किये हुए जो लोग पीछे दबे हुये हैं वह नहीं उठ सकते ।

माननीय श्रीपालसिंह ने समाजवाद की चर्चा की, अक्सर किया करते हैं, लेकिन पढ़ने में देर है । पता नहीं किस गुरु से पढ़ा है ? किसी अच्छे गुरु, से पढ़ें कि आखिर समाजवाद क्या है । जर्मनी में एक समाजवाद चला, एक चेयर सोशलिज्म है, कुर्सी का समाजवाद, होटल में लोग बैठ गये . . .

श्री अध्यक्ष---आप समाजवाद छोड़िये ।

श्री उग्रसेन---वह छोड़ ही नहीं सकते ।

श्री अध्यक्ष---आप विषय पर बोलिये ।

श्री उग्रसेन---माननीय श्रीपालसिंह जी बोल गये । १५०० वर्ष की पुरानी परम्परा बोल उठी । मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रस्ताव ने माननीय श्रीपालसिंह जी की पोटली खोल तो दी । सन् ३२ में सेक्रेटरी आफ स्टेट, सर सैमुअल होर को गांधी जी ने लिखा था---मैं डाक्टर अम्बेदकर की किताब से कह रहा हूं---कि सेप्रेट एलेक्टोरेट की बात कहते हैं उससे हम तकलीफ उठायेंगे लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ हिन्दू सवर्ण लोग अछूतों को दे रहे हैं । जो कानून बनाने में विश्वास करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि सब डालियों को बढ़ने दिया जायगा तो कोमल गुलाब का फूल नीचे ही रह जायगा । कानून से झाड़-झंखाड़ को काटिये । राम मोहन राय ने सती प्रथा को बन्द किया । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनसे पूर्व जो इस कुर्सी पर बैठते थे वे अपने नाम के आगे "वर्मा" नहीं लिखते थे फिर माननीय चन्द्रभानु जी "गुप्त" क्यों लिखते हैं । इस पर हमारा एतराज है । जब वे "गुप्त" लिखना छोड़ देंगे तो और लोग भी चौधरी और सिंह लिखना बन्द कर देंगे । अभी पहले एक माननीया सदस्या बोल रही थीं । महिला मंगल योजना ३३ जिलों में चल रही है ।

[श्री उग्रसेन]

५८–५९ में ६६० गांवों में चल रही थी वह ५९–६० में आठ गांवों में बढ़ गई और ६०–६१ में ११ गांवों में और बढ़ी। यह दशा है।

अछूतोद्धार के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जे० के० इंस्टीट्यूट की तरफ से एक रिपोर्ट निकली जिसमें यह बताया गया है किन-किन क्षेत्रों में यह डिस्क्रीमिनेशन है। उसमें कहा गया है कि एक साथ बैठ नहीं सकते, साथ खा नहीं सकते, रसोईघर में जा नहीं सकते, धातु के बरतन छू नहीं सकते, मिट्टी के बरतन नहीं छू सकते, एक दूसरे के घर में नहीं जा सकते, गले में घंटी बांध कर निकलें नहीं तो ठाकुर या पंडित जी नाराज हो जायंगे।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदन के सम्मानित सदस्य हमारे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री अध्यक्ष—अगर आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहें तो दे सकते हैं।

कुंवर श्रीपाल—स्पष्टीकरण है, श्रीमन्। जैसा कि माननीय उग्रसेन ने बतलाया कि गुप्ता जी अपने नाम से शब्द 'गुप्ता' को निकाल दें उसी तरह से क्या वे डाक्टर राममनोहर लोहिया से कहेंगे कि वे भी अपने नाम से शब्द 'लोहिया' निकाल दें।

श्री अध्यक्ष—यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

श्री उग्रसेन—वह जातिगत नाम नहीं है, बल्कि वह घर का नाम है। वे डाक्टर राम मनोहर ही अपने को लिखते हैं।

***श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सारे सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस विभाग के बजट के विवाद में भाग लिया और अपने अपने सुझाव पेश किये। यह बात तो सब लोगों ने मानी कि यह एक ऐसी समस्या है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर विचार करना सबका कर्त्तव्य है। यह भी सब लोगों ने कहा कि जिन लोगों ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है कि—इस अनुदान में एक रुपये की या १०० रुपये की कमी कर दी जाय, यह रकम जो मांगी गयी है, बहुत कम है और कटौती का प्रस्ताव जो पेश किया गया है वह सिर्फ ऐसे ही है कि आल्टरनेटिव पालिसी कोई अगर बतलाना चाहें तो बतलावें। इस वक्त सदन के सामने सवाल यह है कि जो अनुदान प्रस्तुत है उसे स्वीकृत किया जाय। जो सुझाव दिये गये हैं उनको अमल करने की बात है और मैं सारे माननीय सदस्यों को न्योता देता हूं कि वे खाली सुझाव देकर ही नहीं बल्कि वे आकर हमें पूरा सहयोग दें और अपने सुझाव के साथ-साथ अमली तौर पर मेरे साथ काम करने की कोशिश करें जिससे जितने अधिकारी हैं उनको हिदायत दी जायगी कि वे उनके साथ जाकर काम करें, वे समिति में सब के साथ जाकर काम करें।

मैं बहुत संक्षेप में चन्द बातें कह देना चाहता हूं। एक तो यह कि जैसा कहा गया कि यह समस्या ऐसी है जिसके ऊपर ठंढे दिल से सोचना है, इसमें जोश की कोई बात नहीं है, इसमें सेंटिमेंटल होने की कोई बात नहीं है। सोचना इसको जरूर पड़ेगा कि यह जो विभाग है इसका क्या कर्त्तव्य है। इसको जरा सोचने की जरूरत है कि अगर ऐसा कोई लेजिस्लेशन हम बना दें कि जिससे ये जितनी सामाजिक बुराइयां हैं उनको हम दूर कर दें, या मनुस्मृति के पन्ने फाड़ कर फेंकवा दें, इस तरह से तो काम चलने का है नहीं। अनटचेबिलिटी के लिये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, सन् ५५ आपके सामने है और सारे हिन्दुस्तान का वह ऐक्ट है। उसके ऊपर अमल करना, उसका निफाज करवाना है, उसमें आवश्यकता इस बात की है कि सारी समितियों में हमारे सारे सदस्य, सारे पब्लिक कार्यकर्त्ता सहयोग दें तो उस ऐक्ट का इनफोर्समेंट हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि जब कोई मुकदमा चलाया जाता है तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गवाह नहीं मिलते, कि सबूत दिया जा सके। तो वह ऐक्ट जो है उसको चलाने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि सब लोग उसमें सहयोग दें।

इसी तरह से इस बात की भी कोशिश की जाती है कि कृषि की सुविधायें उनको दी जायं। अब सीलिंग का कानून लागू हो गया है इसलिये इस समय जितनी जमीन है उतनी ही तो मिलेगी और उसी में उनको सुविधा दी जा सकती है। इसके लिये एक दूसरा कानून बनेगा जो इस सदन के सामने आवेगा। कृषि उद्योग के लिये हमने ८८ लाख २१ हजार रुपये रखे हैं जो हम हरिजनों को देंगे। जो क्षेत्रीय समितियां बनी हुई हैं वे ही उन रुपयों को हरिजनों को दिलवायेंगी। जी० ओ० में इसको साफ कर दिया गया है कि समितियां ही उनको जमीन दिलवायें और उसके बाद हम अनुदान देते हैं कृषि विकास के लिये और उसके लिये हम ने ८८,८१,००० रुपये रखा है, यह कम जरूर है लेकिन इस वक्त हम इतना ही दे सकते थे लेकिन अगर आप इसको बढ़ा सकें तो आप की बड़ी कृपा होगी।

जहां तक औद्योगिक मामलों का ताल्लुक है हमारा कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का विचार है, ऐसी इंडस्ट्रियल स्टेट दस बन चुकी हैं और हर डिवीजन में एक बनी हैं क्योंकि जितना काम हमारे सामने है उसे सबको एकदम से हम नहीं कर सकते और न हमारा यह दावा ही है कि हमने पूर्ण रूप से हरिजन कल्याण पर दिया या समाज कल्याण कर दिया गया। अभी हम ५ इंडस्ट्रियल स्टेट और कायम करने जा रहे हैं अपनी थर्ड प्लान में।

एक सदस्य—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हरिजनों की समस्याओं के लिये इतना रुपया रखा गया है कि तो क्या माननीय मंत्री जी यह नहीं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हरिजन जो मकान बना रहे थे.....

श्री अध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—तो मैं कह रहा था कि इन स्टेटों में वर्कशाप बनाई जायंगी और वहां कैपिटलिस्ट्स नहीं जा सकेंगे केवल वह १० प्रतिशत ही जा सकेंगे और वह हरिजनों को ही हायर परचेज पर दी जायंगी और पेमेंट कर के हरिजन....

श्री उग्रसेन—दस प्रतिशत पूंजीपति क्या मरहम लगाने के लिये रख रहे हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह जो कालोनी बनेगी इनमें जो इंडस्ट्रीज पावर से चलेंगी उनकी कोआपरेटिव्ज होंगी और हरिजनों को उसके लिये मदद देने के लिये रुपया रखा गया है। इसी तरह से उनकी भलाई के और कार्य किये जा रहे हैं।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने बताया था कि ऐसी महिला इन्चार्ज बनाई गई हैं, यह गलत बात है ऐसी महिला कोई इन्चार्ज नहीं बनाई गई हैं।

इसके अलावा टेक्निकल संस्थाओं में हरिजनों के लिये रिजर्वेशन किया गया है लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हरिजन लड़के उसके लिये अप्लाई ही नहीं करते। कोशिश की जाती है, बार बार अखबारों में नोटिस निकाली जाती है कि हरिजन लड़के उसके लिये अप्लाई करें ताकि उनको टेक्निकल एडुकेशन के लिये जो रुपया रखा गया है वह अप्लाई कर के ले लें।

अब यह जो हमारा विभाग है उसमें हरिजन सोशल आफिसर को ज्वाइन्ट सेक्रेटरी रखा है। जो कार्य प्लानिंग विभाग से होता है उस में और इस विभाग के काम में ओवरलैपिंग न हो, वहां भी हरिजन सहायक के काम होते हैं, तो हम ने उन दोनों सदस्यों को उस कमेटी में रखा है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों को फिर पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन को इसको पास करेगा क्योंकि जो रकम इनके द्वारा मांगी जा रही है उसको खुद ही माननीय सदस्य कहते हैं कि वह कम है।

श्री अध्यक्ष—अब अनुदान संख्या २९ के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव माननीय उग्रसेन जी ने रखा है उसको मैं रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २९ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां—के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, २,५९,८३,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३० के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :

पक्ष में—५१,

विपक्ष में—१५४ ।)

श्री अध्यक्ष—जब तक कार्यवाही होती रहेगी सदन बैठा रहेगा । प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, ४१,७६,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ६ बजे, अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्रा,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ
२३ मई, १९६२ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३६ पर।]

तालिका, सोसाइटी तहसील हैदरगढ़, जिन्हें वर्ष १९५७–५८ से १९५९–६० तक डिविडेन्ड, बोनस दिया गया ।

क्रम-संख्या	नाम सोसाइटी		डिविडेन्ड जो दिया गया			बोनस जो दिया गया		
			१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०
			रु०	०	रु०	०	रु०	रु०
१	लक्ष्मनपुर	..	९६.००	९९.००	९९.००	४६.४९	१३८.०३	२३२.५५
२	बसन्तपुर	..	५४.००	५४.००	५४.००	१२३.९१	३१२.७२	५८३.०९
३	अखैयापुर	..	६३.००	६३.००	६३.००	५७.८१	१८६.५८	३२६.१६
४	मुहम्मदपुर	..	२७.००	२७.००	२७.००	४५.२६	११५.११	१७६.४६
५	फखरपुर	..	९.००	९.००	९.००	२३.०८	७६.३९	१२३.२६
६	जलालपुर	..	५०.३४	८१.००	८१.००	३३.६५	१२५.१७	१९२.००
७	बारा	..	१५.००	१५.००	१५.००	३७.४२	१३९.८१	२३०.००
८	ककरी	..	१८.००	१८.००	१८.००	३२.०८	९३.७४	१८३.८६
९	लोदीपुर	..	२८.२०	२८.००	२८.२०	४३.४३	६४.४८	१५१.८३
१०	बहादुरपुर	..	९.००	२४.००	२४.१२	१३.८७	४८.७७	८९.७८
११	ठाकुरपुर	..	४.०२	३०.००	३०.०६	१७.१९	३४.०३	६४.९४
१२	बहलीपुर	..	..	..	११.८८	..	५.७०	१०९.२४
१३	लोदीकोट	..	..	..	६.४८	..	४.२९	९१.८८
१४	रौनीदावतपुर	..	..	..	..	..	..	९४.१४
१५	भितरी	..	..	..	..	..	..	३१.३१
१६	कोलादा	..	..	..	..	..	..	२८.६८
१७	दयालगंज	..	..	..	..	..	..	९२.४८
१८	पोखरा	..	..	..	..	..	..	२.६७
१९	दहिला	..	२१.००	२१.००	२१.००	३५.५५	११३.४४	२१३.५३

अनुवाद सभा विधान

क्रम सं०	नाम सोसाइटी		डिविडेन्ड जो दिया गया			बोनस जो दिया गया		
			१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०
			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
२०	लक्षनगढ़	..	७.५०	७.५०	७.५०	..	६७.७६	१३३.६१
२१	तेहवापुर	..	१२.००	१२.००	१२.००	..	४५.४४	७०.२३
२२	मदरहा	..	१५.००	१५.००	१५.००	५६.१९	१०२.६६	२०१.५९
२३	ख्वाजापुर	..	१२.००	१२.००	१२.००	२६.८७	९२.७५	१८०.६२
२४	हुलासी खेड़ा	..	९.००	९.००	९.००	२९.००	६९.६९	१४५.६६
२५	हुसैनाबाद	..	१८.००	१८.००	१८.००	१८.९५	६४.७०	१०३.५७
२६	जगतखेड़ा	..	५४.००	५४.००	५४.००	५०.९३	१३२.४६	२३५.०५
२७	शिवनाम	..	६.००	६.००	४८.००	४४.७२	१२४.१४	३९४.९०
२८	दुन्दीपुर	..	१२.००	१२.००	१२.००	२१.३२	७६.११	१७१.२६
२९	श्रीलवापुर	..	..	४.७५	६.००	..	४८.०३	७५.९८
३०	देवीपुर	..	..	..	..	..	..	१०७.७८
३१	रामीगंगापुर	..	..	..	..	..	..	९२.३८
३२	अशरफपुर धौरहरा	..	..	..	..	..	..	८१.१०
३३	जरौली	..	..	..	..	..	..	७७.८४
३४	खेमीपुर	..	..	..	..	..	..	१०५.८६
३५	खानपुर	..	..	..	..	..	..	५७.०२
३६	भिलवल	..	१२.००	१२.००	..	..	..	..
३७	शाहपुर	..	३१.६२	५१.००	५१.००	३२.७४	१२५.५७	१८०.८१
३८	कर्मामऊ	..	८.७६	१२.००	१२.००	२०.४६	५४.८४	५७.३२
३९	जौरास	..	२.८८	३.००	३.००	२३.७६	७१.०३	१६८.८८
४०	भित्तीपुरवा	..	६.००	६.००	६.००	२४.२३	७६.०४	१४२.३२
४१	छबील	..	१५.९०	१७.००	१७.७६	१०.१२	४४.६०	७९.२३
४२	मकनपुर	..	..	..	१५.५४	६.२३	४४.१२	८१.५८
४३	जैसाना नं० २	..	..	..	..	..	३५.०२	६८.९५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

४४	लखौरा	..	..	..	..	..	..	११.९०
४५	छन्दरैली	..	..	..	..	..	..	३४.७०
४६	अलियातपुर	..	..	..	..	..	..	८.०२
४७	चन्दौली	..	..	२४.००	२४.००	२७.६५	४९.८६	१०४.१४
४८	परेधिया	..	..	६.००	१२.००	१६.०८	४४.१३	५७.५६
४९	चोबिसी	..	..	..	..	..	..	१२२.५१
५०	भिखरा	..	..	..	..	..	..	१६.८१
५१	फतेहगंज	..	७१.०४	९०.००	९०.००	५५.४६	१३६.५४	२९२.४२
५२	सन्तोषपुर	..	२२.२०	३१.००	३४.९२	१६.७७	५८.४४	११२.८२
५३	धौरहरा	..	३०.३६	५४.००	५३.५२	४१.४९	१३८.५६	२१४.६७
५४	सराय रावत	..	५४.००	७८.००	७८.००	३९.७३	१०९.३०	२१६.९१
५५	बहादुर	..	१५.७८	४३.५०	४५.००	१७.६२	५९.९२	११७.३१
५६	गैनीपुरा	..	३१.१४	४०.५०	६०.००	२४.४९	१०७.३०	१५७.६५
५७	रानीपुर	..	..	..	२१.४०	..	..	१२५.३५
५८	सालपुर	..	..	..	५.१६	..	..	७२.३४
५९	भिटौरा	..	..	..	१.२०	..	..	५८.३६
६०	खीठूमऊ	..	..	..	१०.०८	..	..	१५१.५३
६१	दादूपुर	..	..	..	..	..	..	५०.६५
६२	खतरही	..	..	१२.००	१५.६०	३०.९५	१०२.७१	११३.३८
६३	कनवां	..	..	..	६.६०	..	४७.६९	८९.१२
६४	पिचौरा	..	..	..	..	..	..	३६.४९
६५	विजयपुर	..	..	..	..	..	..	३८.२७
६६	मरामपुर	..	..	..	..	..	..	४३.१४
६७	मवैया	..	..	..	..	..	..	३७.०३
६८	बरांव	..	..	..	..	..	..	५.९०
६९	बम्बरौली	..	..	..	..	..	..	४३.९५
			८४.१७४	१०९९.२५	१२२५.०२	११७२.३७	३५८७.५७	८३६४

नत्थियां

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम १६९ के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३८ पर)

पुस्तकालय	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१
	रु०	रु०	रु०	रु०
आवर्तक अनुदान पर—				
१—प्रगतिशील पुस्तकालय, बैजनाथ चौक, गाजीपुर ..	३०६.००	५१०.००	४०८.००	२०४.००*
२—हरिजन पुस्तकालय, सादियाबाद, गाजीपुर ..	३४२.००	४५६.००	४५६.००	४५६.००
३—अम्बेदकर हरिजन पुस्तकालय, सलरपुर, गाजीपुर ..	३४८.००	३४८.००	३४८.००	३४८.००
अनावर्तक अनुदान पर—				
१—जनता जवाहर पुस्तकालय, अन्नहू, गाजीपुर ..	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००
२—हरिजन पुस्तकालय, करीमुद्दीनपुर, गाजीपुर ..	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००
३—हरिजन पुस्तकालय, गौरा बाजार, गाजीपुर ..	२००.००	..	..	..

*वार्षिक विवरण-पत्र प्राप्त न होने के कारण ६ माह का अनुदान दिया गया। शेष ६ माह का अनुदान १९६१–६२ में दिया गया है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—८२ एल० ए०—१९६२—८४५।